COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

CONTENTS
THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI ADHINIYAM, 1964

CHAPTER I
PRELIMINARY

Sections

1. Short title and extent
2. Definitions
2-A. Marketing Freedom to Agriculturist/Producer
3. [Omitted]
4. Repugnancy with other law
4-A. Power to arriend Schedule

CHAPTER II
MARKET AREA AND MARKET YARDS

5. Declaration. of intention to regulate and control sale and purchase of agricultural produce in any area
6. Declaration of Market Area
7. Declaration of Principal Market Yard and Sub-Market Yards
7-A. Declaring warehouse/silo/cold storage/or other such structure or places as market sub-yard
7-B. Direct marketing (wholesale direct purchase from farmers outside the market yard, sub-market yard, private market yard)
7-C. Establishment and notification of 'Special Commodity Market Yard'
7-D. Establishment of private market yard.
7-E. Establishment of Producer Consumer market yard (Sale of agriculture produce within retain limit by producer to the consumer
8. Alteration of Market Area and Modification of the List of Agricultural produce
9. Effects of declaration of Market Area
9-A. Unified License for certain purpose
10. No Trade Charges Permissible Except as Prescribed by Rules or bye-laws
11. Application of certain provisions relating to Market Yards to the remaining part of Market Area

CHAPTER III
MARKET COMMITTEE

12. Establishment and incorporation of Committee
13. Organisation of Committee
13-A. Resignation of members and nomination in certain circumstances
13-B. Removal of members, Vice Chairman and Chairman of the Committee
13-C. Suspension of the Committee
13-D. Consequences of Suspension

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Sections

13-E. Dissolution of Committee
13-F. Consequences of dissolution
14. Constitution of First Committee or new Committee
14-A Corrupt practices
14-B Electoral offences
15. Filling of casual vacancies.
16. Function and duties of the Committee
17. Powers of the Committee
17-A. Amendment of section 17-A.
18. Contract, etc., on behalf of the Committee
19. Market Committee Fund and its utilisation
19-A. Priorities of liabilities of the Committees
19-B. Market Development Fund
20. Recovery of sums due to Committee as arrears of land revenue and power to write off irrecoverable dues
21. Surcharge

CHAPTER IV

OFFICERS AND SERVANTS OF THE COMMITTEE

22. Powers and duties of the Chairman and the Vice-Chairman
23. Appointment of officers and servants of the Market Committee and their conditions of service
23-A. Constitution of Centralised service and transfer of employees
24. Functions, powers and duties of the Secretary 23
25. Appeals
25-A. Terms and conditions of employment. of officers and servants of Committees
26. Protection of persons acting under this Act

CHAPTER V

EXTERNAL CONTROL

26-A. Establishment of the Board
26-B. Constitution of the Board...
26-C. Disqualification for being [Vice Chairman] or other member
26-D. Term of Office of [Vice-Chairman] and other members
26-E. Other provisions regarding office of the [Vice Chairman] and members other than ex-officio
26-F. Appointment of officers and servants
26-G. Supervision and control of the Director
26-H. Authentication of orders and other instruments of the Board
26-I. Delegation of powers
26-J. Disqualification for participation in proceedings of the Board on account of interest
26-K. Acts not to be invalidated by informality, vacancy etc . ....
26-L. Powers and functions of the Board
26-M. Directions on questions of policy

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Sections

26-N. Annual reports, statistics, returns and other information
26-0. Execution and registration of contracts, etc
26-P. Board's Fund
26-PP. Uttar Pradesh State Marketing Development Fund
26-PPP. Central Mandi Fund
26-Q. Restriction on unbudgeted expediture
26-R. Subvention of the Board
26-S. Loans to the Board
26-T. Power of Board to borrow
26-U. Priorities of liabilities of the Board
26-V. Accounts and Audit
26-W. Surcharge
26-X. Regulations
27. Powers and duties of the Director
28 to 30. [Omitted]
31. Powers of the Board to prohibit execution or further execution of resolution passed or order made by the Committee
32. Powers of the Board to call for the proceedings of a Committee and pass orders thereon
33. Delegation of powers
33-A. Powers of Director to ensure performace of duties of market Committees
33-B. Powers of the State Government
33-C. Grant/Renewal of license for private market yard
33-D. Suspension or Cancellation of license granted/renewed under Section 33-C
33-E. Grant/Renewal of license for direct marketing
33-F. Suspension or Cancellation of direct marketing license

CHAPTER VI
MISCELLANEOUS

34. Suit against the Committee
35. Recovery of dues as Land Revenue
36. Powers of entry, search and seizure
37. Penalty
37-A. Composition of offences
38. Trial of offences
39. Bye-laws
39-A. Submission of statement of purchases and sales
40. Rules
SCHEDULE

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1964 ई0)

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI ADHINIYAM, 1964

(U.P. Act No. XXV of 1964)

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI ADHINIYAM, 1964[1]

[U. P. Act No. XXV of 1964]

Amended by

U. P. Act No. 10 of 1970

President's Act no. 13 of 1973 (as enacted with modifications by U. P. Act no. 30, 1974)

U. P. Act No. 13 of 1973

U. P. Act No. 30 of 1974

U. P. Act No. 06 of 1977

U. P. Act No. 07 of 1978

U. P. Act No. 19 of 1979

U. P. Act No. 20 of 1984

U. P. Act No. 12 of 1985

U. P. Act No. 12 of 1987

U. P. Act No. 10 of 1991

U. P. Act No. 24 of 1994

U. P. Act No. 04 of 1999

U. P. Act No. 01 of 2000

U. P. Act No. 18 of 2001

U. P. Act No. 07 of 2002

U. P. Act No. 13 of 2004

U. P. Act No. 17 of 2005

U. P. Act No. 02 of 2006

U. P. Act No. 34 of 2006

U. P. Act No. 40 of 2007

U. P. Act No. 27 of 2013

U. P. Act No. 04 of 2015

U. P. Act No. 11 of 2015

U. P. Act No. 03 of 2016

U. P. Act No. 24 of 2018

U.P. Act No. 07 of 2020

U.P. Act No. 18 of 2020

---

1. For Statement of Objects and Reasons see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated December 10, 1963.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1964 ई०]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 1970

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 13, 1973 (जैसा कि उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1973

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 06, 1977

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 07, 1978

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1979

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 20, 1984

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1985

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1987

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 1991

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1994

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 04, 1999

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 01, 2000

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2001

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 07, 2002

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 2004

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 17, 2005

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 2006

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 34, 2006

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 40, 2007

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27, 2013

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 04, 2015

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11, 2015

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 2016

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 2018

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7, 2020

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2020

द्वारा संशोधित

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 10 दिसम्बर, 1963 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखे ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 7, 1964 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on September 8, 1964.

Received the assent of the President on October 28, 1964, under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary* dated November 10, 1964.]

AN

ACT

to provide for the regulation of sale and purchase of agricultural produce and for the establishment, superintendence and control of markets therefor in Uttar Pradesh.

It is hereby enacted in the Fifteenth Year of the republic of India as follows :—

CHAPTER — I

Preliminary

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964.

(2) It extends to the whole of the Uttar Pradesh.

Definitions

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context :—

[(a) "agricultural produce" means such items of produce of agriculture, horticulture, viticulture, apiculture, sericulture, pisciculture, animal husbandry or forest as are specified in the Schedule, and includes admixture of two or more of such items, and also includes any such item in processed form, and further includes gur, rab, shakkar, khandsari and jiggery ;][1]

[[2](a-1) "Board" means the State Agricultural Produce Markets Board constituted under section 26-A ;] [3]

(b) "Broker" or "Dalal" means a person who, in the ordinary course of business, negotiates or arranges contracts for the purchase or sale of agricultural produce, on behalf of his, principal on payment of commission or remuneration, whether in cash or kind, but does not include the servant of such principal whether engaged in negotiating or arranging such contracts ;

(c) "bye-laws" means by-laws made in accordance with the provisions of section 39 ;

---

1. *Sub.* and be deemed always to have been subs. by Section 2 of U. P. Act no. 10, 1970.
2. Renumbered by item 2 (b) of the Schedule of U. P. Act no. 30 of 1974.
3. *Ins.* by section 2 (i) of President Act no. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act No. 30 of 1974.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7 अगस्त, 1964 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 8 सितम्बर, 1964 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 28 अक्टूबर, 1964 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 10 नवम्बर, 1964 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश में कृषि–उत्पादन के क्रय–विक्रय के विनियमन और उनके लिए मण्डियों की स्थापना तथा उनके अधीक्षण और नियन्त्रण की व्यवस्था करने का

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : ––

अध्याय – 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम", 1964 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

परिभाषायें

2–विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न होने पर, इस अधिनियम में ––

[1][(क) "कृषि–उत्पादन" का तात्पर्य कृषि उद्यान–फर्म, द्राक्षा–कृषि, मधु–मक्खी–पालन, कोश–कोट–पालन, मत्स्य संवर्धन, पशु–पालन या वन उत्पाद, की ऐसी मदों से है जो अनुसूची में निर्दिष्ट हों, और इसके अन्तर्गत दो या अधिक ऐसी मदों का सम्मिश्रण भी है, और इसमें संशोधित रूप में ऐसी कोई मद भी सम्मिलित है, और इसके अन्तर्गत गुड़, राब, शक्कर, खाण्डसारी तथा जगरी भी है ;]

[[2](क–1) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 26–क के अधीन संघटित राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् से है ;][3]

(ख) "दलाल" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कारोबार के सामान्य क्रम में कमीशन या पारिश्रमिक पर, चाहे वह नकदी में हो या जिन्स में, अपने प्रतिनियोक्ता (Principal) की ओर से कृषि–उत्पादन के क्रय या विक्रय की संविदाओं की बात या व्यवस्था करता हो किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे प्रतिनियोक्ता का सेवक नहीं है भले ही वह ऐसी संविदाओं की बात अथवा व्यवस्था करता हो ;

(ग) "उप–विधि" का तात्पर्य धारा 39 के उपबन्धों के अनुसार बनायी गयी उप–विधियों से है ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित एवं सदैव से प्रतिस्थापित समझे जायेंगे ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974 की अनुसूची की मद संख्या 2 (ख) द्वारा पुनर्संख्यांकित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 13, 1973 की धारा 2(1) द्वारा अन्तः स्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Act no. LVIII of 1962

(d) "Central Warehousing Corporation" means the Central Warehousing Corporation established or deemed to be established under the warehousing Corporations Act, 1962 ;

[(d-1)[1] [Collector], in relation to a Committee for a Market area means the Collector of the District where the Principal Market Yard of that Market Area is situated, and includes such other officer as may be authorized by him in that behalf ;]

[2][(d-2) "Cold Storage" in relation to market yard means cold storage declared as market sub-yard under section 7-A of this Act ;]

(e) "commission agent" or "Aarhatiya" means a person who, in the ordinary course of business, makes or offers to make, a purchase or sale of agricultural produce, on behalf of the owner or seller or purchaser of agricultural produce, for Arhat or commission ;

(f) "Committee" means a Committee constituted under this Act ;

Act II of 1912

(g) "Co-operative Marketing Society" means a co-operative society of producers [3][registered or deemed to be registered under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965] which has, as its principal object, the promotion of sale or purchase of agricultural produce ;

[(h) "Director" means an officer appointed by the State Government as Director of Mandis and includes any other officer authorized by the Director to perform all or any of his functions under this Act ;]

[4][(h-1) "Director Agricultural Marketing" means an officer, appointed by the State Government as Director Agricultural Marketing, to perform the powers and functions of the Director of Agricultural Marketing under this Act ;

[4](h-1a) "Direct Marketing" in relation to specified agricultural produce, means direct wholesale purchase of specified agricultural produce from the farmers by the processors, exporters, bulk buyers, etc. outside the principal market yard, sub-market yard, private market yard and market sub-yard ;

---

1. Renumbered by item 2 (v) of the Schedule of U. P. Act no. 30 of 1974 and *Ins.* by *sec.* 2(ii) of President Act no. 13 of 1973.
2. *Ins.* by *sec.* 2(a) of U.P. Act No. 24 of 2018.
3. *Subs.* by sec. 2 (a) of U. P. Act No. 06 of 1977.
4. *Ins.* by sec. 2 (b) of U. P. Act No. 24 of 2018.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(घ) "केन्द्रीय गोदाम निगम" का तात्पर्य वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन ऐक्ट, 1962 के अधीन स्थापित या किया गया समझे गये सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन से है ; ऐक्ट संख्या 58, 1962

[[1](घ–1) किसी मण्डी क्षेत्र की समिति के सम्बन्ध में, कलेक्टर का तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर से है, जहाँ उस मण्डी क्षेत्र का प्रधान मण्डी स्थल है, और इसके अन्तर्गत ऐसा अन्य अधिकारी भी है, जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये।]

[2][(घ–2) मण्डी स्थल के सम्बन्ध में "शीतगृह" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 7–क के अधीन मण्डी उप स्थल के रूप में घोषित शीतगृह से है ।]

(ङ) "आढ़तिया" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कारोबार के सामान्य क्रम में कृषि–उत्पादन के स्वामी अथवा विक्रेता या क्रेता की ओर से आढ़त या कमीशन पर, कृषि–उत्पादन का क्रय का विक्रय करता हो या करने का प्रस्ताव करता हो ;

(च) "समिति" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संघटित समिति से है ;

(छ) "सहकारी क्रय–विक्रय समिति" का तात्पर्य उत्पादकों को ऐसी सहकारी समिति से है जो [3][उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन निबन्धित हो या निर्बन्धित समझी जाय] और जिसका मुख्य उद्‌देश्य कृषि–उत्पादन के विक्रय या क्रय की बढ़ाना हो ; ऐक्ट संख्या 2, 1912

(ज) "निदेशक" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मण्डी निदेशक के रूप में नियुक्त अधिकारी से है, और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य अधिकारी है जो इस अधिनियम के अधीन निदेशक के सभी या किसी कृत्य का पालन करने के लिये निदेशक द्वारा प्राधिकृत हो ;

[4][(ज–1) "निदेशक, कृषि विपणन" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा निदेशक कृषि विपणन के रूप में नियुक्त अधिकारी से है जो इस अधिनियम के अधीन निदेशक, कृषि विपणन की शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन करेगा ;]

[4][(ज–1क) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में "सीधा विपणन" का तात्पर्य, प्रधान मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल, निजी मण्डी स्थल एवं मण्डी उपः स्थल के बाहर प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों, क्रेताओं आदि के द्वारा कृषकों से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के सीधा थोक क्रय से है ;]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974 की अनुसूची की मद संख्या 2 (ख) द्वारा पुनर्संख्यांकित एवं राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 13, 1973 की धारा 2 (2) द्वारा अन्तः स्थापित किया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 2 (क) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1977 की धारा 2 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1] [(h-1b) "Farmer Producer Organisation (FPO)" means an association of farmers, by whatever name/form it is called/exists, registered under any law for the time being in force, which is to mobilize farmers and build their capacity to collectively leverage their production and marketing strength.]

[2][(h-2) "Export" means export of specified agricultural produce outside India by a licensee.]

[3] [(h-3) "e-trading" means trading in which billing, billing, contracting, negotiating, information exchange, record keeping and other connected activities are done electronically on computer network/internet ;]

(i) "licensee" means a person who is granted a licence under this Act ;

(j) "Local Body" means a [4][Municipal Corporation], [3][Municipal Council], Notified Area Committee, Town Area Committee, Antarim Zila Parishad, Zila Parishad or a [3][Gram Panchayat] constituted or established under any enactment in force in Uttar Pradesh ;

(k) "Market Area" means an area notified as such under section 6, or as modified under section 8 ;

[5][(k-1) "Main Market Committee" means the Mandi Samiti which is authorized to issue a unified license ;]

[6][(k-2) "Market sub-yard" means warehouse/silos/cold storage or other such structure or place declared to be market sub-yard under section 7-A of this Act.]

(l) "member" means a member of the Committee ;

[7][(l-1) "Other Backward Classes of citizens", means the backward classes of citizen specified in schedule 1 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Class) Act, 1994]

(m) "Palledar" means a labourer engaged for "Dara-making", loading, unloading, filling, emptying or carrying any agricultural produce ;

[8][(m-1) "Person" includes individual, a co-operative society, Hindu Undivided Family, a company or firm or an association or a body of individuals, whether incorporated or not.]

(n) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act ;

---

1. *Ins.* by sec. 2(b) of U.P. Act No. 24 of 2018.
2. *Ins.* by sec. 2 (a) of U. P. Act No. 17 of 2005.
3. *Ins.* by sec. 2 (a) of U. P. Act No. 03 of 2016.
4. *Subs.* by sec. 2(c) of U. P. Act No. 18 of 2001.
5. *Ins.* by sec. 2 (b) of U. P. Act No. 03 of 2016.
6. *Ins.* by sec. 2 (c) of U. P. Act No. 24 of 2018.
7. *Ins.* by sec. 3 of U.P. Act No. 18 of 2001.
8. *Ins.* by sec. 2(f) of U.P. Act No. 24 of 2018.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1][(ज–1ख) "कृषक उत्पादक संगठन" (एफ0 पी0 ओ0) का तात्पर्य ऐसे कृषक–संगम से है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी भी नाम/प्रारूप में अभिहित किया जाता हो/विद्यमान हो एवं रजिस्ट्रीकृत हो । जो कृषकों को गतिशील करने और उनके उत्पादन तथा विपणन शक्ति की सामूहिक उत्तोलन क्षमता का सृजन करता है।]

[2][(ज–2) "निर्यात" का तात्पर्य किसी लाइसेंसधारी द्वारा विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का भारत से बाहर निर्यात करने से है;]

[3][(ज–3) "ई–व्यापार" का तात्पर्य उस व्यापार से है जिसमें बिल बनाना, बुकिंग करना, करार करना वार्ता करना, सूचना का आदान–प्रदान करना, अभिलेख रखना और अन्य जुड़ी गतिविधियाँ, कम्प्यूटर नेटवर्क/ इण्टरनेट पर इलेक्ट्रानिकली की जाती है ;]

(झ) "लाइसेन्सधारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स दिया जाय ;

(ञ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में प्रचलित किसी अधिनियमिति के अधीन संघटित या स्थापित [4][नगर निगम], [4][नगर पालिका परिषद्, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, अन्तरिम जिला परिषद्, जिला परिषद् या] [4][ग्राम पंचायत] से है;

(ट) "मण्डी–क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो धारा 6 के अधीन इस रूप में विज्ञापित किया गया हो या जो धारा 8 के अधीन यथा–परिवर्तित हो ;

[5][(ट–1) "मुख्य मण्डी समिति" का तात्पर्य उस मण्डी समिति से है, जो एकीकृत लाइसेन्स निर्गत करने के लिए प्राधिकृत हो ;]

[6][(ट–2) मण्डी उपस्थल का तात्पर्य भाण्डागार/साइलों/शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या स्थान से है, जो इस अधिनियम की धारा 7–क के अधीन मण्डी उपस्थल के रूप में घोषित किया गया हो।]

(ठ) "सदस्य" का तात्पर्य समिति के सदस्य से है ;

[7][(ठ–1) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है।]

(ड) "पल्लेदार" का तात्पर्य ऐसे श्रमिक से है जो किसी कृषि–उत्पादन का बड़ा बनाने, कृषि–उत्पादन को लादने, उतारने, भरने या खाली करने अथवा ढोने के कार्य में लगाया गया हो ;

[8][(ड–1) "व्यक्ति" के अन्तर्गत व्यक्ति, कोई सहकारी समिति, हिन्दू अविभाजित परिवार, निगमित अथवा अनिगमित कोई कम्पनी या फर्म या व्यक्ति–संगठन या निकाय सम्मिलित है ।]

(ढ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 2005 की धारा 2 (क) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, 2016 की धारा 2 (क) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2001 की धारा 2(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, 2016 की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 2 (ग) द्वारा बढ़ाया गया ।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2001 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 2 (घ) द्वारा बढ़ाया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(o) "Principal Market Yard" means the portion of a Market Area, declared as such under section 7 ;

[1] [(o-1) "Processing" means any one or more of a series of treatments relating to powdering, crushing, decorticating, dehusking, parboiling, polishing, ginning, pressing, occurring or any other manual, mechanical, chemical or physical treatment to which raw agricultural produce or its product is subjected to but shall not mean more cleaning, washing grading and packaging and other like activities;]

[2] [(o-2) "Private Market Yard" means such place other than Principal Market Yard, Sub-Market Yard and Market-Sub Yard in the market area, where infrastructure has been developed and managed by a person for marketing of agricultural produce, holding a license for this purpose under this Act ;

(o-3) "Processor" in relation to agriculture produce means a person how under takes processing of any notified agricultural produce on his own accord or on payment of a charge.]

(p) "producer" means a person who, whether by himself or through hired labour, produces, rears ro catches, any agricultural produce, not being a producer who also works as a trader, broker or *Dalal*, commission agent or *Aarhatiya* or who is otherwise ordinarily engaged in the business of storage of agricultural produce :

Provided that if a question arises as to whether any person is a producer or not for the purposes of this Act, the decision of the Director, made after an enquiry conducted in such manner as may be prescribed, shall be final.

(q) "purchase" includes barter or receipt of goods by way of pledge ro as security for the amount advanced ;

[3][[4](q-1)[3] "Regulations" means regulations made by the Board in accordance with the provisions of section 26-X ;][4]

[5] [(q-2) "retail sale" in relation to any specified agricultural produce means sale of that produce, not exceeding such quantity, as a market committee may specify in its bye-laws to be the limit of retail sale ;]

(r) "sale" includes barter or deposit of goods by way of pledge or as security for the amount received as advance ;

(s) "Secretary" means the person appointed as such under section 23 ;

---

1. *Ins.* by sec. 2 (b) of U. P. Act No. 17 of 2005.
2. *Ins.* by sec. 2 (e) of U. P. Act No. 24 of 2018.
3. Renumbered by item 2 (b) of the Schedule of U. P. Act no. 30 of 1974.
4. *Ins.* by section 2 (iv) of President Act no. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act No. 30 of 1974.
5. *Ins.* by sec. 2 (i) of U. P. Act No. 19 of 1979.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ण) "प्रधान मण्डी–स्थल" का तात्पर्य मण्डी–क्षेत्र के किसी ऐसे भाग से है जो धारा 7 के अधीन इस रूप में घोषित हो ;

[1][(ण–1) "प्रसंस्करण" का तात्पर्य चूर्णन, पेराई, छिलका निकालने, भूसी निकालने, अर्धक्वथन करने, पालिश करने, ओटाई संपीड़न, संरक्षण से सम्बन्धित किसी एक या अधिक शोधनों की श्रृंखला या किसी अन्य हस्तचालित, यांत्रिक, रासायनिक या भौतिक शोधन से है जिससे कच्चे कृषि उत्पाद या उसके उत्पादन का शोधन किया जाता है परन्तु उसका तात्पर्य मात्र सफाई करना धुलाई करना, श्रेणीकरण करना, एवं पैकिंग करना और तत्समान अन्य क्रियाकलाप से नहीं है ।]

[2][(ण–2) "निजी मण्डी स्थल" का तात्पर्य मण्डी क्षेत्र मे प्रधान मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल और मण्डी उप–स्थल से भिन्न ऐसे स्थान से है, जहाँ इस अधिनियम के अधीन उक्त प्रयोजन के लिए कृषि उत्पाद के विपणन और लाइसेंस धारण करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अवसंरचना विकसित की गयी हो और उसका प्रबन्ध किया गया हो ;

(ण–3) कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में "प्रसंस्करणकर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो स्वयं की ओर से या प्रभार के संदाय पर किसी अधिसूचित कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण का दायित्व ग्रहण करता हो ।]

(त) "उत्पादक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कृषि–उत्पादन की या तो स्वयं या पारिश्रमिक पर रखे गये श्रमिकों के माध्यम से उत्पादित करे, पाले–पोषे या पकड़े किन्तु ऐसे उत्पादक से नहीं है जो व्यापारी, दलाल या आढ़तिया के रूप में भी कार्य करता हो या जो साधारणतया कृषि–उत्पादन का अन्य प्रकार से संग्रह करने का कारोबार करता हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि यह प्रश्न उठे कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति उत्पादक है अथवा नहीं, तो निदेशक का निर्णय, ऐसी रीति से जांच करने के पश्चात् जो नियत की जाय, अन्तिम होगा ;

(थ) "क्रय" के अन्तर्गत वस्तु–विनिमय या गिरवी के रूप में अथवा पेशगी दी गयी धनराशि को प्रतिभूति के रूप में माल की प्राप्ति भी है ;

[3][[4](थ–1) "विनिमय" का तात्पर्य धारा 26–भ के उपबन्धों के अनुसार परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों से है ;]

[5][(थ–2) किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में, "फुटकर विक्रय" का तात्पर्य उस उत्पादन के ऐसे परिमाण के विक्रय से है जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उपविधियों में विनिर्दिष्ट फुटकर विक्रय की सीमा से अनधिक हो,]

(द) "विक्रय" के अन्तर्गत वस्तु–विनिमय या गिरवी के रूप में अथवा अग्रिम धनराशि की प्रतिभूति के रूप में माल का निक्षेप भी है ;

(ध) "सचिव" का तात्पर्य धारा 23 के अधीन इस रूप में नियुक्त व्यक्ति से है ;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 2005 की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 2 (ङ) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974 की अनुसूची की मद संख्या 2 (ख) द्वारा पुनर्सख्यांकित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 13, 1973 की धारा 2 (iv) द्वारा अन्तःस्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1979 की धारा 2 (1) द्वारा बढ़ाया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1] [(s-1) "Silo" means silo declared as market sub-yard under section 7-A of this Act ;

(s-2) "Special Commodity Market Yard" means a market yard as notified under section 7-C of this Act.]

(t) "specified agricultural produce" means a agricultural produce specified in the notification under section 6 or as modified under section 8 ;

[2][(t-1) "State" means a State as specified in 1st Schedule of the Constitution of India.]

(u) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh ;

Act no. LVIII of 1962

(v) "State Warehousing Corporation" means the State Warehousing Corporation for Uttar Pradesh established or deemed to be established under the Warehousing Corporation Act, 1962 ;

(w) "Sub-Market Yard" means a portion of a Market Area, declared as such under section 7 ;

[3][(x) "trade-charge" means any charge, by whatever name called, which is realized or may be realized by, or may be payable to, a trader in respect of any transaction of sale or purchase of any specified agricultural produce under or purporting to be under any custom or usage of trade, or otherwise ;

***Explanation* —** Every deduction other than a deduction made on account of deviation from sample when the purchase is made by sample, or on account of deviation from standard when the purchase is made by reference to a known standard, or on account of difference between actual and the standard weight or measure shall be deemed as a trade charge.]

(y) "trader" means a person who in the ordinary course of business is engaged in buying or selling agricultural produce as a principal or as a duly authorized agent of one or more principals and includes a person, engaged in processing of agricultural produce ;

[4][(y-1) "Unified License" means a license granted under section 9-A.]

[5] [(aa) "village" shall have the same meaning as in the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.]

---

1. *Ins.* by sec. 2 (f) of U. P. Act No. 24 of 2018.
2. *Ins.* by sec. 2 (G) of U. P. Act No. 24 of 2018.
3. *Subs.* by sec. 3 of U. P. Act No. 07 of 1978.
4. *Ins.* by sec. 2 (c) of U. P. Act No. 03 of 2016.
5. *Subs.* by sec. 2 (c) of U. P. Act No. 06 of 1977.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1] [(ध–1) "साइलों" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 7–क के अधीन मण्डी उपस्थल के रूप में घोषित साइलों से है ;

(ध–2) "विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 7–ग के अधीन यथाअधिसूचित किसी मण्डी स्थल से है ।]

(न) "निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन या धारा 8 के अधीन यथा–परिष्कृत विज्ञप्ति में निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन से है ;

[2] [(न–1) "राज्य" का तात्पर्य भारत का संविधान की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट किसी राज्य से है ।]

(प) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(फ) "राज्य गोदाम निगम" का तात्पर्य वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन ऐक्ट, 1962 के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझे गये उत्तर प्रदेश के स्टेंट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन से है ; ऐक्ट संख्या 58, 1962

(ब) "उप मण्डी–स्थल" का तात्पर्य मण्डी–क्षेत्र के किसी ऐसे भाग से है जो धारा 7 के अधीन इस रूप में घोषित हो ;

[3] [(भ) "व्यापारिक परिव्यय" का तात्पर्य किसी भी नाम से कहे जाने वाले किसी ऐसे परिव्यय से है जो, व्यापार की किसी रूढ़ि या प्रथा के अधीन या ऐसी रूढ़ि या प्रथा के नाम पर अन्यथा, किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय या विक्रय के किसी सौदे के सम्बन्ध में किसी व्यापारी द्वारा वसूल किया जाता हो या वसूल किया जा सकता हो या उसकी देय हो ।

स्पष्टीकरण—नमूने से क्रय किये जाने की दशा में नमूने से अन्तर होने के कारण, या किसी ज्ञात मानक से क्रय किये जाने की दशा में मानक से अन्तर होने के कारण, अथवा वास्तविक और मानक माप या तौल में भिन्नता के कारण, की गयी कटौती से भिन्न प्रत्येक कटौती व्यापारिक परिव्यय समझी जायगी ।]

(म) "व्यापारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कारोबार के सामान्य क्रम में स्वयं अपनी ओर से अथवा एक या अधिक प्रतिनियोक्ताओं के यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता के रूप में, कृषि उत्पादन का क्रय या विक्रय करता हो, तथा उसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जो कृषि–उत्पादन के प्रक्रिया कार्य में लगा हो ;

[4] [(म–1) "एकीकृत लाइसेंन्स" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9–क के अधीन स्वीकृत लाइसेन्स से है ।]

[5] [(कक) "गांव" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 में है ।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 2 (च) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 2 (छ) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1978 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 2016 की धारा 2(ग) द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 2 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1][(aa-1) "Warehouse" in relation to market yard means warehouse declared as market sub-yard under section 7-A of this Act.]

(bb) "weighman" means a person who, in the ordinary course of business, is engaged in weighing of agricultural produce in connection with a transaction of sale or purchase thereof ;

U. P. Act no. V of 1959

(cc) "weighing or measuring instrument" means a weighing instrument or a measuring instrument as defined in the Uttar Pradesh Weights and Measures (Enforcement) Act, 1959 ;

(dd) "weight or measure" means commercial weight or measure or a standard weight or measure, as defined in the measure or a standard weight or measure, as defined in the U. P. Weights and Measures (Enforcement) Act, 1959 ;

[2] [(ee) "whole-sale transaction" in relation to any specified agricultural produce means sale and purchase of that produce exceeding such quantity as a market committee may specify in its bye-laws to be the limit of retail sale.]

[3]**[**(ff) "User charges", means the amount paid in consideration of material or science.**]**

Marketing Freedom to Agriculturist/ Producer

[4]**[2-A.** The agriculturist/producer may sell his produce according to his choice anywhere in or outside this State :

Provided that no market fee shall be collected for wholesale transition from agriculturist – seller :

Provided further that no market fee shall be levied or collected on the retail sale of any specified agricultural produce, where such sale is made by an agriculturist or a producer directly to the consumer for his domestic consumption.]

3. [5][X X X X]

Repugnancy with other law

4. (1) Subject to the provisions of sub-section (2), the provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law, custom, usage or agreement.

Act no. X of 1955

(2) The provisions of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, and the orders made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in this Act or in any rule, by-law or order made thereunder.

Power to amend Schedule

[6]**[4-A.** The State Government may by notification in the *Gazette*, add to, amend or omit any of the items of agricultural produce specified in the Schedule, and thereupon the Schedule shall stand amended accordingly.]

---

1. *Ins.* by sec. 2 (h) of U. P. Act No. 24 of 2018.
2. *Ins.* by sec. 2 (2) of U. P. Act No. 19 of 1979.
3. *Ins.* by *sec.* 2 of U.P. Act No. 18 of 2020.
4. *Ins.* by sec. 3 of U. P. Act No. 24 of 2018.
5. *Omit.* by section 3 of President Act no. XIII of 1973 as re-enacted by U. P. Act No. 30 of 1974.
6. *Ins.* by sec. 3 of U. P. Act No. 10 of 1970.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1][(कक–1) मण्डी स्थल के सम्बन्ध में ''भाण्डागार'' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 7–क के अधीन मण्डी उप–स्थल के रूप मे घोषित भाण्डागार से है ।]

(खख) ''तोलक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कारोबार के सामान्य क्रम में कृषि–उत्पादन के क्रय या विक्रय के सौंदे के सम्बन्ध में तौलने का काम करता हो ;

(गग) ''तौलने या मापने का यंत्र'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, 1959 मे यथापरिभाषित तौलने का यंत्र या मापक यंत्र से है ; — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1959

(घघ) ''बाट या माप'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित व्यापारिक बाट या माप अथवा मानक बाट या माप से है ।

[2][(ङङ) किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में, ''थोक सौदा'' का तात्पर्य उस उत्पादन के ऐसे परिमाण के क्रय और विक्रय से है जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उपविधियों में विनिर्दिष्ट फुटकर विक्रय की सीमा से अधिक हो ।]

[3][(छछ) ''उपभोक्ता प्रभारी'' का तात्पर्य वस्तु अथवा सेवा के प्रतिफल में संदत्त धनराशि से है।]

कृषक/उत्पादक को विपणन स्वतंत्रता

[4]**[2–क–** कृषक/उत्पादक अपना उत्पाद अपनी इच्छानुसार इस राज्य में या उसके बाहर कहीं भी बेच सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि थोक संव्यवहार के लिए कृषक–विक्रेता से कोई मण्डी शुल्क संग्रहीत नही किया जायेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के फुटकर विक्रय पर कोई मण्डी शुल्क उदृग्रहीत या संग्रहीत नही किया जायगा, जहाँ ऐसा विक्रय उपभोक्ता को कृषक या उत्पादक द्वारा सीधे उसके घरेलू उपभोग के लिए किया जाय ।

3– [5][X X X X]

अन्य विधि के विरूद्ध होना

4–(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे भले ही किसी अन्य विधि, रूढ़ि, प्रथा या अनुबन्ध में कोई असंगत बात दी हो।

(2) इसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट, 1955 की धारा 3 के उपबन्ध और तदधीन दी गयी आज्ञाएं प्रभावी होंगी, भले ही इस अधिनियम में या तदधीन बनाये गये किसी नियम, उपविधि या दी गयी आज्ञा में कोई असंगत बात दी हो । — ऐक्ट संख्या 10, 1953

अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार

[6]**[4–क–** राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, अनुसूची में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की किसी मद को बढ़ा सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है या उसे निकाल सकती है, और तदुपरान्त अनुसूची तदनुरूप संशोधित हो जायगी ।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 2 (ज) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1979 की धारा 2 (दो) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2020 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 3 द्वारा लोप की गयी ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 3 द्वारा बढ़ायी गयी ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

CHAPTER – II

Market Area and Market Yards

Declaration of intention to regulate and control sale and purchase of agricultural produce in any area

5. (1) Where the State Government is of opinion that it is necessary or expedient in the public interest to regulate the sale and purchase of any agricultural produce in any area, [1][* * *] and for that purpose to declare that area as a Market Area, it may, by notification in the *Gazette*, and in such other manner as may be prescribed, declare its intention so to do and invite objections against the proposed declaration.

(2) Any objection under sub-section (1) may be preferred within such period as may be prescribed and shall be addressed to the Director who shall forward the same, with his comments thereon, to the State Government.

Declaration of Market Area

6. On the expiry of the period referred to in section 5, the State Government shall consider the objections received within the said period and may thereupon declare, by notification in the *Gazette*, and in such other manner as may be prescribed, that the whole or any specified portion of the area mentioned in the notification under section 5 shall be the Market Area in respect of such agricultural produce, and with effect from such date as may be specified in the declaration.

Declaration of Principal Market yard and sub-market yard

[7. [2] (1) As soon as may be after the publication of the notification under section 6 the State Government may by notification in the *Gazette*, declare such portion of the market area as may be specified as the principal market yard and such other portions as may be specified as sub-market yard :] :

[3][Provided that the whole of the Principal Market Yard shall be located within the limits of one district only.]

[4][(2) The State Government, where it considers necessary or expedient in the public interest so to do, may, by notification —

(a) include any area in or exclude any area from the area of a principal market yard or sub-market yard or abolish the existing principal market yard or sub-market yards and declare a new principal market yard or sub-market yards ;

[5][(b) declare that the whole-sale transactions of all or any of the specified agricultural produce in respect of a market area shall be carried on only at a specified place or places within its principal market yard or sub-market yards.

---

1. *Omit.* by sec. 3 of U. P. Act No. 06 of 1977.
2. Sec. 7 renumbered and *inserted* sub-sec. 2 by *sec.* 4 of U.P. Act No. 6 of 1977.
3. *Ins.* by section 4 of President Act no. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act No. 30 of 1974.
4. *Subs.* by sec. 3 of U. P. Act No. 19 of 1979.
5. *Subs.* by sec. 4 of U. P. Act No. 24 of 2018.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय – 2

मण्डी–क्षेत्र तथा मण्डी–स्थल

किसी क्षेत्र में कृषि–उत्पादन के क्रय–विक्रय को विनियमित और नियंत्रित करने के अभिप्राय की घोषणा

5–(1) यदि राज्य सरकार की वह राय हो कि लोक–हित में यह आवश्यक या इष्टकर है कि किसी ऐसे क्षेत्र में किसी कृषि उत्पादन के क्रय–विक्रय को विनियमित किया जाय, [1][***] और इस प्रयोजन के लिये उस क्षेत्र को मण्डी–क्षेत्र घोषित किया जाय, तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी अन्य रीति से जो नियत की जाय ऐसा करने के अपने अभिप्राय की घोषणा कर सकती है और प्रस्तावित घोषणा के विरूद्ध आपत्तियां आमंत्रित कर सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी अपत्ति, ऐसी अवधि के भीतर भेजी जा सकती है, जो नियत की जाय । वह निदेशक को सम्बोधित की जायेगी, जो उसे, उस पर अपनी समीक्षा के साथ, राज्य सरकार को भेजेगा ।

मण्डी–क्षेत्र की घोषणा

6–धारा 5 में अभिदिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने पर, राज्य सरकार उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुई आपत्तियों पर विचार करेगी और तदुपरान्त, गजट में विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी अन्य रीति से, जो नियत की जाय, वह घोषणा कर सकती है कि धारा 5 के अधीन विज्ञप्ति में उल्लिखित सम्पूर्ण क्षेत्र या उसका कोई निर्दिष्ट भाग ऐसे कृषि–उत्पादन के सम्बन्ध में और ऐसे दिनांक से, जो घोषणा में निर्दिष्ट किया जाय, मण्डी–क्षेत्र होगा ।

प्रधान मण्डी स्थल और उप मण्डी स्थल

[2][**7**–धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा मण्डी क्षेत्र के ऐसे भाग को जो निर्दिष्ट किया जाय प्रधान मण्डी–स्थल और ऐसे अन्य भागों को जो निर्दिष्ट किये जायें, उप–मण्डी–स्थल घोषित कर सकती है ;] :

[3][प्रतिबन्ध यह है कि सम्पूर्ण प्रधान मण्डी–स्थल केवल एक ही जिले की सीमाओं के भीतर स्थित होगा।]

[4][(2) राज्य सरकार, जहां लोक–हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, अधिसूचना द्वारा ––

(क) प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल के क्षेत्र में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकती है या उससे कोई क्षेत्र निकाल सकती है या वर्तमान प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल को समाप्त कर सकती है और नये प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल घोषित कर सकती है,

[5][(ख) घोषित कर सकती है कि किसी मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्दिष्ट कृषि उत्पाद में से सभी या किसी का थोक संव्यवहार उसके प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थलों के भीतर केवल किसी विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर किया जायगा :

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 3 द्वारा निकाला गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1977 की धारा 4 द्वारा धारा 7 पुनःसंख्याकित तथा उपधारा 2 बढ़ाया गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 4 द्वारा अन्तः स्थापित किया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1979 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1][Provided that the proviso of this clause shall have no effect on the following –

1. Market sub yard;
2. Direct Marketing;
3. Private Mandi Yard;
4. Trade through Unified License;
5. Purchase Centres under minimum support price scheme;
6. Trade through digital platform approved by Director, Mandi Parishad :

Provided that the licenses issued by Mandi Samiti or Director, Agriculture Marketing shall not be within the specified distance from the declared and constructed principal market yard/sub-market yard, determined by Director, Mandi Parishad.**]**

Declaring warehouse/ silo/cold storage/or other such structure or places as market sub-yard

[2] **[7-A.** (1) Save as otherwise provided in this Act, the State Government may, by notification declare such warehouse/silo/cold storage/or other such structure or place with infrastructure and facilities as may be prescribed, to function as market sub-yard] :

Provided that a place of retail trade shall not be declared as market sub-yard.

***Explanation* :—** The expression "place" mentioned in this sub-section shall include any structure, enclosure, open space, locality, street including warehouse/silo/cold storage/pack house/cleaning, grading & processing unit etc.

(2) The owner of a warehouse/silo/cold storage, or other such structure or 'place', as the case may be, desirous of declaration of such place as market sub-yard under sub-section (1), shall apply to the Director Agricultural Marketing or an officer authorized by him, in such form, in such manner with such fee and for such period but not less than three years, as may be prescribed.

[3] **[**(3) The person transacting within such warehouse/silo/cold storage or other structure or place, in declared market sub-yard, shall have to pay 75% of the applicable market fee to the market committee on the value of transacted notified agriculture produce. The owner/licensee of the market sub-yard may levy and collect up to 25% of the market fee as user charge on the specified agriculture produce, which can be spent for maintenance and development of the yard.**]** :

Provided that no market fee shall be collected from an agriculturist-seller.]

Direct marketing (wholesale direct purchase from farmers outside the market yard, sub-market yard, private market yard)

[4]**[7-B.** (1) Subject to such reasonable conditions and such fee as may be prescribed, the Director, Agricultural Marketing may grant a license to a person to establish Collection aggregation centers in the proximity of the production area with infrastructure, as may be prescribed in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder for marketing of notified agricultural produce :

Provided that the direct wholesale purchase may be carried out outside the principal market yard, sub-market yards, market sub-yards, private market yards by declaring the place of such purchase, without establishment of any permanent collection/aggregation center, as may be prescribed.

(2) The direct marketing licensee shall maintain records and all

---

1. *Subs.* by *sec.* 3 of U.P. Act No. 18 of 2020.
2. *Ins.* by sec. 5 of U. P. Act No. 24 of 2018.
3. *Subs.* by *sec.* 4 of U.P. Act No. 18 of 2020.
4. *Ins.* by sec. 5 of U. P. Act No. 24 of 2018.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1][प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के उपबन्ध का कोई प्रभाव, निम्नलिखित पर नहीं होगा–

1–मण्डी उप स्थल,

2–सीधा विपणन

3–निजी मण्डी स्थल,

4–एकीकृत लाइसेन्स के माध्यम से व्यापार;

5–न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अधीन क्रय केन्द्र;

6–निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा अनुमोदित डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से व्यापार :

प्रतिबन्ध यह है कि मण्डी समिति अथवा निदेशक, कृषि विपणन द्वारा जारी लाइसेन्स, घोषित एवं निर्मित प्रधान मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल से विनिर्दिष्ट दूरी के अन्तर्गत नहीं होंगे, जैसा कि निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा अवधारित किया जाय।]

भाण्डागार/साइलों/शीतगृह या ऐसी अन्य सरंचना या स्थानों को मण्डी उप–स्थल के रूप में घोषित किया जाना

[2] [**7–क**–(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे भाण्डागार/साइलों/शीतगृह या यथाविहित अवसंरचना एवं सुविधाओं सहित संरचना या स्थान को मण्डी उप–स्थल के रूप में कार्य करने हेतु घोषित कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी फुटकर व्यापारिक स्थान को मण्डी उप–स्थल घोषित नहीं किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में उल्लिखित पद "स्थान" के अन्तर्गत भाण्डागार/साइलों/शीतगृह/पैकहाउस/सफाईकरण, श्रेणीकरण और प्रसंस्करण इकाई आदि सहित कोई संरचना, घेरा, खुला स्थान, मोहल्ला, पथ सम्मिलित है ।

(2) यथास्थिति ऐसे किसी भाण्डागार/साइलों/शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या "स्थान" का स्वामी, जो ऐसे स्थानों को उपधारा (1) के अधीन मण्डी उप–स्थल के रूप में घोषित किये जाने का इच्छुक हो, निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसे प्रपत्र में, ऐसी रीति से और ऐसी अवधि किन्तु जो तीन वर्ष से कम न हो, के लिए ऐसे शुल्क के साथ, जैसाकि विहित किया जाय, के रूप में आवेदन करेगा ।

[3] [(3) घोषित मण्डी उप स्थल में ऐसे भाण्डागार/साइलों/शीतगृह या अन्य संरचना या स्थान पर संव्यवहृत करने वाले व्यक्ति को, संव्यवहृत अधिसूचित कृषि उत्पाद के मूल्य पर मण्डी समिति को लागू मण्डी शुल्क के 75 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। मण्डी उप स्थल का स्वामी/लाइसेंसधारी, विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर प्रयोक्ता प्रभार के रूप में ऐसे मण्डी शुल्क के पच्चीस प्रतिशत तक की धनराशि उद्ग्रहीत और संग्रहीत कर सकता है जिसे उक्त स्थल के अनुरक्षण तथा विकास के लिये व्यय किया जा सकता है।]

प्रतिबन्ध यह है कि कृषक–विक्रेता से कोई मण्डी शुल्क संग्रहीत नही किया जायेगा ।]

सीधा विपणन (कृषकों से मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल, निजी मण्डी स्थल से बाहर एक मुश्त सीधा थोक क्रय)

[4][**7–ख**– (1) ऐसी युक्तियुक्त शर्तो और ऐसे शुल्क, जैसा कि विहित किये जायं, के अध्यधीन निदेशक, कृषि विपणन, अधिसूचित कृषि उत्पाद के विपणन के लिए इस अधिनियम एवं तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुसार यथाविहित अवसंरचना सहित उत्पादन क्षेत्र के निकट संग्रह/एकत्रीकरण केन्द्र स्थापित करने हेतु किसी व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्थायी संग्रह/एकत्रीकरण केन्द्र स्थापित किये बिना, थोक क्रय स्थल घोषित करते हुए, प्रधान मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थलों, मण्डी उपस्थलों, निजी मण्डी स्थलों के बाहर यथाविहित रूप में सीधा थोक क्रय किया जा सकता है।

(2) सीधा विपणन लाइसेंसधारी को दैनिक व्यापारिक संव्यवहारों से सम्बन्धित

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2020 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 5 द्वारा बढ़ायी गयी ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2020 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 5 द्वारा बढ़ायी गयी ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

accounts relating to daily trade transactions and submit monthly report, as may be prescribed, to the licensing authority.

(3) The licensing authority licensee shall maintain records and all accounts relating to daily trade transactions and submit monthly report, as may be prescribed, to the licensing authority.

(4) The direct marketing licensee shall pay market fee on transaction of sale of specified agricultural produce to the Uttar Pradesh State marketing Development Fund maintained by the Board.]

Establishment and notification of "Special Commodity Market Yard"

[1][**7-C.** (1) The State Government, where it considers necessary or expedient in the public interest so to do, may, by notification declare existing market yard established under clause (b) of sub-section (2) of section 7 as Special yard as Special Commodity Market Yard of all or any of the specified agricultural produce in respect of a market area.

(2) Provisions for and in relation to the Market Committee of this Act shall *mutatis mutandis* apply to the Market Committee established for Special Commodity Market Yard.]

Establishment of private market yard

[2][**7-D.** (1) Subject to such reasonable conditions and such fee as may be prescribed, the Director, Agricultural Marketing may grant a license to a person to establish a private market yard, for trading of notified agricultural produce.

(2) the private market yard licensee, or its management committee, may collect user charge on notified agricultural produce transacted in the private market yard, at the rate *ad valorem* not exceeding as notified by the State Government :

Provided that no user charge shall be collected from agriculturist-seller.

(3) The private market yard licensee shall contribute license fee and one-fourth of the user charge collection, to a separate fund maintained and operated by the Director, Agricultural Marketing. The Director, Agricultural Marketing shall utilize the fund, in skill development, training, research and such other activities, as will aid in creating an efficient marketing system in the State.]

[3][**7-E.** Establishment of Producer Consumer market yard (Sale of agriculture produce within retain limit by producer to the consumer)–

(1) Subject to prescribed fee, conditions and restrictions, the officer authorized by the Government may issue license to the concerned person who establish producer consumer makes in which retail trade of specified agriculture produce can take place.

(2) The license may establish and develop the infrastructure in the producer consumer market, within the reach of producer and consumers, as may be prescribed:

Provided that the consumer shall purchase within the retail limit.**]**

---

1. *Ins.* by sec. 5 of U. P. Act No. 24 of 2018.
2. *Ins.* by sec. 5 of U. P. Act No. 24 of 2018.
3. *Ins.* by Sec. 5 of U.P. Act No. 18 of 2020.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अभिलेख और समस्त लेखाओं को अनुरक्षित करना होगा और लाइसेंस प्राधिकारी को यथाविहित रूप में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा ।

(3) लाइसेंस प्राधिकारी, सीधा विपणन लाइसेंसधारी से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सूचना माँग सकता है ओर ऐसे थोक क्रयों एवं उससे आनुषंगिक क्रिया–कलापों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निरीक्षण कर सकता है और निदेश जारी कर सकता है ।

(4) सीधा विपणन लाइसेंसधारी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विक्रय के संव्यवहार पर परिषद् द्वारा अनुरक्षित उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि को मण्डी शुल्क का भुगतान करेगा ।]

विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल की स्थापना और अधिसूचना

[1][**7–ग–** (1) जहाँ राज्य सरकार, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे वहाँ वह किसी मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में सभी या किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के निमित्त अधिसूचना द्वारा धारा 7 की उपधारा (2) के विद्यमान मण्डी स्थल को विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल घोषित कर सकती है या किसी नये मण्डी स्थल को विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल अधिसूचित कर सकती है ।

(2) इस अधिनियम में मण्डी समिति के लिए और तत्सम्बन्ध में किये गये उपबन्ध, विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल के लिए स्थापित मण्डी समिति पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।]

निजी मण्डी स्थल की स्थापना

[2][**7–घ–** (1) ऐसी युक्तियुक्त शर्तो और ऐसे शुल्क जैसा कि विहित किये जाये, के अध्यधीन निदेशक कृषि विपणन यथाविहित रूप में कृषि उत्पाद के व्यपार के लिए निजी मण्डी स्थल स्थापित करने हेतु किसी व्यक्ति को लाइसेन्स प्रदान कर सकता है ।

(2) निजी मण्डी स्थल लाइसेन्सधारी या उसकी प्रबन्ध समिति, निजी मण्डी स्थल में संव्यवहृत अधिसूचित कृषि उत्पादों पर मूल्यानुसार दर से जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, उपयोक्ता प्रभार संग्रहीत कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई उपभोक्ता प्रभार, कृषक–विक्रेता से संग्रहीत नही किया जायेगा ।

(3) निजी मण्डी स्थल लाइसेंन्सधारी, लाइसेन्स शुल्क और एक चौथाई संग्रह उपयोक्ता प्रभार का अभिदान, निदेशक, कृष विपणन द्वारा अनुरक्षित और प्रचालित किसी पृथक निधि में करेगा । निदेशक, कृषि विपणन निधि का उपयोग, कौशल विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान और ऐसे अन्य क्रिया–कलापों, जो राज्य में दक्ष विपणन प्रणाली सृजित करने मे सहायक होंगे, में करेगा ।]

[3] [**धारा *7ङ* उत्पादक**–उपभोक्ता मण्डी स्थल की स्थापना (उत्पादक द्वारा उपभोक्ता को फुटकर सीमा के अन्तर्गत कृषि उत्पाद का विक्रय किया जाना)–

(1) विहित शुल्क, शर्तों एवं निर्बन्धनों के अध्यधीन शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसे सम्बन्धित व्यक्ति को लाइसेंस जारी कर सकता है, जो उत्पादक–उपभोक्ता मण्डियाँ स्थापित करें, जिनमें विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का फुटकर व्यापार हो सके।

(2) लाइसेंसधारी यथाविहित रूप में उत्पादक एवं उपभोक्ता के पहुँच के भीतर उत्पादक–उपभोक्ता मण्डी में अवसंरचना स्थापित एवं विकसित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि उपभोक्ता फुटकर सीमा के अन्तर्गत क्रय करेगा।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 5 द्वारा बढ़ायी गयी ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 5 द्वारा बढ़ायी गयी ।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2020 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Alteration of Market Area and modification of the list of agricultural produce

8. (1) The State Government, where it considers necessary or expedient in the public interest so to do, may, by notification in the Gazette and in such other manner as may be prescribed and with effect from the date specified in the notification —

(a) include any agricultural produce in, or exclude any agricultural produce from, the list of agricultural produce specified in the notification under section 6 ;

(b) include any area in, or exclude any area from, the Market Area specified in the notification under section 6 ;

(c) divide a market Area specified in the notification under section 6 into two or more separate Market Areas ;

(d) amalgamate two or more market Areas specified in the notification under section 6 into one Market Area ; or

(e) declare that Market Area specified in the notification under section 6 shall cease to be such area :

Provided that before action under this sub-section is taken the State Government shall invite and consider, in the prescribed manner, objections, if any, against the proposed action.

(2) When during the term of a Market Committee the limits of the Market Area for which it is established are altered under clause (b), clause (c) or clause (d) of sub-section (1), the following consequences shall, with effect from the date specified in the notification, follow :—

(a) the Market Committee shall stand dissolved and its members shall vacate their offices as such members ;

[1][(b) a new Market Committee shall be constituted for the modified or newly created Market Area in accordance with the provisions of section 13.]

[2][(c) all property and assets, all rights, liabilities and obligations of the dissolved Market Committee in respect of civil or criminal proceedings, contracts, agreements or any other matter or thing arising in relation to any part of the Market Area of a dissolved Market Committee shall be vested in and stand transferred to the new Market Committee having jurisdiction over that part.]

(3) Where a Market Area ceases to be such area under clause (e) of sub-section (1), the following consequences shall, with effect from the date specified in the notification, follow :—

(a) the Market Committee shall stand dissolved and its members shall vacate their offices as such members ;

(b) the Principal Market Yard and Sub-Market Yards, if any, established therein shall cease to be such ;

(c) the unspent balanced of the Market Committee Fund and other assets and liabilities of the Market Committee shall vest in the State Government :

Provided that the liability of the State Government shall not extend beyond the assets so vested.

---

1. *Subs.* by *sec.* 3 of U. P. Act No. 13 of 2004.
2. *Subs.* by section 5 of President Act no. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act No. 30 of 1974.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

मण्डी–क्षेत्र के परिवर्तन और कृषि–उत्पादन की सूची का परिष्कार

8–(1) राज्य सरकार यदि वह लोक–हित में ऐसा करना इष्टकर या आवश्यक समझे, तो गजट में विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी अन्य रीति से जो नियत की जाय, तथा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से ––

(क) धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन की सूची में कोई कृषि–उत्पादन सम्मिलित कर सकती है, अथवा उसमें से कोई कृषि–उत्पादन निकाल सकती है ;

(ख) धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति मे ंनिर्दिष्ट मण्डी–क्षेत्र मे कोई क्षेत्र सम्मिलित कर सकती है, अथवा उसमें से कोई क्षेत्र निकाल सकती है ;

(ग) धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी मण्डी–क्षेत्र को एक से अधिक पृथक मण्डी–क्षेत्रों मे विभाजित कर सकती है ;

(घ) धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दो या अधिक मण्डी–क्षेत्रों को एक मण्डी–क्षेत्र मे सम्मिलित कर सकती है ;

(ङ) यह घोषणा कर सकती है कि धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट मण्डी–क्षेत्र ऐसा क्षेत्र न रहेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही किये जाने के पूर्व राज्य सरकार नियत रीति से, प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध आपत्तियां, यदि कोई हों, आमंत्रित करेगी और उस पर विचार करेगी ।

(2) जब मण्डी समिति के कार्यकाल में मण्डी–क्षेत्रों की सीमाओं में, जिसके लिये वह स्थापित की गयी हो, उपधारा (1) के खण्ड (ख), खण्ड (ग) अथवा खण्ड (घ) के अधीन परिवर्तन किया जाय तो, विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे :––

(क) मण्डी समिति विघटित हो जायगी और उसके सदस्य अपना पद रिक्त कर देंगे ;

[1][(ख) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार परिष्कृत या नवनिर्मित मण्डी क्षेत्र के लिये एक नई मण्डी समिति संगठित की जायेगी ;]

[2][(ग) किसी विघटित मण्डी समिति के मण्डी–क्षेत्र के किसी भाग के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली सिविल या दाण्डिक कार्यवाहियों, संविदाओं, अनुबन्धों अथवा किसी अन्य विषय या बात से सम्बन्धित विघटित मण्डी समिति की समस्त सम्पत्ति तथा आस्तियां तथा समस्त अधिकार, दायित्व और बाध्यतायें उस भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली नई मण्डी समिति में निहित और उस अन्तरित हो जायेंगे ।]

(3) यदि उपधारा (1) के खण्ड (ड़) के अधीन कोई मण्डी–स्थल यदि कोई हों, ऐसे मण्डी–स्थल न रह जायेंगे ;

(क) मण्डी समिति विघटित हो जायगी और उसके सदस्य अपना पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) उसमें स्थापित प्रधान मण्डी–स्थल और उप मण्डी–स्थल यदि कोई हों, ऐसे मण्डी–स्थल न रह जायेंगे ;

(ग) मण्डी समिति निधि की व्यय न की गयी शेष धनराशि और मण्डी समिति की अन्य आस्तियां तथा दायित्व राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार का दायित्व इस प्रकार निहित सम्पत्ति के मूल्य से अधिक न होगा ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Effects of declaration of Market Area

9. (1) As from the date of declaration of an area as Market Area no Local Body or other person shall, within the Market Area, set up, establish or continue, or allow to be set up, established or continued, any place for the sale, purchase, storage, weighment or processing of the specified agricultural produce, except under and in accordance with the conditions of a license granted by the Committee concerned, anything to the contrary contained in any other law, custom, usage or agreement notwithstanding :

Provided that the provisions of this sub-section shall not apply to a producer in respect of agricultural produce produced, reared, caught or processed by him or to any person who purchases or stores any agricultural produce for his domestic consumption.

[1][Provided further that in case of direct purchase from farmers, to set up collection/ aggregation centers in the proximity of the production area and for the private market yard, Director, Agricultural Marketing shall be the Licensing Authority for that market area.]

(2) No person shall, in a Principal Market Yard or nay Sub-Market Yard, carry on business or work as a trader, broker, commission agent, warehouseman, weighman, *palledar* or in such other capacity as may be prescribed, in respect of any specified agricultural produce except under and in accordance with the conditions of a license obtained therefor from the Committee concerned.

[2][(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall not apply in relation to any specified agricultural produce pledged or hypothecated in favour of a bank as security for any amount advanced by such bank.

Explanation— For the purposes of this sub-section, the word "bank" shall have the meaning assigned to it in the Uttar Pradesh Regulation of Money Lending Act, 1976.]

[3][Unified License for certain purpose]

[3][9-A. (1) Any Market which shall be main Mandi Samiti, may grant unified license to purchase specified agriculture produce from the farmers and traders in such a manner as may be prescribed in the bye laws, in the pre-communicated places in the whole State, for one or more of the following purposes :–

(a) processing of specified agricultural produce ;

(b) trading of specified agricultural produce ;

(c) grading, packing and transaction in other way by value addition of specified agricultural produce. **]**

[4]**[**(2) Market fee and development cess as provided in this Act, shall be payable on sale and purchase of specified agricultural produce

---

1. *Ins.* by sec. 6 of U. P. Act No. 24 of 2018.
2. *Ins.* by sec. 4 of U. P. Act No. 07 of 1978.
3. *Subs.* by sec. 6 of U. P. Act No. 18 of 2020.
4. *Subs.* by *sec.* 7 of U.P. Act No. 24 of 2018.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

मण्डी–क्षेत्र की घोषणा का प्रभाव

9–(1) किसी क्षेत्र के मण्डी–क्षेत्र घोषित किये जाने के दिनांक से, कोई स्थानीय निकाय या अन्य व्यक्ति संबद्ध समिति द्वारा दिये गये लाइसेन्स के बिना या उसकी शर्तों के अनुसरण से अन्यथा, मण्डी–क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन के विक्रय, क्रय या संग्रह करने (Storage) या तौलने या उस पर प्रक्रिया करने (Processing) के लिये किसी स्थान की न स्थापना करेगा, न उसे बनाये रखेगा और न उसकी स्थापना करने या उसे बनाये रखने की अनुमति देगा, भले ही किसी अन्य विधि, रूढ़ि, प्रथा या अनुबन्ध में कोई विपरीत बात हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के उपबन्ध स्वयं उत्पादक पर उसके द्वारा उत्पादित, पाले–पोषे, या प्रक्रिया किये गये कृषि–उत्पादन के सम्बन्ध में, या ऐसे व्यक्ति पर जो अपने घरेलू उपभोग के लिये किसी कृषि–उत्पादन का क्रय अथवा संग्रह करता हो, लागू न होंगे :

[1][प्रतिबन्ध यह है कि कृषकों से सीधा क्रय किये जाने के निमित्त उत्पादन क्षेत्र के समीप संग्रह / एकत्रीकरण केन्द्र स्थापित किये जाने एवं निजी मण्डी स्थल के मामले में, निदेशक, कृषि विपणन उक्त मण्डी क्षेत्र के लिए लाइसेंस प्राधिकारी होगा ।]

(2) कोई व्यक्ति सम्बद्ध समिति से तदर्थ लाइसेंन्स प्राप्त किये बिना तथा लाइसेन्सों को शर्तों के विरूद्ध किसी प्रधान मण्डी–स्थल या किसी उप मण्डी–स्थल में किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में व्यापारी, दलाल, आढ़तियां, गोदाम–परिचालक, तोलक, पल्लेदार या किसी ऐसे अन्य रूप में, जो नियत किया जाय, न तो कारोबार करेगा और न काम करेगा ।

[2][(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध किसी ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में जिसे किसी बैंक के पक्ष में ऐसे बैंक द्वारा दी गयी धनराशि के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी या दृष्टिबन्धक रखा जाय, लागू न होंगे ।

स्पष्टीकरण –– इस धारा के प्रयोजनो ंके लिए शब्द "बैंक" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 में उसके लिए दिया गया है ।]

[3][कतिपय प्रयोजनों के लिए एकीकृत लाइसेंस]

[3]**[9–क–** (1) कोई मण्डी समिति, जो मुख्य मण्डी समिति होगी, कृषकों एवं व्यापारियों से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का क्रय करने के लिए उपविधियों में यथाविहित रीति से, सम्पूर्ण राज्य में पूर्व संसूचित स्थलों पर, निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए एकीकृत लाइसेंस स्वीकृत कर सकती हैः ––

(क) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण ;

(ख) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का व्यापार ;

(ग) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन करके अन्य रीति से ग्रेडिंग, पैकिंग और संव्यवहरण ।**]**

[4](2) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित मण्डी शुल्क और विकास उपकर उस मण्डी

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 07, 1978 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2020 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

to that market committee, where the specified agricultural produce is actually transacted.]

No trade charges permissible except as prescribed by rules or bye-laws

10. (1) As from the date to be notified by the State Government in the Gazette, [1][* * *] no person shall, in a Principal Market Yard or Sub Market Yard, levy, charge or realize, any trade charges, other than those prescribed by rules or bye-laws made under this Act, in respect of any transaction of sale or purchase of the specified agricultural produce and no Court shall, in any suit or proceeding arising out of any such transaction, allow in any claim or counter claim, any trade charges not so prescribed.

(2) all trade charges shall be payable by the purchaser.

Application of certain provisions relating to Market Yards to the remaining part of Market Area

11. The State Government, where it considers necessary or expedient in the public interest so to do, may, by notification in the *Gazette* and *in such other manner* as may be prescribed, declare that the provisions of sub-section (2) of section 9 and the provisions of section 10 shall also apply to the whole or any part of the Market Area outside the Principal Market Yard and Sub-Market Yards as may be specified in the notification and thereupon the said provisions shall with effect from the date specified in the notification apply accordingly, and the remaining provisions of this Act relating to a Principal Market Yard or Sub-Market Yards shall also, with effect from the same date, *mutatis mutandis*, apply to the area so specified.

CHAPTER – III

Market Committee

Establishment and incorporation of Committee

12. (1) For every Market Area there shall be a Committee to be called the *Mandi Samiti* of that Market Area, which shall be a body corporate having perpetual succession and an *official seal* and, subject to such restrictions *or qualification*s, if any, as may be imposed by this or any other enactment, may sue or be sued in its corporate name and acquire, hold and dispose of property and enter into contracts :

Provided that the Committee shall not transfer any movable property except in accordance with a resolution duly passed at any of its meetings by a majority of not less than three-fourths of the total number of its members and with the previous approval in writing of [the Board][2].

Act no. 1, 1894

(2) The Committee shall be deemed to be a local authority for the purposes of Land Acquisition Act, 1894 [and any other law for the time being in force] [3].

Constitution of the Committee

[4][**13.** (1) The Committee referred to in section 12 shall consist

1. *Omit.* by sec. 5 of U. P. Act No. 10 of 1970.
2. *Subs.* by section 6 (i) of President Act no. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act No. 30 of 1974.
3. *Ins.* by sec. 6 (ii) *ibid.*
4. *Subs.* by sec. 8 of U. P. Act No. 24 of 2018.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

समिति को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के क्रय और विक्रय पर संदेय होगा, जहाँ विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का वास्तव में संव्यवहार हुआ हो।]

नियमों या उप–विधियों द्वारा नियत व्यापारिक परिव्यय से भिन्न परिव्यय नहीं लिये जा सकेंगे

10–(1) उस दिनांक से जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति करे [1][***] कोई व्यक्ति, प्रधान मण्डी–स्थल या उप मण्डी–स्थल में, निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन के विक्रय या क्रय के किसी सौदे के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों द्वारा नियत व्यापारिक परिव्ययों से भिन्न कोई व्यापारिक परिव्यय न तो आरोपित करेगा और न लेगा तथा कोई न्यायालय, किसी ऐसे सौदे से उत्पन्न होने वाले किसी वाद या कार्यवाही में, किसी दावे या प्रतिदावे में, कोई व्यापारिक परिव्यय, जो इस प्रकार नियत न हो, नहीं दिलायेगा ।

(2) सभी व्यापारिक परिव्यय क्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे ।

मण्डी–स्थलों के सम्बद्ध कतिपय उपबन्धों को मण्डी–क्षेत्र के शेष भाग में लागू करना

11–राज्य सरकार, यदि वह ऐसा करना लोक–हित में आवश्यक या इष्टकर समझे, तो गजट में विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, यह घोषणा कर सकती है कि धारा 9 की उपधारा (2) और धारा 10 के उपबन्ध प्रधान मण्डी–स्थल और उप मण्डी–स्थलों के बाहर मण्डी–क्षेत्र के विज्ञप्ति में निर्दिष्ट सम्पूर्ण या किसी भाग पर भी लागू होंगे, और प्रधान मण्डी–स्थल या उप मण्डी–स्थल से संबद्ध इस अधिनियम के शेष उपबन्ध भी, उसी दिनांक से, आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार निर्दिष्ट क्षेत्र पर लागू होंगे ।

अध्याय – 3

मण्डी समिति

समिति की स्थापना और उसका निगमन

12–(1) प्रत्येक मण्डी–क्षेत्र के लिये समिति होगा जो उस मण्डी–क्षेत्र की मण्डी समिति कहलायेगी जो सतत अनुक्रम वाली एक निगमित निकाय होगी और उसकी एक अधिकृत मुहर होगी । इसे या किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा आरोपित निर्बन्धनों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगी अथवा उस नाम से उसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और वह सम्पत्ति का अर्जन कर सकेगी, उसे धारण कर सकेगी तथा उसका निस्तारण कर सकेगी और संविदा कर सकेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि समिति किसी अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण अपने सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम तीन–चौथाई सदस्यों के बहुमत द्वारा समिति की किसी बैठक मे यथाविधि पारित संकल्प के अनुसरण तथा [2][परिषद्] के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगी ।

ऐक्ट सं0 1, 1894

(2) समिति, लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 [3][और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि] के प्रयोजनों के लिये, स्थानीय प्राधिकारी समझी जायगी ।

समिति का संघटन

[4][**13**–(1) धारा 12 के निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 5 द्वारा निकाला गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 6 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपरोक्त की धारा 6 (ii) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

of the following members to be nominated by the State Government in such manner as may be prescribed :—

(a) nine representative of producers of the Market Area ;

(b) two representative of traders carrying on business in the Market Area and holding license therefor under this Act ;

(c) two representative of commission agents carrying on business in the Market Area and holding license therefor under this Act ;

(d) two representative of palledar and measurer carrying on business in the Market Area and holding license therefor under this Act;

(e) Secretary of the Market Committee who shall be the member secretary.

(2) The members referred to in clause (a) of sub-section (1), who have sold notified agricultural produce in the market yards and obtained sale vouchers in Form VI of last three years from the committee, cumulatively highest in value, shall be eligible for nomination :

Provided that our of nine producer members, three members shall be from marginal farmers, three members from small farmers and three members from large farmers.

(3) Every committee shall have a Chairman and Vice-Chairman elected by the members referred to in clauses (a) to (d) of sub-section (1) is such manner as may be prescribed :

Provided that the Chairman and Vice-Chairman shall be the member referred in clause (a) of sub-section (1).

(4) (a) The term of the committee constituted under sub-section (1) shall be three years from the date of publication of the constitution of the committee, if not terminated earlier by the State Government;

(b) There term of the office of the Chairman, the Vice-Chairman and the members shall be Co-terminus with the committee.

(5) The name of the every member nominated under sub-section (1) shall be registered with the Director within 21 days of the nomination thereof.

(6) No proceeding, or act done by or on behalf of the committee shall be questioned on the ground fro want to any qualification, or defect in the nomination, of any person a Chairman, Vice-Chairman or member of the committee, or on the ground of any vacancy, or any other defect in the Constitution of the Committee.][1]

Resignation of members and nomination in certain circumstances

[2][**13-A.** (a) A member of the Committee may resign from his office by writing under his hand addressed to the Chairman. The

1. *Subs.* by *sec.* 8 of U.P. Act No. 24 of 2018.
2. *Ins.* by *sec.* 4 of U. P. Act No. 13 of 2004.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

सरकार द्वारा ऐसी रीति से नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा, जैसी विहित की जाय : ––

(क) मण्डी क्षेत्र के उत्पादकों के नौ प्रतिनिधि ;

(ख) मण्डी क्षेत्र मे कारोबार करने वाले और तद्निमित्त इस अधिनियम के अधीन लाइसेंन्स धारण करने वाले व्यापारियों के दो प्रतिनिधि ;

(ग) मण्डी क्षेत्र में कारोबार करने वाले और तद्निमित्त इस अधिनियम के अधीन लाइसेंन्स धारण करने वाले आढ़तियों के दो प्रतिनिधि ;

(घ) मण्डी क्षेत्र में कारोबार करने वाले और तद्निमित्त इस अधिनियम के अधीन लाइसेंन्स धारण करने वाले पल्लेदार और मापक के दो प्रतिनिधि ;

(ङ) मण्डी समिति का सचिव, जो सदस्य सचिव होगा ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सदस्य, जिन्होंने मण्डी स्थलों में अधिसूचित कृषि उत्पाद का विक्रय किया हो और प्रपत्र 6 में विगत 3 वर्षों से ऐसे विक्रय वाउचर समिति से प्राप्त किया हो, जिनका मूल्य संचयी रूप से अधिकतम हो, नाम निर्देशन के लिए अर्ह होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि नौ उत्पादक सदस्यों में से तीन सदस्य सीमांत कृषकों से, तीन सदस्य लघु कृषकों से और तीन सदस्य बड़े कृषकों से होंगे ।

(3) प्रत्येक मण्डी समिति में एक सभापति और एक उप सभापति होगा, जो उपधारा (1) के खण्डों (क से घ) में निर्दिष्ट सदस्यों द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचित किये जायेंगे, जैसा कि विहित किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि सभापति और उप सभापति, उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सदस्य होंगे ।

(4) (क) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति का कार्यकाल, समिति के गठन के प्रकाशन के दिनांक से तीन वर्ष होगा, यदि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में समाप्त न कर दिया जाये ;

(ख) सभापति, उप सभापति और सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल का सहविस्तारी होगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन नाम–निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य का नाम, उसके नाम–निर्देशन के 21 दिन के भीतर निदेशक को रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा ।

(6) समिति द्वारा या उसकी ओर से कृत किसी कार्यवाही या कार्य पर इस आधार पर कि समिति के सभापति, उप सभापति या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नाम–निर्देशन में किसी अर्हता के अभाव या किसी त्रुटि के आधार पर या समिति में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी अन्य त्रुटि के आधार पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जायेगा।][1]

कतिपय परिस्थितियों में सदस्यों का त्याग–पत्र और नाम निर्देशन

[2][**13–क–** (क) समिति का कोई सदस्य सभापति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है। त्याग–पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the Chairman with the prior approval of the Director ;

(b) The State Government may by notification nominate persons from the respective category of members to fill the vacancies of the members who have resigned and the persons so nominated shall hold office for remainder of the term of the Committee.]

Removal of members, Vice-Chairman and Chairman of the Committee

[1][**13-B.** The State Government may, on the recommendation of the Director, remove any member including the Chairman or the Vice-Chairman if he has been found guilty of neglect or misconduct in the discharge of his duties or of any disgraceful conduct or has become incapable of performing his duties as a member or has been adjudged insolvent and the vacancy of such members shall be filled in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 13 or clause (b) of section 13-A as the case may be :

Provided that no such member shall be removed from office unless he has been given a reasonable opportunity of being heard.]

Suspension of the Committee

[2][**13-C.** Where the Director, is satisfied that, —

(a) any Committee has willfully failed in the performance of its functions, or discharge of its duties, or has exceeded or abused the powers conferred on it by or under this Act or any other enactment ;

(b) continuance or the functioning of the Committee is prejudicial; to maintenance of public order ro to the maintenance of supplies and services of commodities essential to the community in the market area or its part or in the other market areas ; and

(c) it is necessary so to do, he may, after obtaining explanation from the Committee, by order in writing suspend the functioning of the Committee for a period up to six months.]

Consequences of suspension

[3][**13-D.** (1) Where a Committee is suspended under section 13-C the Chairman, the Vice-Chairman and the members thereof shall be deemed to have vacated their respective office for the period of suspension and the powers, duties and functions of the Committee shall be exercised, discharged and performed by the District Magistrate who may exercise, discharge or perform such power, duties and functions either himself or through an officer authorized by him not below the rank of the Deputy Collector.

(2) Where the circumstances so warrant the Director may sent its report for dissolution of the Committee to the State Government within three months from the date of its suspension.

(3) The director shall forthwith report about suspension under section 13-C to the State Government and if no adverse direction or

1. *Ins.* by sec. 4 of U. P. Act No. 13 of 2004.
2. *Ins.* by sec. 4 of U. P. Act No. 13 of 2004.
3. *Ins.* by sec. 4 of U. P. Act No. 13 of 2004.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

जिस दिनांक को इसे निदेशक के पूर्व अनुमोदन से सभापति द्वारा स्वीकार किया जाय ;

(ख) राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा ऐसे सदस्यों को, जिन्होने त्याग–पत्र दिया है, की रिक्तियों को भरने के लिये सम्बन्धित श्रेणी के सदस्यों में से व्यक्तियों को नाम–निर्दिष्ट कर सकती है और इस प्रकार नाम–निर्दिष्ट किये गए व्यक्ति समिति के अवशिष्ट कार्यकाल तक के लिये पदधारण करेंगे ।]

समितियों के सदस्यों, उपसभापति और सभापति का हटाया जाना

[1][**13–ख–** राज्य सरकार, निदेशक की सिफारिश पर, सभापति या उप सभापति सहित किसी सदस्य को हटा सकती है, यदि वह अपने कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा या कदाचार का या किसी अमर्यादित आचारण का दोषी पाया गया हो या सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो गया हो या दिवालिया न्याय निर्णीत कर दिया गया हो और ऐसे सदस्यों की रिक्ति यथास्थिति धारा 13 की उपधारा (3) या धारा 13–क के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार भरी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सदस्य पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय ।]

समिति का निलम्बन

[2][**13–ग**–जहां निदेशक का यह समाधान हो जाय कि, ––

(क) कोई समिति जानबूझकर अपने कृत्यों के सम्पादन या अपने कर्तव्यों के पालन में विफल हो गयी हो, या इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमित के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रमण किया हो या दुरूपयोग किया हो ;

(ख) समिति के जारी रहने या उसके कार्य करते रहने से लोक व्यवस्था बनाये रखने पर या विपणन क्षेत्र या उसके भाग या अन्य विपणन क्षेत्रों में समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ; और

(ग) ऐसा करना आवश्यक हो, तो वह समिति से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा समिति के कार्य को छः माह की अवधि तक के लिए निलम्बित कर सकता है ।]

निलम्बन के परिणाम

[3][**13–घ–** (1) जहाँ कोई समिति धारा 13–ग के अधीन निलम्बित कर दी जाय, वहाँ उसके सभापति, उपसभापति और सदस्य के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उन्होने निलम्बन अवधि तक अपना–अपना पद रिक्त कर दिया और समिति की शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग, पालन और सम्पादन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा जो ऐसी शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग, पालन या सम्पादन या तो स्वयं या ऐसे अधिकृत अधिकारी के माध्यम से जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, कर सकता है ।

(2) जहां परिस्थितियों के अनुसार समुचित आधार हो वहां निदेशक समिति के विघटन के लिए निलम्बन की तिथि से अपनी रिपोर्ट तीन माह के अन्दर राज्य सरकार को भेज सकता है ।

(3) निदेशक राज्य सरकार को धारा 13–ग के अधीन निलम्बन के विषय में

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

order is received to the Director from the State Government within 15 days the suspension shall continue, for the period directed in the first order otherwise he shall act according to the directions of the State Government in the matter.

Dissolution of Committee

[1][**13-E.** If at any time the State Government, on the report of the Director is satisfied that nay Committee has made a willful default in the performance of any duty imposed upon it by or under this Act, or any other enactment or has exceeded or abused its powers, after taking into consideration the explanation of the Committee, it may, by order stating the reasons therefor dissolve the Committee by publication thereof in the official *Gazette*.

***Explanation*— 1.** Willful default means a failure to perform duties of the committee, lack of willingness or it disinclination to perform that duty and such failure should not be the result of any accident or inadvertent error.

***Explanation*— 2.** The purpose of stating reasons is to ensure that the reasons which impelled the action are genuine and relevant to the content and scope of the power vested in the State Government ;

Consequences of dissolution

[2][**13-F.** On the dissolution of the Committee,—

(a) all the members, including the Chairman and the Vice-Chairman, of the Committee shall, be deemed to have vacated their offices from the date of dissolution;

(b) The Collector shall become the administrator of the Committee and shall either himself or through an officer not below the rank of deputy Collector exercise, discharge and perform the powers, duties and functions of Chairman, Vice-Chairman and the Committee, until the new Committee is constituted under section 13.]

Constitution of First Committee or new Committee

[3]**[14.** (1) The State Government shall, by notification in the Gazette, appoint all the members of the First Committee, or of a new Committee mentioned in clause (b) of sub-section (2) of section 8, including the Chairman and the Vice-Chairman, from amongst the persons who, in the opinion of the State Government, are suitable to represent the different interests referred to in sub-section (1) of section 13.][3]

(2) The term of the First Committee shall be one year from the date of its constitution under sub-section (1), but the State Government may, in the public interest, extend or further extend its term, so however that the extended or further extended term shall come to an end on the date of the constitution of the Committee under section 13.

1. *Ins.* by sec. 4 of U. P. Act No. 13 of 2004.
2. *Ins.* by sec. 4 of U. P. Act No. 13 of 2004.
3. *Subs.* and be deemed always to have been substituted by section 7 of U. P. Act No. 10 of 1970.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

तत्काल रिपोर्ट करेगा और यदि कोई विपरित निदेश या आदेश निदेशक को राज्य सरकार से 15 दिन के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो निलम्बन प्रथम आदेश में निदेशित अवधि के लिये जारी रहेगा अन्यथा वह उक्त मामले में राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार कार्य करेगा ।]

समिति का विघटन

[1] [**13–ङ**–यदि किसी समय राज्य सरकार का निदेशक की रिपोर्ट पर, यह समाधान हो जाय कि किसी समिति ने इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किये गये किसी कर्तव्य के पालन में जानबूझकर व्यतिक्रम किया है, या समिति के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है या उनका दुरूपयोग किया है, तो वह उन निमित्त कारणों का उल्लेख करते हुए आदेश द्वारा समिति को सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा विघटित कर सकती है।

स्पष्टीरकण–1–जानबूझकर किये गये व्यतिक्रम का तात्पर्य समिति से उद्भूत कर्तव्यों का पालन करने में विफलता उस कर्तव्य का पालन में रजामंदी का अभाव या उसकी अनिच्छा से है और ऐसी विफलता किसी घटना या अनवधानता से हुई त्रुटि का परिणाम नहीं होनी चाहिए ।

स्पष्टीकरण–2–कारणों को उल्लिखित करने का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे कारण, जिन्होंने कार्यवाही के लिए प्रेरित किया है, राज्य सरकार में निहित शक्ति की विषयवस्तु और परिधि के सन्दर्भ में वास्तविक और सुसंगत है ।

विघटन के परिणाम

[2][**13–च**– समिति के विघटन पर, ––

(क) समिति के सभी सदस्यों, जिनके अन्तर्गत सभापति और उपसभापति भी हैं; के बारे में यह समझा जायेगा कि वे विघटन के दिनांक से अपने पद रिक्त कर चुके हैं ;

(ख) कलेक्टर समिति का प्रशासक बन जायेगा और जब तक धारा 13 के अधीन नई समिति का संगठन नहीं हो जाता है वह या तो स्वयं या किसी ऐसे अधिकारी के माध्यम से, जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, सभापति, उपसभापति और समिति की शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करेगा ।]

प्रथम समिति या नवी समिति का संघटन

[3][**14**– (1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रथम समिति के, या धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) में उल्लिखित नई समिति के, सभापति तथा उप–सभापति सहित, सभी सदस्यों की नियुक्ति, उन व्यक्तियों में से करेगी जो राज्य सरकार की राय में धारा 13 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट विभिन्न स्वत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त हो।]

(2) प्रथम समिति का कार्यकाल, उपधारा (1) के अधीन उसके संघटन के दिनांक से एक वर्ष होगा, किन्तु राज्य सरकार लोकहित में, उसका कार्यकाल इस प्रकार बढ़ा सकती है अथवा और आगे बढ़ा सकती है कि बढ़ाया गया अथवा आगे बढ़ाया गया कार्यकाल, धारा 13 के अधीन समिति के संघटन के दिनांक को समाप्त हो जाय ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित और सदैव से प्रतिस्थापित समझी जाय ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) The term of office of the members of the First Committee including the Chairman and the Vice-Chairman, shall be for such period, not exceeding the term of the First Committee, as may be fixed by the State Government in this behalf.

Corrupt practices

[1][**14-A.** The provisions of section 123 of Chapter I of part VII of the Representation of the People Act, 1951 shall *mutatis mutandis* apply in the election to a Mandi Samiti.]

Electoral offences

[2][**14-B.** The provisions of sections 125, 126, 127, 127-A, 128, 129, 130, 131, 132, 132-A, 134, 134-A, 135, 135-A and 136 of Chapter III of Part VII of the Representation of the People Act, 1951 shall have effect as if, —

(a) the reference therein to an election were a reference to an election held under this Act ;

(b) in section 127-A, in sub-section (2), in clause (b), in sub-clause (i) for the words "Chief Electoral Officer" the words "Director of Election" had been *substituted* ;

(c) in sections 134 and 136, for the words "by or under this Act" the words "by or under the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964" had been substituted ;

(d) in section 135-A, —

(i) for the word "government" the words "Government, the Board or a Mandi Samiti" had been *substituted*.

(ii) in the explanation for the words "this sub-section and section 20-B" the words, "this section" had been substituted.]

Filling or casual vacancies

15. Where a vacancy occurs by reason of death, resignation or removal of a member, or for any other reason, it shall be filled in by a person belonging to the class to which the person ceasing to be member belonged, and the person so [3][nominated or appointed by the State Government] shall be a member for the unexpired portion of the term of the member in whole vacancy he has become a member :

Provided that a vacancy for a period not exceeding six months may not be filled, if so ordered by the Director :

[Provided further that in respect of vacancies to be filled by nomination by the State Government, the first proviso shall be so construed as if for the words "the Director" the words "the State Government" were substituted.][4]

Function and duties of the Committee

16. (1) A Committee shall enforce the provisions of this Act, the rules and bye-laws made thereunder in the Market Area, provide such

1. *Ins.* by sec. 5 of U. P. Act No. 18 of 2001.

2. *Ins.* by sec. 5 of U. P. Act No. 18 of 2001.

3. *Subs.* by sec. 5 of U. P. Act No. 13 of 2004.

4. *Add.* by sec. 8 of U.P. Act No. 10 of 1970.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) प्रथम समिति के सभापति और उपसभापति सहित सदस्यों की पदावधि वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निश्चित की जाय, किन्तु प्रथम समिति के कार्यकाल से अधिक न होगी ।

भ्रष्ट आचरण

[1] [**14–क**–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 7 के अध्याय–1 की धारा 123 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित मण्डी समिति के निर्वाचन पर लागू होंगे।]

निर्वाचन अपराध

[2] [**14–ख**–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 7 के अध्याय–3 की धारा 125, 126, 127, 127–क, 128, 129, 130, 131, 132, 132–क, 134, 134–क, 135, 135–क और 136 के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों, ––

(क) उनमें किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश इस अधिनियम के अधीन आयोजित निर्वाचन के प्रति निर्देश हो ;

(ख) धारा 127–क में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (एक) में शब्द "मुख्य निर्वाचन आफिसर" के स्थान पर शब्द "निर्वाचन निदेशक" रख दिये गये हों ;

(ग) धारा 134 और 136 मे शब्द "इस अधिनियम के द्वारा या अधीन" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 द्वारा या उसके अधीन" रख दिये गये हों ।

(घ) धारा 135–क में, ––

(एक) शब्द "सरकार" के स्थान पर शब्द "सरकार, परिषद या किसी मण्डी समिति" रख दिये गये हों ।

(दो) स्पष्टीकरण में शब्द "इस उपधारा और धारा 20–ख" के स्थान पर शब्द "इस धारा" रख दिये गये हों ।]

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

15–यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने, उसके त्याग–पत्र दे देने या हटाये जाने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से कोई रिक्ति हो जाये, तो उसकी पूर्ति उसी वर्ग के व्यक्ति द्वारा की जायगी जिस वर्ग का यह व्यक्ति रहा हो जो सदस्य न रह गया हो और इस प्रकार [3][राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट या नियुक्त] व्यक्ति उस व्यक्ति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिये सदस्य होगा, जिसकी रिक्ति में वह सदस्य हुआ हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक द्वारा आदेश दिया जाय तो ऐसी रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायगी जो छः मास से अधिक के लिये न हो :

[4][अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट करके पूर्ति की जाने वाली रिक्तियों के संबंध में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड का इस प्रकार अर्थ किया जायगा मानो कि शब्द "निदेशक" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" रखे गये हों ।]

समिति के कृत्य और कर्त्तव्य

16–(1) समिति, मण्डी–क्षेत्र में इस अधिनियम तदधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों को लागू करेगी, वहां पर निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन के क्रय तथा विक्रय के लिये

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2001 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2001 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।

4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 8 द्वारा बढ़ायी गई ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

facilities for sale and purchase of specified agricultural produce therein, [as may be specified in any directions given by the Board to the Committee from time to time] [1] or considered necessary by the Committee and do such other acts as may be necessary for regulating sale and purchase of specified agricultural produce in that Market Area, and for that purpose may exercise such powers and perform such duties, and is charge such functions as may be provided by or under this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (1) a Committee shall —

(i) ensure fair dealings between the producers and persons engaged in the sale or purchase of specified agricultural produce ;

(ii) ensure prompt payment to [2][sellers] in respect of specified agricultural produce sold by them in the Principal Market Yard or Sub-Market Yards ;

(iii) grade and standardize specified agricultural produce ;

U. P. Act no. V of 1959

(iv) check and verify weights, measures, weighing and measuring instruments used in the Market Area and report infringement of the provisions of the U. P. Weights and Measures (Enforcement) Act, 1959, to the authorities concerned ;

(v) collect and disseminate all such information as may be of advantage to the producers and other persons engaged in the sale or purchase of specified agricultural produce and in particular keep itself informed of the prevailing prices of such agricultural produce at places where it can be profitably exported and from where it can be economically imported in the Market Area ;

(vi) Standardize and regulate trade charges, market practices and customary methods of sale and purchase of specified agricultural produce ;

(vii) provide suitable amenities in the Principal Market Yard and Sub-Market Yards to the producers and persons engaged in transactions of sale or purchase therein, and in particular to construct, repair and maintain roads, pathways, market lanes and bye-lanes, shops, shelters, parking places, accommodation for storage, and such other amenities and facilities as may be prescribed in this behalf ;

[3][(vii-a) provide suitable facilities, for the proper development of hats and painths in the market area and to the persons engaged in transactions of sale and purchase therein ;

(vii-b) construct, repair and maintain link roads, path ways, market lanes and bye-lanes in the market area ;]

---

1. *Subs.* by section 8 (i) of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act No. 30 of 1974.
2. *Subs.* by *sec.* 8 (ii) (a).
3. *Ins.* by sec. 2 of U. P. Act No. 10 of 1991.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

ऐसी सुविधाओं की, [1][जो परिषद् द्वारा समय–समय पर समिति को दिये गये किसी निदेश में निर्दिष्ट की जायें,] अथवा समिति द्वारा आवश्यक समझी जायें, व्यवस्था करेगी, और ऐसे अन्य कार्य करेगी जो उस मण्डी–क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन के क्रय तथा विक्रय को विनियमित करने के लिये आवश्यक हों, और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करेगी जिनकी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन व्यवस्था की जाय ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति––

(1) निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन के उत्पादकों और उसके विक्रय या क्रय में लगे हुए व्यक्तियों के बीच न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करेगी ;

(2) प्रधान मण्डी–स्थल या उप–मण्डी–स्थलों में [2][विक्रेताओं] द्वारा बिक्री किये गये निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन के संबंध में [2][विक्रेताओं] को तत्काल भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगी ;

(3) निर्दिष्ट कृषि उत्पादन का वर्गीकरण तथा मान–स्थापन करेगी ;

(4) मण्डी–क्षेत्र मे प्रयुक्त होने वाले बाटों, मापों और तौलने तथा मापन के यंत्रों की जांच और सत्यापन करेगी और उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, 1959 के उपबन्धों के उल्लंघन की सूचना सम्बद्ध प्राधिकारियों को देगी ; उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1959

(5) ऐसी समस्त सूचना का संग्रह और प्रचार करेगी जो निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन के उत्पादकों और उसके क्रय या विक्रय में लगे हुए व्यक्तियों के लिये लाभप्रद हो, और विशेष रूप से, ऐसे कृषि–उत्पादन के उन स्थानों में प्रचलित मूल्यों की सूचना रखेगी जहां उसका निर्यात लाभप्रद हो अथवा जहां से उसका सम्बद्ध मण्डी–क्षेत्र में आयात करना मितव्ययिता पूर्ण हो ;

(6) व्यापारिक परिव्ययों, मण्डी परिपाटियों और निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय–विक्रय की प्रथाओं तथा रूढ़ियों को स्थिर और विनियमित करेगी ;

(7) प्रधान मण्डी–स्थल और उप–मण्डी स्थलों में उत्पादकों और वहां पर क्रय या विक्रय के सौदों में लगे हुए व्यक्तियों के लिये उचित सुख–सुविधाओं की व्यवस्था करेगी और विशेष रूप से सड़कों, मार्गों, मण्डी की गलियों और छोटी गलियों (bye-lanes), दुकानों, आश्रय–स्थानों, अड्डों, संग्रह–स्थानों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण करेगी तथा ऐसी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगी जो तदर्थ नियत की जायें ;

[3][(7–क) मण्डी क्षेत्र मे हाट और पैठ के समुचित विकास, और वहां पर क्रय और विक्रय के सौदो मे लगे हुये व्यक्तियों के लिये उचित सुविधाओं, की व्यवस्था करेगी ;

(7–ख) मण्डी क्षेत्र मे सम्पर्क सड़कों, मार्गो, मण्डी की गलियों और छोटी गलियों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण करेगी ;]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 8 (i) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 8 (ii) (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1991 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1][(vii-c) Mandi Samiti will construct, repair and maintain kisan Bazar in its Mandi area for sale of agricultural produce by the farmers directly to consumers, exhibition of art by folk artists; exhibition and sale of items made by handicraft and handloom artisans, sale of other products by different sellers, installment of shops selling the food or refreshment items or daily use items for farmers and consumers, setting up Kisan Rest House and Community Centre, and related activities.]

(viii) act as mediator or arbitrator in all matters of differences and disputed between the licensees inter se or between them and persons entering into transactions of sale or purchase of specified agricultural produce in the Principal Market Yard or Sub-Market Yards;

(ix) maintain proper accounts and get the same regularly audited in such manner as may be prescribed ;

(x) prepare the annual budget, wherein shall be shown the estimates of all advances, loans and grants for and the expenses to be incurred in the ensuing year, sand wherein provision shall be made [for the payment of interest on or repayment of, loans raised by it from or advances made to it by, the State Government, the Board or any financial institution including a Co-operative Bank recognized as such by the State Government by general or special or special order (hereinafter referred to as a recognized financial institution) and submit the same for approval to the Board ;][2]

Act no. 1 of 1894

(xi) prepare plans and estimates for works proposed to be undertaken by it in the Principal Market Yard and Sub-Market Yards and for that purpose take necessary steps for the acquisition of land under the Land Acquisition Act, 1894 ;

(xii) prosecute or defend any suit, action or proceedings in connection with its affairs, or for contravention of any of the provisions of this Act ;

(xiii) provide for safe custody and maintenance of its seal, account books and all other records ;

(xiv) control and regulate admission to and use of the Principal Market Yard and Sub-Market Yards ; and

(xv) perform such other functions and duties as may be prescribed.

Powers of the Committee

17. A Committee shall, for the purposes of this Act, have the power to —

(i) issue or renew licenses under this Act on such terms and conditions and subject to such restrictions as may be prescribed, or,

1. *Ins.* by sec. 2 of U. P. Act No. 04 of 2015.
2. *Subs.* by section 8 (ii) (b) of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act No. 30 of 1974.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1] [(7–ग) मण्डी समिति अपने मण्डी क्षेत्र मे किसानों द्वारा उनकी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने, किसान विश्राम गृह एवं सामुदायिक केन्द्र स्थापित करने, लोक कलाकारों द्वारा कला का प्रदर्शन करने, हैण्डीक्राफ्ट एंव अन्य उत्पादों को विभिन्न विक्रेताओं द्वारा विक्रय करने तथा किसानों एवं अन्य उपभोक्ताओं को फुटकर दैनिक उपयोग का सामान खरीदने व खान–पान की सुविधा उपलब्ध कराने एवं उक्त से सम्बन्धित गतिविधियों हेतु किसान बाजार का निर्माण, मरम्मत एवं अनुरक्षण करायेगी ।]

(8) प्रधान मण्डी–स्थल या उप–मण्डी–स्थलों में लाइसेंसधारियों में आपस में या लाइसेंसधारियों तथा उन व्यक्तियों के बीच, जो क्रय या विक्रय के सौदे करें, मतभेदों या विवादों के सभी मामलों में मध्यस्थ या विवाचक (arbitrator) के रूप में काम करेंगी ;

(9) उचित रूप से लेखा रखेगी और उसकी ऐसी रीति से जो नियत की जाय नियमित रूप से लेखा परीक्षा करायेगी ;

(10) वार्षिक बजट तैयार करेगी, जिसमें आगामी वर्ष के सभी अग्रिम धन, ऋण, अनुदान और किये जाने वाले व्यय के प्राक्कलन दिखाये जायेंगे तथा जिसमें उसके द्वारा राज्य सरकार, परिषद् अथवा राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त किसी वित्तीय संस्था से, जिसके अन्तर्गत कोई सहकारी बैंक भी है, (जिसे आगे मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था कहा गया है), लिये गये ऋण पर या इनके द्वारा उसे दिये गये अग्रिम धन पर ब्याज के भुगतान की या ऐसे ऋण के प्रतिदान की व्यवस्था की जायगी और उक्त बजट परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी ;][2]

(11) ऐसे निर्माण कार्यों के नक्शें और प्राक्कलन तैयार करेगी जो प्रधान मण्डी–स्थल तथा उप–मण्डी–स्थलों में करने का उसका विचार हो और उक्त प्रयोजन के लिये लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 के अधीन भूमि अर्जन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी ; ऐक्ट सं0 1, 1894

(12) अपने मामलों से संबंधित अथवा इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन का कोई वाद, अभियोग या कार्यवाही चलायेगी या उसका प्रविवाद करेगी ;

(13) अपनी मुहर, लेखा–पुस्तिकाओं तथा अन्य अभिलेखों की अभिरक्षा तथा उन्हें रखने का व्यवस्था करेगी ;

(14) प्रधान मण्डी–स्थल तथा उप मण्डी–स्थलों में प्रवेश करने तथा उनका उपयोग करने को नियंत्रित और विनियमित करेगी ; और

(15) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो नियत किये जायें ।

समिति के अधिकार

17–इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समिति के निम्नलिखित अधिकार होंगे––

(1) इस अधिनियम के अधीन ऐसी शर्तो और प्रतिबन्धों पर तथा ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो नियत किये जायें, लाइसेंस जारी या नवीकृत करना, अथवा उन

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 2015 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 8 (ii) (ख) द्वारा रखा गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

after recording reasons therefor, refuse to issues or renew any such license ;

(ii) suspend or cancel licenses issued or renewed under this Act :

Provided that before cancelling a license except on the ground of conduct which has led to the conviction of the licensee under section 37, the Committee shall afford reasonable opportunity to him to show cause against the action proposed ;

[1][(iii) levy and collect, —

(a) such fees as may be prescribed for the issue or renewal of licenses ; and

(b) market fee which shall be payable on transactions of sale of specified agricultural produce in the market area at such rates, being not less than one percentum and [2][not more than two percentum] of the price of the agricultural produce so sold as the State Government may specify by notification, and development cess which shall be payable on such transactions of sale at the rate of half percentum of the price of the agricultural produce so sold, and such fee or development cess shall be realized in the following manner :—

(1) if the produce is sold through a commission agent, the commission agent may realize the market fee and the development cess from the purchaser and shall be liable to pay the same to the Committee;

(2) if the produce is purchased directly by a trader from a producer, the trader shall be liable to pay the market fee and development cess to the Committee ;

(3) if the produce is purchased by a trader from another trader, the trader selling the produce may realize it from the purchaser and shall be liable to pay the market fee and development cess to the Committee :

Provided that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court, the trader selling the produce shall be liable and be deemed always to have been liable with effect from June 12, 1973 to pay the market fee to the Committee and shall not be absolved from such liability on the ground that he has realized it from the purchaser ;

Provided further that the trader selling the produce shall not be absolved from the liability to pay the development cess on the ground that he has not realized it from the purchaser ;

(4) in any other case of sale of such produce, the purchaser

1. *Subs.* by *sec.* 2 of U. P. Act No. 04 of 1999.

2. *Subs.* by *sec.* 9 of U. P. Act No. 24 of 2018.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी ऐसे लाइसेंस की जारी या नवीकृत करने से इंकार करना ;

(2) इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीकृत किये गये लाइसेंसों को निलम्बित या रद्द करना।

प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय ऐसे आचरण के आधार पर जिससे लाइसेंसधारी को धारा 37 के अधीन दोषी सिद्ध किया गया हो, लाइसेंस रद्द करने के पूर्व समिति उसे प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण प्रकट करने का समुचित अवसर देगी ;

[1][(3) (क) लाइसेंस देने या उसका नवीकरण करने के लिये ऐसे शुल्क लगाना, जो नियत किये जायें और उन्हें वसूल करना ; और

(ख) मण्डी शुल्क, जो मण्डी क्षेत्र मे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सौदों पर ऐसी दरों पर, जो इस प्रकार बेचे गये कृषि उत्पादन के मूल्य के एक प्रतिशत से कम और [2][दो प्रतिशत से अधिक न हो], जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे और विकास सेस जो ऐसे सौदों पर, इस प्रकार बेचे गये कृषि उत्पादन के मूल्य के आधा प्रतिशत की दर पर, लगाना और वसूल करना, और ऐसा मूल्य या विकास से निम्नलिखित रीति से वसूल किया जायेगा : ——

(1) यदि उत्पादन, आढ़तियां के माध्यम से बेचा जाये तो आढ़तिया क्रेता से मण्डी शुल्क और विकास सेस वसूल कर सकता है और वह समिति को उसका देनदार होगा ;

(2) यदि कोई व्यापारी सीधे उत्पादक से उत्पादन क्रय करे तो उत्पादन बेचने वाला व्यापारी उसे क्रेता से वसूल कर सकता है और वह समिति को मण्डी शुल्क और विकास सेस का देनदार होगा ;

(3) यदि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से उत्पादन क्रय करे तो उत्पादन बेचने वाला व्यापारी उसे क्रेता से वसूल कर सकता है और वह समिति की मण्डी शुल्क और विकास सेस का देनदार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उत्पादन बेचने वाला व्यापारी समिति को मण्डी शुल्क का देनदार होगा और 12 जून 1973 से सदैव से देनदार हुआ समझा जायेगा और इस आधार पर कि उसने उसे क्रेता से वसूल नही किया है, ऐसे दायित्व से मुक्त न होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्पादन बेचने वाला व्यापारी विकास सेत का भुगतान करने के दायित्व से ; इस आधार पर कि उसने उसे क्रेता से वसूल नही किया है, मुफ्त न होगा।

(4) ऐसे उत्पादन के विक्रय की किसी अन्य स्थिति में, क्रेता समिति को मण्डी शुल्क और विकास सेस का देनदार होगा ;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 1999 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

shall be liable to pay the market fee and development cess to the Committee :

Provided that no market fee or development cess shall be levied or collected on the retail sale of any specified agricultural produce where such sale is made to the consumer for his domestic consumption only :

Provided further that notwithstanding anything contained in this Act, the Committee may at the option of, as the case may be, the commission agent, trader or purchaser, who has obtained the license, accept a lump sum in lieu of the amount of market fee or development cess that may be payable by him for an agricultural year in respect of such specified agricultural produce, for such period, or such terms and in such manner as the State Government may, by notified order specify :

Provided also that [1][* * *] no market fee or development cess shall be levied on transactions of sale of specified agricultural produce on which market fee or development cess has been levied in any market area if the trader furnishes in the form and manner prescribed, a declaration or certificate that on such specified agricultural produce market fee or development cess has already been levied in any other market area.]

[2]**[**(c) User charge shall be levied and collected by the market committee in consideration to the rendered material or services in the principal market yard/sub-market yard/market sub-yard, as prescribed by the state government.]

[3]**[**(iii-a) realize interest calculated in the manner prescribed in the bye-laws [4][at the rate prescribed in the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 for the unpaid amount of Trade tax] on the unpaid amount of market fee from the date immediately following the period prescribed for payment of market fee in the bye-laws ;]

(iv) operate and utilize the Market Committee Fund for all or any of the purposes of this Act ;

[5][(v) raise from the State Government or the Board or, subject to previous sanction by the Board, from any other Committee or a recognized financial institution, moneys required for discharging its functions under this Act ;]

[6][(v-a) advance loans to the Board on such terms and conditions as may be mutually agreed upon between the Board and the Committee;

(v-b) advance loans to any other Committee subject to previous sanction of the Director on such terms and conditions as the Board may determine ;]

---

1. *Omit.* by *sec.* 2 of U. P. Act No. 1 of 2000.
2. *Ins.* by *sec.* 7 of U.P. Act No. 18 of 2020.
3. *Ins.* by *sec.* 3(b) of U. P. Act No. 10 of 1991.
4. *Subs.* by *sec.* 2 of U. P. Act No. 34 of 2006.
5. *Subs.* by *sec.* 7(b) of U. P. Act No. 06 of 1977.
6. *Ins.* by *sec.* 7(c) of U. P. Act No. 06 of 1977.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

प्रतिबन्ध यह है कि किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के फुटकर विक्रय पर कोई मण्डी शुल्क या विकास सेस नही लगाया जायगा न वसूल किया जायगा यदि ऐसा विक्रय उपभोक्ता को केवल उसे घरेलू उपयोग के लिये किया जाय :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, समिति, यथास्थिति, आढ़तिया, व्यापारी या क्रेता जिसमें लाइसेंस प्राप्त किया हो, के विकल्प पर किसी कृषि वर्ष के लिये, उसके द्वारा देय मण्डी शुल्क या विकास सेस की धनराशि के बदले में एक मुश्त धनराशि ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में ऐसी अवधि के लिये, ऐसी शर्तो पर और ऐसी रीति से जैसी कि राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, स्वीकार कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि [1][* * *] ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सौदों पर कोई मण्डी शुल्क या विकास सेस नहीं लगाया जायगा जिस पर किसी मण्डी क्षेत्र मे मण्डी शुल्क या विकास सेस लगाया जा चुका है, यदि व्यापारी विहित प्रारूप और रीति से घोषणा–पत्र या प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे कि ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन पर मण्डी शुल्क या विकास सेस किसी अन्य मण्डी क्षेंत्र में पहले ही लगाया जा चुका है।]

[2][(ग) राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रूप में प्रधान मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल/ मण्डी उप स्थल में प्रदत्त वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप मण्डी समिति द्वारा प्रयोक्ता प्रभार उद्‌ग्रहीत तथा संग्रहीत किया जायेगा।]

[3][(3–क) उपविधियों में मण्डी शुल्क के भुगतान के लिये नियत अवधि के ठीक वाद के दिनांक से मण्डी शुल्क की अदत्त धनराशि परन्तु [4][व्यापार कर की अदत्त धनराशि के लिये उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 में विहित दर से] ब्याज वसूल करना जिसकी गणना उप–विधियों में नियत रीति से की जायेगी;]

(4) इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिये मण्डी समिति–निधि का लेन–देन और उपयोग करना ;

[5][(5) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिये अपेक्षित धनराशि राज्य सरकार या परिषद् से या परिषद् की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए किसी अन्य समिति या मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से जुटाना ;]

[6][(5–क) परिषद् को, ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर जो परिषद् और समिति के मध्य परस्पर सम्मत हों, उधार देना ;

(5–ख) निदेशक की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर जिन्हें परिषद् अवधारित करे, किसी अन्य समिति को उधार देना ।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01, 2000 की धारा 2 द्वारा निकाला गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2020 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1991 की धारा 3(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 7(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 7(ग) द्वारा बढ़ाया गया

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(vi) employ, subject to the provisions of section 23, officers and servants of the Committee ;

(vii) appoint Sub-Committees, each consisting of two or more of its members, for exercising such powers, performing such duties and discharging such functions as may be assigned to them by the Committee ; and

(viii) exercise such other powers as may be prescribed.

[1][***Explanation* —** For the purpose of clause (iii), unless the contrary is proved, any specified agricultural produce taken out or proposed to be taken out of a market area by or on behalf of a licensed trader shall be presumed to have been sold within such area and in such case, the price of such produce presumed to be sold shall be deemed to be such reasonable price as may be ascertained in the manner prescribed.]

[2]**[17-A.** [Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, —

[3]**[**(a) Where the State Government or an authority as may be prescribed, is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do in encourage the establishment of Industrial or Agro Processing Units in the State and to promote the marketing of the specified agricultural produces to be used as raw material by the said units, it may on an application in such for as may be prescribed, by notification exempt mandi fee (excluding development cess) on such specified agricultural produce or produces as may be used by such newly established agro processing units as fulfill the condition that the cost of plant and machinery shall not be less than five crore rupees, for such period as may be specified in the notification no exceeding five years subject to such conditions as may be specified in the notification.

Provided that the State Government may be exempt market fee (excluding development cess) on a finished product of Industria or Agro Processing Units which is a specified agricultural produce and the material used therein is not a specified agricultural produce.]

[4]**[**(b) Where the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do to encourage the export of specified agricultural produce, it may on an application or otherwise by notification, exempt from mandi fee and development cess, on such specified agricultural produce or produces as may be exported in the prescribed manner by a licensee and for such period as may be specified in the notification not exceeding five years subject to

---

1. *Ins.* by *sec.* 2 of U. P. Act No. 12 of 1987.
2. *Ins.* by *sec.* 6 of U. P. Act No. 13 of 2004.
3. *Subs.* by *sec.* 2 of U.P. Act No. 7 of 2020.
4. *Subs.* by *sec.* 3(b) of U.P. Act No. 17 of 2005.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(6) धारा 23 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति के अधिकारियों और सेवकों को नियोजित करना ;

(7) समिति के दो या अधिक सदस्यों की उपसमितियां नियुक्त करना जो ऐसे अधिकारों का प्रयोग, कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करें, जो समिति द्वारा उन्हें सौपे जायें ; और

(8) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना जो नियत किये जायें ।

[1][**स्पष्टीकरण**— खण्ड (3) के प्रयोजनों के लिये, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, किसी लाइसेंस प्राप्त व्यापारी द्वारा या उसकी ओर से किसी मण्डी क्षेत्र के बाहर ले जाये गये या ले जाने के लिये प्रस्तावित किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में यह उपधारणा की जायगी कि उसे ऐसे क्षेत्र के भीतर बेचा गया है और ऐसी स्थिति में, ऐसे उत्पादन के, जिसके बेचे जाने की उपधारणा की जाय, मूल्य को ऐसा युक्तियुक्त मूल्य समझा जायगा जैसा नियत रीति से अभिनिश्चित किया जाय ।]

[2]**[17–क**–[(इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ––

[3]**[**(क) जहाँ राज्य सरकार अथवा यथाविहित प्राधिकारी की यह राय हो कि राज्य में औद्योगिक या कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और उक्त इकाइयों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किये जाने वाले विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के विपणन को सम्प्रवर्तित करने के लिए लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वहाँ वह ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि विहित किया जाये, आवेदन करने पर अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, के अध्यधीन ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद या उत्पादों पर अनधिक पाँच वर्षों की अवधि, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, के लिए मण्डी शुल्क (विकास उपकर को छोड़कर) से छूट प्रदान कर सकती है जिन्हें ऐसी नवस्थापित कृषि प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा उपयोग किया जा सकता है जो इस शर्त को पूरा करती हों कि उनके संयंत्र और मशीनरी की लागत पाँच करोड़ रुपये से कम नहीं है :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, औद्योगिक या कृषि प्रसंस्करण इकाईयों के तैयार उत्पाद, जो कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद हो और उसमें प्रयुक्त सामग्री कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद न हो, पर (विकास उपकर को छोड़कर) से छूट प्रदान कर सकती है।**]**

[4]**[**(ख) जहाँ राज्य सरकार की राय हो कि विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ वह, आवेदन किये जाने पर या अन्यथा अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन या उत्पादनों पर ऐसी अवधि जो पाँच वर्ष से अधिक नही होगी, के लिए जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, मण्डी

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1987 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2020 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 2005 की धारा 3(ख) द्वारा बढ़ाया गया।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

such conditions and restrictions as may be specified in the notification;

Provided that in the case of a new total export-oriented industrial or agro processing unit that use perishable specified agricultural produce as raw material, the period of exemption under this clause may be extended for a period not exceeding ten years.]

(2) The State Government on being satisfied that it is expedient so to do, in public interest may, by notification, rescind any of the notification issued under sub-section (1) before the expiry of the period for which it was to remain in force.]

Contract, etc. on behalf of the Committee

18. (1) Every contract by or on behalf of the Committee shall be made in the prescribed manner.

(2) No contract made by or on behalf of the Committee in contravention of the provisions of sub-section (1) shall be binding on it.

(3) Every order of the Committee shall be authenticated by its official seal and the signature of the Chairman, or during his absence or incapacity, of the Vice-Chairman or, where so authorized by it, of the Secretary.

Market Committee Fund and its utilizations

19. (1) There shall be established for each Committee, a fund to be called "Market Committee Fund" to which shall be credited all moneys received by it including all loans raised by it and advances and grants made to it.

(2) all expenditure incurred by the Committee in carrying out the purposes of this Act shall be defrayed out of the said fund, and the surplus, if any, shall be invested in such manner as may be prescribed.

(3) Without prejudice to the generality of the provisions contained in section 16, the Committee may utilize its funds for payment of all or any of the following —

(i) expenses incurred in auditing the account of the Committee ;

(ii) salaries, pensions and allowances including allowances for leave, gratuities, compassionate allowance, medical aid and contributions towards provident fund and pensions of the officers and servants employed by or for it ;

(iii) expenses of and incidental to elections under this Act ;

[1] [(iv) the principal amount of or interest on loans and advances referred to in clause (x) of sub-section (2) of section 16 ;

(iv-a) the rent of and taxes on any land and building in possession of the Committee ;]

(v) expenses on collection, maintenance dissemination and

1. *Subs.* by section 10 (i) (a) of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act No. 30 of 1974.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

शुल्क और विकास सेस से छूट प्रदान कर सकती हे, जिन्हें लाइसेंसधारी द्वारा विहित रीति से निर्यात किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी नये पूर्णरूपेण निर्यातोन्मुख औद्योगिक या कृषि प्रसंस्करण इकाई के मामले में, जो नष्ट होने वाले विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग करती हो, इस खण्ड के अधीन छूट की अवधि 10 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ायी जा सकती है ।]

(2) राज्य सरकार, इस बात का समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, अधिसूचना द्वारा ऐसी अवधि जो प्रवृत्त थी, की समाप्ति के पूर्व उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना को विखण्डित कर सकती है ।]

समिति की ओर से संविदा आदि

18–(1) समिति द्वारा या उसकी ओर से प्रत्येक संविदा नियत रीति से निष्पादित की जायगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके समिति द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित कोई भी संविदा उस पर बंधनकारी न होगी ।

(3) समिति की प्रत्येक आज्ञा सभापति के हस्ताक्षर से या उसके अनुपस्थित अथवा असमर्थ होने पर उस सभापति के, या जब समिति द्वारा प्राधिकार दिया गया हो तो सचिव के हस्ताक्षर से और समिति को अधिकारिक मुहर लगाकर प्रमाणित की जायेंगी ।

मण्डी समिति निधि और उसका उपयोग

19–(1) प्रत्येक समिति के लिये एक निधि स्थापित की जायगी जो मण्डी समिति निधि कहलायेगी तथा जिसमें समिति द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां, जिनके अन्तर्गत उसके द्वारा लिये गये सभी ऋण तथा उसे दिये गये अग्रिम धन और अनुदान भी है, जमा की जायेगी ।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये समिति द्वारा किये गये सभी व्यय उक्त निधि से किये जायेंगे और यदि कोई अधिशेष धनराशि हो, तो वह ऐसी रीति से विनियोजित की जायेगी जो नियत की जाये ।

(3) धारा 16 के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समिति अपनी निधि का उपयोग निम्नलिखित सभी या किसी एक का भुगतान करने के लिये कर सकती है ––

(1) समिति के लेखों की लेखा–परीक्षा में हुए व्यय ;

(2) समिति द्वारा या उसके लिये नियोजित अधिकारियों तथा सेवकों के वेतन, पेन्शन और भत्ते, जिनके अन्तर्गत अवकाश–भत्ते, उपदान (Gratuities), कारूण्य भत्ते (Compassionate allowance), चिकित्सा–सहायता और भविष्य निधि तथा पेंशन में अंशदान भी है ;

(3) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के व्यय और उसके प्रासंगिक व्यय ;

[1][(4) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (10) में अभिदिष्ट ऋण तथा अग्रिम धन की मूल धनराशि अथवा उन पर ब्याज ;

(4–क) समिति के कब्जे में किसी भूमि या भवन या किराया और उसके कर ;]

(5) ऐसी समस्त सूचना जो, उत्पादकों और कृषि–उत्पादन के क्रय–विक्रय में लगे

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 10 (i) (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

supply of all such information as may be of interest to the producers and other persons engaged in sale and purchase of agricultural produce including that relating to crop statistics and market intelligence ;

(vi) cost of land or buildings acquired for the purposes of this Act;

(vii) cost of construction and repairs of buildings necessary for the Market Yards and for the health, convenience and safety of the persons using them ;

(viii) cost of maintenance, development and improvement of the Market Yards ;

[1] [(ix) expenses in providing facilities and comforts such as shelter, shed, parking accommodation and water for persons, draught cattle, pack animals and vehicles coming to the Market Area and on agricultural improvement and development of agricultural marketing in the Market Area including the construction, maintenance and repair of link roads, culverts, bridges and other such purposes ;]

(x) travelling and other allowances to the members of the Market Committee ;

(xi) loans and advances to the employee of the Market Committee;

[2][(xi-a) financial assistance to charitable institutions approved by the Board or recognized educational institutions, subject to a maximum of four per cent of total receipts excluding money raised under clause (v) of section 17 and grants made by Government in the previsious financial year.]

(xii) such other expenses as may be prescribed :

[3][Provided that the annual expenditure in respect of matters specified in clause (ii) shall not exceed ten per cent of the total annual receipts of the Committee, excluding loans raised by it and advances or grants made to it, except with the prior approval of the [Board.][4]]

[5][Provided further that all moneys realized as additional market fee under the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Amendment) Ordinance, 1983 shall be utilized in the Market Area only for the purposes specified in clause (ix).]

(4) [* * * * *][6]

---

1. *Subs.* by *sec.* 2 of U. P. Act No. 12 of 1985.
2. *Subs.* by *sec.* 3 of U.P. Act No. 7 of 2020.
3. *Add.* by *sec.* 9 of U. P. Act No. 10 of 1970.
4. *Subs.* by section 10 (1) (d) of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act No. 30 of 1974.
5. *Ins.* by *sec.* 2 of U. P. Act No. 12 of 1985.
6. *Omit.* by *sec.* 8 of U. P. Act No. 06 of 1977.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

हुए अन्य व्यक्तियों के हित में हो, जिसके अन्तर्गत शस्य सांख्यिकी (Crop-Statistics) और मण्डी परिज्ञान (intelligence) भी है, के संग्रह, अनुरक्षण, प्रचार ओर संभरण पर व्यय ;

(6) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अर्जित भूमि या भवनों का व्यय ;

(7) मण्डी–स्थलों के लिये और उनका प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुविधा तथा सुरक्षा के लिये आवश्यक भवनों के निर्माण और मरम्मत का व्यय ;

(8) मण्डी–स्थलों के अनुरक्षण, विकास और सुधार का व्यय ;

1[(9) मण्डी क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों, भारवाही पशुओं, लद्दू पशुओं और वाहनों के लिए आश्रय स्थल, रोड, गाड़ी खड़ी करने की जगह और जल जैसी सुविधाओं और सुख–साधन की व्यवस्था करने पर और मण्डी क्षेत्र मे कृषि सुधार और कृषि विपणन के विकास पर जिसके अन्तर्गत सम्पर्क सड़क, पुलिया, पुल का निर्माण, अनुरक्षण ओर मरम्मत और अन्य ऐसे प्रयोजन भी है, व्यय;]

(10) मण्डी समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते ;

(11) मण्डी समिति के कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम धन ;

2[(11–क) परिषद द्वारा अनुमोदित पूर्व संस्थाओं या मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को, पूर्व वित्तीय वर्ष में धारा 17 के खण्ड (5) के अधीन जुटाई गयी धनराशि और सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों को छोड़कर कुल प्राप्तियों के अधिकतम चार प्रतिशत तक वित्तीय सहायता।]

(12) ऐसे अन्य व्यय जो नियत किये जायें :

3[प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (2) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में वार्षिक व्यय, समिति की कुल वार्षिक प्राप्तियों के, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा लिये गये ऋण और उसे दिये गये अग्रिम धन या अनुदान नहीं है, दस प्रतिशत से अधिक, सिवाय 4[परिषद्] के पूर्वानमोदन के, न होगा।]

5[अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अधीन अतिरिक्त मण्डी शुल्क के रूप में वसूल की गयी समस्त धनराशि का उपयोग मण्डी क्षेत्र मे केवल खण्ड (9) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जायगा।]

(4) 6[* * * *]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1985 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7 सन् 2020 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 10 (i) (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1985 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1][(5) Every committee shall, out of its total receipts excluding moneys raised under clause (v) of section 17, money realized as development cess ad grants made by the State or Central Government in the financial year, keep only fifty per cent or rupees ten crore, whichever is less and transfer the remaining amount to the Board as contribution.]

[2][(6) Every Committee shall pay to the Board every month all moneys realized as development cess which shall be credited to the Central Mandi Fund established under section 26-PPP.]

Priorities of liabilities of the Committees

[19-A. The revenues of a Committee, shall, after meeting its operating, maintenance and management expenses, be applied as far as they are available in the following order, namely :—

(i) the repayment of principal amount of, and interest on, loans not guaranteed by the State Government ;

(ii) the repayment of principal amount of, and interest on, loans guaranteed by the State Government ;

(iii) the repayment of principal amount of, and interest on, sums paid by the State Government under guarantees, if any, by that Government ;

(iv) the repayment of principal amount of, and interest on loans taken from the State Government ;

(v) the balance remaining to be utilized for the education of fees payable to the Committee under this Act or for expenses incurred in the discharge of any of the functions of the Committee, as the Committee may think fit or the Board may direct.]

Market development fund

[3][19-B. (1) There shall be established for each committee, a fund to be called Market Development Fund to which the following amounts shall be credited —

(a) sixty five per cent of the amount standing to the credit of the Market Committee Fund immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Laws (Amendment) Act, 1978 ;

(b) such other amounts as may from time to time be directed by the Board to be credited to this fund.

(2) The Market Development Fund shall be applied for the purposes of the development of the market area, and no amount shall either be spent from the fund or be invested except in accordance with the directions issued by the Board from time to time.]

---

1. *Subs.* by *sec.* 10 of U. P. Act No. 24 of 2018.
2. *Ins.* by *sec.* 3 (b) of U. P. Act No. 04 of 1999.
3. *Ins.* by *sec.* 6 of U. P. Act No. 07 of 1978.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1][(5) प्रत्येक समिति वित्तीय वर्ष में धारा 17 के खण्ड 5 के अधीन जुटाई गयी धनराशि, विकास सेस के रूप में वसूल की गयी धनराशि और राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों को छोड़कर उसकी कुल प्राप्तियों मे से केवल पचास प्रतिशत अथवा दस करोड़ रूपयें जो भी कम हो, रखकर शेष धनराशि परिषद को अंशदान के रूप में अन्तरित करेगी ।]

[2][(6) प्रत्येक समिति विकास सेस के रूप में वसूल की गयी समस्त धनराशि को प्रत्येक माह परिषद् को भुगतान करेगी, जिसे धारा 26–ततत के अधीन स्थापित केन्द्रीय मण्डी निधि में जमा किया जायगा ।]

समिति के दायित्वों की पूर्विकता

[19–क– समिति के परिचालन, अनुरक्षण तथा प्रबन्ध संबंधी व्ययों को पूरा करने के पश्चात् उसकी यथा उपलब्ध आय का उपयोग निम्नलिखित क्रम में किया जायगा, अर्थात् :—

(1) ऐसे ऋण के, जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत न हो, मूल धन और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय ;

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋण का मूलधन और उस पर ब्याज का प्रति–संदाय ;

(3) राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों, यदि कोई हों, के अधीन, उस सरकार द्वारा संदत्त मूलधन और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय ;

(4) राज्य सरकार से लिये गये ऋण का मूलधन और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय ;

(5) शेष धनराशि का उपयोग इस अधिनियम के अधीन समिति को सदेय शुल्कों को कटौती करने के लिये अथवा समिति से किन्हीं भी कृत्यों का निर्वहन करने में उपगत व्ययों के लिये, जैसा समिति ठीक समझे अथवा जैसा परिषद् निदेश दे ।]

मण्डी विकास निधि

[3]**[19–ख–** (1) प्रत्येक समिति के लिए एक निधि स्थापित की जायेगी जिसे "मण्डी विकास निधि" कहा जायगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी : ——

(क) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मंडी समिति निधि में जमा धनराशि का पैंसठ प्रतिशत ;

(ख) ऐसी अन्य धनराशि जिसे इस निधि में जमा करने के लिए परिषद् द्वारा समय–समय पर निर्देश दिया जाय ।

(2) मण्डी विकास निधि का उपयोग मण्डी क्षेत्र के विकास के प्रयोजनार्थ किया जायगा, और निधि से कोई धनराशि, सिवाय परिषद् द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार, न तो व्यय और न विनिहित की जायगी ।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 1999 की धारा 3(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 07, 1978 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1][(3) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (2), the Market Development Fund shall be utilized for the following purposes, namely —

(i) facilities to the agriculturists, other producers and payers of market fees in the form of amenities, market, intelligence, proper weighment, grading, quality control, storage and infrastructure for value addition activities, reduction of mal-practices, multiple trade charges, levies and other exactions, special facilities for different trades in the New Market Yard, and such other facilities for as may be deemed necessary under the provisions of the Act in the market area ;

(ii) development of principal market yards, sub-market yards hats and painths and construction of new Market Yards and construction, maintenance and repair of link roads and other development works in the market area ;

(iii) other development and regulatory purposes under the Act.

Explanation — 'New Market Yard' means the place or places specified under clause (b) of sub-section (2) of section 7, for carrying on wholesale transactions.]

Recovery of sums due to Committee as arrears of land revenue and power to write off irrecoverable dues

20. (1) Any amount due to the Committee, if not paid within the prescribed period, may be recovered as arrears of land revenue.

(2) A Committee may write off any amount due to it, if it is certified by the Collector to be irrecoverable :

Provided that no amount exceeding Rs. 200 shall be written off without the prior approval of the Director.

Surcharge

[21. (1) The Chairman, Vice-Chairman and every member, officer and servant of the Committee shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the Committee, if such a loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct while acting as Chairman, Vice-Chairman, member, officer or servant.

(2) The procedure of surcharge and the manner of the recovery of the amount involved in loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed.

(3) No suit shall lie in any court for the recovery of any sum recoverable in the manner prescribed under sub-section (2).] [2]

CHAPTER – IV

Officers and Servants of the Committee

Powers and duties of the Chairman and the Vice-Chairman

22. (1) The Chairman, and in his absence the Vice-Chairman, shall, subject to the provisions of this Act and the rules and bye-laws made thereunder and the resolutions, if any, of the Committee,

1. *Ins.* by *sec.* 5 of U. P. Act No. 10 of 1991.
2. *Subs.* and be deemed always to have been substituted by sec. 12 of President Act No. 13 of 1973.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1][(3) उपधारा (2) के उबपन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मण्डी विकास निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, अर्थात् : ––

(1) कृषकों, अन्य उत्पादकों और मण्डी शुल्क देने वालो को निम्नलिखित रूपों में सुविधायें प्रदान करना : ––

सुख–सुविधायें, मण्डी विषयक आसूचनाएं, उचित तौल, वर्गीकरण, क्वालिटी नियंत्रण, भण्डारण, उपयोगितावर्धन, क्रिया–कलापों के लिये आधारभूत संरचनायें, कुपधतियों, बहु व्यापार–प्रभार, उदग्रहण तथा अन्य आहरण में कमी लाना, नीवन मण्डी स्थल मे ंविभिन्न व्यापारों के लिए विशेष सुविधायें तथा अन्य ऐसी सुविधायें देना जो अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मण्डी क्षेत्र में आवश्यक समझी जायें ;

(2) प्रधान मण्डी स्थलों, उप मण्डी स्थलों, हाठ और पैठ का विकास करना और नवीन मण्डी स्थलों का निर्माण करना और मण्डी क्षेत्र मे सम्पर्क सड़कों और अन्य विकास कार्यो का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत करना ;

(3) अधिनियम के अधीन अन्य विकास और सुव्यवस्था विषयक प्रयोजन ।

स्पष्टीकरण :–– "नवीन मण्डी स्थल" का तात्पर्य थोक सौदा करने के लिये धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों से है ।]

समिति को देय धनराशियों की मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूली तथा वसूल न होने योग्य देयों के बट्टे खाते डालने का अधिकार

20–(1) यदि नियत अवधि के भीतर समिति को देय किसी धनराशि का भुगतान न किया गया हो तो वह मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है ;

(2) समिति किसी धनराशि को बट्टे खाते डाल सकती है जो उसे देय हो, यदि कलेक्टर प्रमाणित कर दे कि वह वसूल होने योग्य नही है :

प्रतिबन्ध यह है कि 200 रू0 से अधिक कोई भी धनराशि, निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना, बट्टे खाते नही डाली जाएगी ।

अधिभार

[**21**–(1) समिति का सभापति, उप सभापति, प्रत्येक सदस्य, अधिकारी और सेवक, समिति को किसी धनराशि या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरूपयोग होने पर अधिभार के लिए उत्तरदायी होगा, यदि ऐसी हानि अपव्यय या दुरूपयोग ऐसे सभापति, उप सभापति, सदस्य, अधिकारी या सेवक के रूप में कार्य करते हुए उसकी उपेक्षा या दुराचरण का सीधा परिणाम हो ।

(2) अधिभार के लिए प्रक्रिया और हानि, अपव्यय या दुरूपयोग हुई धनराशि की वसूली ऐसी रीति से की जाएगी जो नियत की जाय ।

(3) किसी ऐसे धनराशि की वसूली के लिए, जो उपधारा (2) के अधीन विहित रीति से वसूल की जा सकती है, किसी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नही किया जाएगा ।][2]

अध्याय – 4

समिति के अधिकारी तथा सेवक

सभापति तथा उपसभापति के अधिकार और कर्त्तव्य

22– (1) सभापति, और उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और उपविधियों तथा समिति के संकल्पों, यदि कोई

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1991 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उ0 प्र0 राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित एवं सदैव से प्रतिस्थापित समझी जाय ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

exercise superintendence and control over the officers and servants of the Committee and shall exercise such other powers and perform such duties as may be prescribed or delegated to him by the Committee by a resolution passed by it in this behalf.

(2) The Chairman, and in his absence the Vice-Chairman, shall preside over the meetings of the Committee. In the absence of both, any member chosen by the members present in a meeting shall preside at that meeting.

Appointment of officers and servants of the Market Committee and their conditions of service

23. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made in this behalf, the Committee, its Chairman or Secretary to the extent empowered under the bye-laws or resolutions passed by the Committee, may appoint such officers and servants as may be necessary for carrying out the purposes of this Act on such terms and conditions of service as may be provided for in the bye-laws of the Committee.

[1][(2) Every Committee shall have [2][such number of Secretaries] and such other offices as may be considered necessary by the Board for the efficient discharge of the functions of the Committee, appointed by the Board on such terms and conditions as may be provided for in the regulations made by it ;]

(3) [* * * *][3]

Constitution of Centralized service and transfer of employees

[4]**[23-A.** (1) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, the Board may constitute cadres of secretaries and such other officers common to all committee as it may deem fit to appoint under sub-section (2) of section 23.

[5][(2) Subject to the provisions of sub-section (2-B) —

(a) every person, other than a Government servant, serving in any committee on deputation, who holds a post comprised in the cadre referred to in sub-section (1), and

(b) every Government servant, serving in any committee on deputation on a post in the said cadre, who is not found to be unsuitable, suitability being determined in such manner as may be laid down in regulations.

Shall on and from the date of the constitution of the said cadre (hereafter in this section to be referred to as the said date) become member of the cadre on the terms and conditions mentioned in sub-section (2-A).

---

1. *Subs.* by *sec.* 13 of U. P. President Act 13 of 1973.
2. *Subs.* by *sec.* 6 of U. P. Act No. 10 of 1991.
3. *Omit.* by *sec.* 13 (ii) of U.P. President Act 13 of 1973.
4. New *sec.* 23-A *Ins.* by *sec.* 14 of U.P. President Act 13 of 1974.
5. *Subs.* by *sec.* 3 of U. P. Act No. 20 of 1984.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

हों, के अधीन रहते हुए, समिति के अधिकारियों तथा सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा तथा ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग ओर कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो नियत किए जायें या समिति द्वारा तदर्थ पारित संकल्प द्वारा उसे प्रतिनिहित किए जायें । के अधिकार और कर्त्तव्य

(2) सभापति, और उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति, समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, दोनों की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्योंक द्वारा चुना गया कोई सदस्य, उस बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

समिति के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्ते

23– (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के तथा तदर्थ बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, समिति द्वारा पारित संकल्प द्वारा या उपविधियों द्वारा अधिकृत सीमा तक, समिति, उसका सभापति या सचिव ऐसे अधिकारियों और सेवकों को, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों, सेवा की ऐसी शर्तो पर, जिनकी व्यवस्था समिति की उपविधियों में की जाए, नियुक्त कर सकता है ।

[1][(2) प्रत्येक समिति [2][के उतने सचिव] और ऐसे अन्य अधिकारी होंगे जिन्हें परिषद् समिति के कृत्यों का दक्षता से निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे, जो परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित शर्तो तथा निबन्धनों पर नियुक्त किए जा सकेंगे।]

(3) [3][* * * *]

केन्द्रीय सेवा का संघटन तथा कर्मचारियों का स्थानान्तरण

[4]**[23–क–** (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् सभी समितियों के लिए सचिवों और ऐसे अन्य अधिकारियों का एक सामान्य संवर्ग संघटित करेगी जिन्हें वह धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त करना ठीक समझे ।

[5][(2) उपधारा (2–ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,

(क) किसी समिति में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत सरकारी सेवक से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट संवर्ग में समाविष्ट कोई पद धारण करता हो, और

(ख) उक्त संवर्ग में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर किसी समिति में सेवारत प्रत्येक सरकारी सेवक, जो अनुपयुक्त न पाया जाय, उसकी उपयुक्तता ऐसी रीति से अवधारित की जायगी जैसी विनियमों में निर्धारित की जाय।

उक्त संवर्ग के गठन के दिनांक को और उसी दिनांक से (जिसे आगे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) उपधारा (2–क) में उल्लिखित निबन्धनों और शर्तो पर संवर्ग का सदस्य हो जायगा ।

---

1. उ0 प्र0 राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 13, 1973 की धारा 13 (प) द्वारा रखी गई ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1991 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 13, 1973 की धारा 13 (ii) द्वारा निकाली गई ।
4. उपर्युक्त की धारा 14 द्वारा नयी धारा 23.क अन्तःस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1984 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2-A) Every person, who becomes a member of the cadre under sub-section (2) shall hold office by the same tenure, at the same remuneration, upon the same terms and conditions, and which the same rights and privileges as to pension, gratuity and other matters as he could have been entitled to on the said date but for the constitution of the cadre and shall continue to be so entitled until his employment as a member of the cadre is terminated or until his remuneration or other terms and conditions of service are revised or altered by the Board under or in pursuance of any law or in accordance with any provision which for the time being governs his service.

(2-B) Nothing contained in sub-section (2) shall apply to a person who, by notice in writing, given to the State Government, within such time as the State Government may, by general or special order specify intimates his intention of not becoming a member of the said cadre.

(2-C) The services of an employee, under a committee, who opts against absorption, shall stand terminated on the ground of abolition of post and, on such termination, he shall be entitled to receive from the concerned committee compensation equivalent to —

(a) three months emoluments in case of permanent employee ;

(b) one month's emoluments in case of temporary employee,

(2-D) A Government servant serving in any committee on deputation on any post in the cadre, referred to in sub-section (1) who opts against absorption or who is not found suitable, shall be reverted to his parent department and, if having regard to his seniority, a post is not available for him in the parent department his services shall stand terminated with effect from the date of the order of reversion. on the ground of abolition of post and, on such termination, he shall be entitled to receive, from the State Government, compensation equivalent to the amount mentioned in sub-section (2-C).][1]

(3) Notwithstanding anything in sub-section (2) but subject to any express agreement to the contrary, any person referred to therein, who becomes a member of the cadre shall be liable to be transferred from any Committee in which he was employed immediately before the said date to any other Committee at the same remuneration and on the same terms and conditions as governed him immediately before such transfer.

(4) The sums standing to the credit of the employees referred to in sub-section (2) in any pension, provident fund, gratuity or other like funds constituted for them shall be transferred by the State Government or the Committee concerned, as the case may be, to the Board along with any accumulated interest due till the said date, along with the accounts relating to such funds, and the Board shall, to the exclusion of the State Government and of any Committee, be liable for the payment of pension, provident fund, gratuity or other like dues as

---

1. *Subs.* by *sec.* 3 of U.P. Act No. 20 of 1984.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2—क) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (2) के अधीन संवर्ग का सदस्य हो जाता है उतनी ही पदावधि के लिये, उसी पारिश्रमिक पर, उन्हीं निबन्धनों और शर्तो पर और पेंशन, उपदान और अन्य विषयों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद धारण करेगा जिन पर वह उक्त दिनांक को हकदार होता यदि संवर्ग का गठन न हुआ होता, और इस प्रकार हकदार बना रहेगा जब तक कि संवर्ग के सदस्य के रूप में उसका सेवायोजन समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि किसी विधि के अधीन या उसके अनुसरण मे ंया किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार जिससे तत्समय उसकी सेवा नियंत्रित होती है, परिषद् द्वारा उसके पारिश्रमिक या सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तो का पुनरीक्षण या परिवर्तन न कर दिया जाय ।

(2—ख) उपधारा (2) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार की, ऐसे समय के भीतर, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, दी गई लिखित सूचना द्वारा उक्त संवर्ग का सदस्य न होने के अपने आशय की सूचना दे ।

(2—ग) किसी समिति के अधीन किसी कर्मचारी की सेवायें, जो आमेलन के विरूद्ध विकल्प करता है, पद समाप्त किये जाने के आधार पर समाप्त हो जायेंगी और इस प्रकार सेवा समाप्ति पर, वह सम्बद्ध समिति से निम्नलिखित के बराबर प्रतिकर पाने का हकदार होगा ——

(क) किसी स्थायी कर्मचारी की स्थिति में, तीन मास की परिलब्धियां ;

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की स्थिति में, एक मास की परिलब्धियां ।

(2—घ) किसी सरकारी सेवक को जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट संवर्ग मे ंकिसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर किसी समिति में सेवारत हो, आमेलन के विरूद्ध विकल्प करता है या जिसे उपयुक्त न पाया जाय, उसके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया जायगा और यदि उसकी ज्येष्ठता को ध्यान में रखते हुए, मूल विभाग में उसके लिये कोई पद उपलब्ध नही है तो उसकी सेवायें पद के समाप्त किये जाने के आधार पर प्रत्यावर्तन के आदेश के दिनांक से समाप्त हो जायेंगी और इस प्रकार सेवा की समाप्ति पर, वह राज्य सरकार से उपधारा (2—ग) में उल्लिखित धनराशि के बराबर प्रतिकर पाने का हकदार होगा ।][1]

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु किसी अभिव्यक्त प्रतिकूल करार के अधीन रहते हुए, उसमें निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो संवर्ग का सदस्य हो जाय किसी समिति से जिसमें वह उक्त तारीख के ठीक पूर्व नियोजित था, किसी अन्य समिति मे उसी पारिश्रमिक तथा उन्ही निबन्धनों एवं शर्तो पर जिनसे वह ऐसे स्थानान्तरण के ठीक पूर्व नियंत्रित होता था, स्थानान्तरित किया जा सकेगा ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिए गठित किसी पेंशन, भविष्य निधि, उपदान अथवा तत्सदृश अन्य निधियों में उनके नाम जमा धनराशि, यथास्थिति, राज्य सरकार या संबद्ध समिति द्वारा उक्त तारीख तक शोध्य संचयित ब्याज और ऐसी निधि से संबंन्धित लेखे सहित परिषद् को अन्तरित कर दी जायगी और राज्य सरकार तथा किसी समिति को छोड़कर, परिषद् ऐसे कर्मचारियों को निवृत्ति वेतन, भविष्य निधि, उपदान या अन्य तत्सदृश शोध्यों को, जो उनकी सेवा की शर्तो के अनुसार, समुचित समय पर, उन्हें

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 20, 1984 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

may be payable to such employees at the appropriate time in accordance with the conditions of their service.

(5) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force the transfer of services of any employee to any cadre under sub-section (2) shall not entitle any such employee to any compensation under such law, and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or authority.

(6) Every permanent or temporary employee of the State Government or of a Committee becoming a member of the Cadre under sub-section (2) shall, on and from the said date become a permanent or temporary member of the cadre as the case may be, against a permanent or temporary post which shall stand created in such cadre with effect from the said date.

(7) Nothing in para 426 or 436 of the Civil Service Regulations as applicable to Government servants under the rule making control of the State Government or in any other rules relating to employees of the Committees in relation to retrenchment or abolition of post shall, except to the extent provided in this section, apply to any employee referred to in sub-section (2).][1]

Functions, powers and duties of the Secretaries

24. [2][(1) The Secretary of a Committee shall be its chief executive officer, and shall, subject to the provisions of this Act, perform such functions, exercise such powers and discharge such duties, as may be prescribed, or provided for in the bye-laws or as the Board or the Director, may, by order in writing direct :

Provided that when more than one Secretaries are posted in a Committee, the Director shall nominate one of the Secretaries to be its Chief executive officer and shall determine the functions to be performed, powers to be exercised and duties to be discharged by each of them.]

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, but subject to the provisions of this Act and the rules and bye-laws made thereunder the Secretary shall —

(a) exercise all powers of superintendence and control over —

(i) all officers and servants of the Committee so as to ensure proper and efficient discharge of the duties assigned to them by or under this Act ; and

(ii) the affairs of the Committee ;

[3][(b) report cases of neglect, misconduct or dereliction of duty by an employee of the Committee to the appointing authority for

1. *Ins.* by section 14 of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act No. 30 of 1974.

2. *Subs.* by *sec.* 7 of U. P. Act No. 10 of 1991.

3. *Subs.* by *sec.* 9 of U. P. Act No. 06 of 1977.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

संदेय हो, संदाय करने के लिए दायी होगी ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन किसी संवर्ग में किसी कर्मचारी की सेवाओं के स्थानान्तरण से कोई ऐसा कर्मचारी ऐसी विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार न होगा, और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा ।

(6) राज्य सरकार अथवा किसी समिति का प्रत्येक स्थायी या अस्थायी कर्मचारी उपधारा (2) के अधीन संवर्ग का सदस्य होने पर उक्त तारीख को ओर से स्थायी या अस्थायी पद के प्रति जो उक्त तारीख से ऐसे संवर्ग में सृजित हो जाएगा, संवर्ग का यथास्थिति, स्थायी या अस्थायी सदस्य हो जायगा ।

(7) राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के नियंत्रणाधीन सरकारी सेवकों पर लागू सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के पैरा 426 या 236 अथवा पदों की छटनी या उनको समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में समितियों के कर्मचारियों से संबंधित किन्हीं अन्य नियमों की कोई बात, इस धारा मे ंउपबन्धित विस्तार के सिवाय उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी पर लागू न होगी।][1]

24–[2][(1) समिति का सचिव उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, और इस अधिनियम के उबपन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे कृत्यों का सम्पादन, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियत किये जाये या जो उपविधियों में उपबन्धित किये जायें या जैसा परिषद् या निदेशक लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे :

प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी एक समिति में एक से अधिक सचिव तैनात किये जाये, तब निदेशक सचिवों मे से एक सचिव को उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी नामांकित करेगा और उनमें से प्रत्येक द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कृत्यों, प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और पालन किये जाने वाले कर्तव्यों को अवधारित करेगा।]

(2) पूर्वोक्त उपबन्धों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, किन्तु इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सचिव ––

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ––

(1) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन उचित रूप से तथा दक्षतापूर्वक हो, समिति के समस्त अधिकारियों और सेवकों के ; तथा

(2) समिति के मामलों के, अधीक्षण और नियंत्रण के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा ।

[3][(ख) समिति के किसी कर्मचारी के उपेक्षा, दुराचरण या कर्त्तव्यच्युति के मामलों की रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के लिए देगा, और यदि इसके लिए

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 14 द्वारा अन्तः स्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1991 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

necessary action, and where so empowered, take disciplinary action against any of the employees of the Committee.]

(c) ensure proper execution of all orders issued by [the Board.][1] the Chairman or the Committee ;

(d) ensure proper maintenance of —

(i) accounts of all moneys received and of all moneys expended for and on behalf of the Committee ;

(ii) records of disputes coming up for decision under this Act or the rules or bye-laws framed thereunder ; and

(iii) a record of the disputes settled by him in such form as may be prescribed.

(3) All licenses under this Act shall be issued under his signatures.

Appeals

[2][**25.** Subject to rules made in this behalf under this Act, any person aggrieved by an order passed by a Committee under clause (i) or clause (ii) of section 17 may, within 30 days of such order, prefer an appeal to the Board in such manner as may be prescribed, and the Board shall decide it after giving an opportunity of hearing both to the appellant and to the committee.]

Terms and conditions of employment of officers and servants of Committees

[3][**25-A.** Subject to rules made in this behalf under this Act, the terms and conditions of employment of the members of a cadre constituted under section 23-A and matters relating to discipline control and punishment including dismissal and removal of such officers shall be governed by such regulations as may be made by the Board.]

Protection of person acting under this Act

26. Every officer or servant of [4][the Board or a Committee] shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

CHAPTER - V

Establishment of the Board

[5][**26-A.** (1) The State Government shall by notification[6] in the *Gazette*, and with effect from a date to be specified therein, constitute a Board by the name of the State Agricultural Produce Markets Board with its head office at Lucknow.

1. *Ins.* by section 15 of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act No. 30 of 1974.
2. *Subs.* by *sec.* 16 *ibid.*
3. *Ins.* by *sec.* 17 *ibid.*
4. *Subs.* by *sec.* 10 of U. P. Act No. 06 of 1977.
5. New sections 26-A to 26-X inserted by sec. 18 of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act No. 30 of 1974.
6. State Agricultural Produce Markets Board established with effect from June 27, 1973 *vide* notification no. A-5256/12 (5)-96-73, dated June 26, 1973.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अधिकृत किया गया हो तो समिति के किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही करेगा ;]

(ग) वह सुनिश्चित करेगा कि [1][परिषद्] सभापति या समिति द्वारा जारी की गई सभी आज्ञाओं का समुचित रूप से पालन किया जाए ;

(घ) वह सुनिश्चित करेगा कि ––

(1) समिति की ओर से प्राप्त या व्यय की गई सभी धनराशियों के लेखे ;

(2) इस अधिनियम, या तद्धीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन निर्णय के लिए आए हुए विवादों के अभिलेख ; और

(3) उसके द्वारा निपटाए गए विवादों का अभिलेख ऐसे प्रपत्र में, जो नियत किया जाय, समुचित रूप से रक्खे जायें ।

(3) इस अधिनियम के अधीन सभी लाइसेंस उसके हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे।

अपील

[2][**25**–इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के रहते हुए, धारा 23–क के अधीन गठित किसी संवर्ग के सदस्यों के नियोजन की शर्ते तथा निबन्धन और ऐसे अधिकारियों के अनुशासन, नियंत्रण तथा दण्ड जिसके अन्तर्गत पदच्युत किया जाना तथा पद से हटाया जाना भी है से सम्बन्धित विषय परिषद् द्वारा बनाए, गए विनियमों से शासित होंगे।]

नियमों के अधीन समितियों के अधिकारियों तथा सेवकों के नियोजन की शर्ते तथा निबन्धन

[3][**25–क**–इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के रहते हुए, धारा 23–क के अधीन गठित किसी संवर्ग के सदस्यों के नियोजन की शर्ते तथा निबन्धन और ऐसे अधिकारियों के अनुशासन, नियंत्रण तथा दण्ड जिसके अन्तर्गत पदच्युत किया जाना तथा पद से हटाया जाना भी है से सम्बन्धित विषय परिषद् द्वारा बनाए, गए विनियमों से शासित होंगे ।]

इस अधिनियम के अधीन करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा

26–[4][परिषद् या समिति] का प्रत्येक अधिकारी या सेवक, इण्डियन पीनल कोड, 1860 की धारा 21 के अर्थ में "पब्लिक सर्वेन्ट" (लोक–सेवक) समझा जायगा ।

अध्याय – 5

परिषद् की स्थापना

[5][**26–क**– (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना[6] द्वारा, और उसमें निर्दिष्ट तारीख से राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के नाम से एक परिषद् जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा, स्थापित करेगी ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 15 द्वारा अन्तः स्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उपर्युक्त की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 18 द्वारा नई धाराएं 26–क से 26–भ तक अन्तः स्थापित।
6. अधिसूचना संख्या ए–5256/12(5)–96–73, दिनांक 26 जून, 1973 के द्वारा राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् की स्थापना 27 जून, 1973 से की गई ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) The Board shall be a body corporated by the said name having perpetual succession and a common seal and may sue or be sued by the said name and acquire, hold and dispose of property and enter into contracts.

(3) The Board shall for all purposes be deemed to be a local authority.

Constitution of the Board

26-B. (1) The Board shall consist of [1][The Principal Secretary/ Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Agriculture Marketing and Foregien Trade Department as the *ex-official* Chairman and three Vice-Chairman who shall be non-official members appointed by the State Government] besides the following other members namely:—

[(a) the Agriculture Production Commissioner, Uttar Pradesh [2][or his services not below the rank of Secretary] ;]

(b) the [3][Principal Secretary/Secretary] to the State Government in the Finance Department ;

(c) the [4][Principal Secretary/Secretary] to the State Government in the Food and Civil Supplies Department ;

[5][(d) the Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Agriculture Department.]

(e) the Registrar, Co-operative Societies, Uttar Pradesh ;

(f) the Director of Agriculture, Uttar Pradesh ;

[6][(f-1) the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India ;

(f-2) the Director, Horticulture and Fruit Utilization, Uttar Pradesh ;

(f-3) [7][the Director, Agricultural Marketing, Uttar Pradesh].

(f-4) the Vice-Chancellor of any of the Universities established under the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogic Vishwa Vidyalaya Adhiniyam, 1958 to be nominated by the State Government ;]

(g) [8][six] persons appointed by the State Government from out

1. *Subs.* by *sec.* 2(a) of U. P. Act No. 40 of 2007.
2. *Subs.* by *sec.* 2(b) of U. P. Act No. 40 of 2007.
3. *Subs.* by *sec.* 2(c) of U. P. Act No. 40 of 2007.
4. *Subs.* by *sec.* 2(d) of U. P. Act No. 40 of 2007.
5. *Subs.* by *sec.* 2(e) of U. P. Act No. 40 of 2007.
6. *Ins.* by *sec.* (1)(iii) of U. P. Act No. 06 of 1977.
7. *Subs.* by *sec.* 2 of U. P. Act No. 07 of 2002.
8. *Subs.* by *sec.* II(v) of U. P. Act No. 06 of 1977.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) परिषद् उक्त नाम से शास्वत उत्तराधिकार वाली एक निगमित निकाय होगी और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगी अथवा उसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा संपत्ति का अर्जन, धारण तथा उसका व्ययन करेगी और संविदा करेगी।

(3) परिषद् सभी प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकरण समझी जाएगी।

परिषद् का गठन

26–ख–(1) परिषद् में [1][राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और तीन उपाध्यक्ष जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त गैर–सरकारी सदस्य होंगे] के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात् :–

[(क) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश [2][या सचिव की श्रेणी से अन्यून उसका नाम निदेशिती" ;]

(ख) [3][प्रमुख सचिव/सचिव], उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग ;

(ग) [4][प्रमुख सचिव/सचिव], उत्तर प्रदेश सरकार, खाद्य तथा रसद विभाग ;

[5][(घ) कृषि विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव ।]

(ङ) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश ;

(च) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश ;

[6][(च–1) कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार,

(च–2) निदेशक, औद्योनिकी एवं फलोपयोग, उत्तर प्रदेश ;

(च–3) [7][निदेशक, कृषि विपणन, उत्तर प्रदेश] ;

(च–4) उत्तर प्रदेश कृषि एंव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायगा ;]

(छ) राज्य सरकार द्वारा ऐसे उत्पादकों मे से जो मण्डी समितियों के सदस्यों के रूप में [8][नामनिर्दिष्ट] हों, नियुक्त [9][छः] व्यक्ति, और जब तक कि ऐसे [8][नामनिर्दिष्ट]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 2(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 2(घ) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 2(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 11(पपप) द्वारा बढ़ाया गया ।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2002 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
9. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1977 की धारा 11(पअ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

of the producers [1][nominated] as members of the Market Committees and for so long as such [1][nominated] members are not available, any [2][six] producers appointed by that Government ;

(h) [3][two person] appointed by the State Government from out of the traders or commission agents [1][nominated] as members of Market Committees and for so long as such [1][nominated] members are not available, [3][any two traders or commission agents] appointed by that Government ;

(i) the Director of Mandis who shall be *ex-officio* Secretary of the Board (hereinafter in this Chapter referred to as the Member Secretary).

(2) The appointment of [4][a Vice-Chairman] and other members shall be notified in the *Gazette*.

(3) A members referred to in clause (a), clause (b), clause (c), or clause (d) may, instead of attending any meeting of the Board himself depute an officer not below the rank of Deputy Secretary and the member referred to in clause (e) may likewise depute an officer not below the rank of Additional Registrar, Co-operative Societies and the member referred to in clause (f) may like wise depute an officer not below the rank of Additional Director of Agriculture [5][and the member referred to in clause (f-1) may depute an officer not below the rank of Joint Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, and the member referred to in clause (f-2) may depute an officer not below the rank of Additional Director, Horticulture and Fruit Utilization,] and an officer so deputed shall also have the right to vote.

Disqualification for being [6][Vice-Chairman] or other member

26-C. A person shall be disqualified for being chosen as and for being the [6][Vice-Chairman] or other member of the Board if he —

(a) has been convicted of an offence involving moral turpitude ;

(b) is an undischarged insolvent ;

(c) is of unsound mind and stands so declared by a competent Court ;

(d) holds, except as provided in section 26-D and section 26-E any office of profit under the Board ;

(e) has, directly or indirectly by himself or by any partner, employer or employee, any share or interest, whether pecuniary or of

---

1. *Subs.* by *sec.* 7 of U. P. Act No. 13 of 2004.
2. *Subs.* by *sec.* 11(iv) of U. P. Act No. 06 of 1977.
3. *Subs.* by *sec.* 11(v) of U. P. Act No. 06 of 1977.
4. *Subs.* by *sec.* 2(2) of U. P. Act No. 40 of 2007.
5. *Ins.* by *sec.* 11(5b) of U. P. Act No. 06 of 1977.
6. *Subs.* by *sec.* 3 of U. P. Act No. 40 of 2007.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

सदस्य उपलब्ध न हों, उक्त सरकार द्वारा नियुक्त कोई [1][छः] उत्पादक ;

(ज) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त [2][दो व्यक्ति] जो व्यापारियों अथवा आढ़तियों मे से मण्डी समिति के सदस्य के रूप में [3][नामनिर्दिष्ट] हों और जब तक कि ऐसे [3][नामनिर्दिष्ट] सदस्य उपलब्ध न हों, उक्त सरकार द्वारा नियुक्त [2][कोई दो व्यापारी या आढ़ती] ;

(झ) मण्डी निदेशक, जो परिषद् का पदेन सचिव होगा, (जिसे इसके पश्चात् इस अध्याय मे सदस्य–सचिव के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) ।

(2) [4][उपाध्यक्ष] तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित की जायगी।

(3) खण्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (ग) या खण्ड (घ) मे निर्दिष्ट सदस्य, परिषद् के किसी अधिवेशन में स्वयं उपस्थित होने के बजाय किसी अधिकारी को जो उप सचिव के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकता है और खण्ड (ड़) में निर्दिष्ट सदस्य, इसी प्रकार किसी अधिकारी को जो रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियिुक्त कर सकता है और खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्य, इसी प्रकार किसी अधिकारी को जो अपर कृषि निदेशक के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकता है, [5][और खण्ड (च–1) मे निर्दिष्ट सदस्य किसी अधिकारी को जो भारत सरकार के संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकता है, और खण्ड (च–2) में निर्दिष्ट सदस्य किसी अधिकारी को जो अपर निदेशक, औद्यानिकी एवं फलोपयोग के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकता है] और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा ।

[6][उपाध्यक्ष] अध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिये अनर्हता

26–ग– कोई व्यक्ति [6][उपाध्यक्ष] या अन्य सदस्य चुने जाने या होने के लिये अनर्ह होगा, यदि वह ––

(क) नैतिक अधमता वाले अपराध के लिये सिद्ध दोष हुआ हो ;

(ख) अनुन्मुक्त दिवालिया हो ;

(ग) विकृत–चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया हो ;

(घ) धारा 26–घ और धारा 26–ड़ में किये गये उपबन्ध को छोड़कर परिषद् के अधीन किसी लाभ के पद पर हो ;

(ङ) स्वयं या किसी भागीदार, नियोजक या कर्मचारी द्वारा परिषद् के साथ द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, आर्थिक या

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 11(iv) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 11(v) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 2(2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 11(vख) द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

any other nature, in any contract or employment, with, by, or on behalf of the Board ; or

(f) is a director or secretary, manager or other officer of any company which has nay share or interest in any contract or employment with, by, or on behalf of, the Board :

Provided that a person shall not be disqualified under clause (e) or clause (f) by reason only of his or the company of which he is a director, secretary, manager or other officer, having a share or interest in —

(i) any sale, purchase, lease or exchange of immovable property or nay agreement for the same ;

(ii) any agreement for loan of money or any security for payment of money only ;

(iii) any newspapers in which any advertisement relating to the affairs of the Board, is published ;

(iv) the occasional sale to the Board, up to a value not exceeding ten thousand rupees in any one year, of any article in which he or the company regularly trades.

[1]Terms of Office of *via* Chairman and other members

26-D. (1) Subject to the provisions of sub-section (2) the [1][Vice-Chairman] and other members of the Board not being *ex-officio* members thereof shall hold office for two years unless the term of the [1][Vice-Chairman] or such other member is determined earlier by the Government by notification in the Gazette, and shall be eligible for reappointment.

[2][(2) A member appointed under clause (f-4) or clause (g) or clause (h) of sub-section (i) of section 26-B shall cease to be a member of the Board as soon as he ceases to be such Vice-Chancellor or elected member of the Market Committee, as the case may be.]

(3) The [1][Vice-Chairman] or any other member not being an ex-officio member may at any time by writing under his hand addressed to the State Government resign his office, and on such resignation being accepted he shall be deemed to have vacated his office.

Other provisions regarding office of the chairman and members other than *ex-officio*

26-E. (1) The [1][Vice-Chairman] and other members not being *ex-officio* members be paid from the Board's fund such remuneration, if any, as may be fixed by the State Government.

(2) If the [1][Vice-Chairman] or any other member as aforesaid is by infirmity or otherwise rendered temporarily incapable of discharging his functions or is absent on leave otherwise in circumstances not involving the vacation of his appointment, the State Government may appoint another person to discharge his functions under this Act.

1. *Subs.* by *sec.* 3 of U. P. Act No. 40 OF 2007.
2. *Subs.* by *sec.* 12 of U. P. Act No. 06 of 1977.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो ; या

(च) किसी ऐसी कम्पनी का निदेशक या सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकार हो, जो परिषद् के साथ, द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित रखता हो ;

परन्तु खण्ड (ड़) या खण्ड (च) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इस कारण से अनर्ह नहीं होगा कि उसका या उस कम्पनी का जिसका वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो ;

(i) किसी स्थावर सम्पत्ति की बिक्री, क्रय, उसे पट्टे पर देने या उसके विनियम अथवा उसके लिये किये गये किसी करार में ;

(ii) धनराशि के उधार के लिये किसी करार में या केवल धनराशि के संदाय के लिये किसी प्रतिभूति में ;

(iii) किसी ऐसे समाचार–पत्र में, जिसमें परिषद् के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित हो ;

(iv) परिषद् को किसी एक वर्ष में दस हजार रूपये से अनधिक मूल्य तक की किसी ऐसी वस्तु में, जिसमें वह या कम्पनी नियमित रूप से व्यापार करती हो, यदा–कदा कोई अंश या हित है ।

[1][उपाध्यक्ष]तथा अन्य दस्तो की पदावधि

26–घ–(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् का [1][उपाध्यक्ष] तथा अन्य सदस्य, जो उसके पदेन सदस्य न हों, दो वर्ष के लिये पद धारण करेंगे जब तक कि राज्य सरकार द्वारा [1][उपाध्यक्ष] या अन्य सदस्य को पदावधि राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा पहले ही समाप्त न कर दी जाय, और वे पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

[2][(2) धारा 26–ख की उपधारा (1) के खण्ड (च–4) या खण्ड (छ) या खण्ड (ज) के अधीन नियुक्त सदस्य की परिषद् में सदस्य, यथास्थिति, वैसे कुलपति पद पर न रह जाने पर या मंडी समिति का निर्वाचित सदस्य न रह जाने पर समाप्त हो जायगी।]

(3) [1][उपाध्यक्ष] या कोई अन्य सदस्य जो पदेन सदस्य न हो, किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, और ऐसा त्याग–पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

26–ड़– (1) [1][उपाध्यक्ष] तथा ऐसे सदस्यों को जो पदेन सदस्य नह हो, परिषद् की निधि से ऐसा पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दिया जायगा जो राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय ।

(2) यदि [1][उपाध्यक्ष] अथवा उपर्युक्त कोई अन्य सदस्य अंग शैथिल्य के कारण या अन्यथा अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अस्थायी रूप से असमर्थ है अथवा छुट्टी पर ऐसी परिस्थितियों में अनुपस्थित है, जिसमें उसका पद रिक्त न हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के लिये किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Appointment of officers and servants

26-F. (1) The Board may appoint such officers and servants as it considers necessary for efficient performance of its functions on such terms and conditions as may be provided for in regulations made by the Board.

(2) The Board may, with the previous approval of the State Government, appoint a servant of the Central Government or the State Government as an officer or servant of the Board or of a Committee on such terms and conditions as it thinks fit.

Supervision and control of the Director

26-G. Subject to the superintendence of the Board, the general control and direction over all the officers and servants of the Board shall be vested in the Director.

Authentication of orders and other instruments of the Board

26-H. All proceedings of the Board shall be authenticated by the signature of Chairman or the Member-Secretary and all order and other instruments issued by the Board shall be authenticated by the signature of the Member-Secretary ro such other Officer of the Board as may be authorized in this behalf by regulations.

Delegation of powers

26-I. Subject to the provisions of this Act, the Board may, by general or special order delegate, either unconditionally or subject to such conditions as may be specified in the order, to any sub-committee appointed by it or to [1][the Director or] the Member-Secretary or any other officer of the Board such of its powers and duties under this Act, as it may deem fit.

Disqualification for participation in proceedings of the Board on account of interest

26-J. (1) [2][a Vice-Chairman] or any other member of the Board or of sub-committee appointed by the Board who —

(a) has any share or interest of the nature described in clause (e) or clause (f) of section 26-C, in respect of any matter ; or

(b) has acted professionally, in relation to any matter, on behalf of any person having therein any such share on interest as aforesaid.
shall not, notwithstanding anything contained in the proviso to shall not, notwithstanding anything contained in the proviso to section 26-C, vote or take part in any proceeding of the Board or Committee relating to such matter.

(2) If any member of the Board or of a Committee appointed by the Board has, directly or indirectly, any interest in any area in which it is proposed to acquire land for any of the purposes of this Act, he shall not take part in any meeting of the Board or sub-committee in which any matter relating to such land is considered.

(3) Nothing in sub-section (1) or sub-section (2) shall prevent any member of the Board or sub-committee from voting on, or taking part in discussion of, any resolution or question relating to any subject other than a subject referred to in those sub-sections.

---

1. *Ins.* by *sec.* 13 of U. P. Act No. 06 of 1977.
2. *Subs.* by *sec.* 4 of U. P. Act No. 40 of 2007.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

26–च–(1) परिषद् अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिये ऐसे अधिकारियों और सेवकों को ऐसी शर्तो तथा निबन्धनों पर जो परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों में उपबन्धित किये जायें, नियुक्त कर सकेगी । अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति

(2) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी सेवक को ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर जिन्हें वह ठीक समझे परिषद् या किसी समिति का अधिकारी या सेवक नियुक्त कर सकेगी ।

26–छ– परिषद् के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, परिषद् के समस्त अधिकारियों और सेवकों पर सामान्य नियंत्रण तथा उनको निदेश देना निदेशक में निहित होगा । निदेशक द्वारा पर्यवेक्षण या नियंत्रण

26–ज– परिषद् की सभी कार्यवाहियां अध्यक्ष या सदस्य–सचिव के हस्ताक्षर से अधि–प्रमाणीकृत की जायेंगी और परिषद् द्वारा जारी किये गये सभी आदेश तथा अन्य लिखत सदस्य–सचिव या परिषद् के ऐसे अन्य अधिकारी के, जिसे विनियमों द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत किये जायेंगे । परिषद् के आदेशों तथा अन्य लिखतों का अधिप्रमाणीकरण

26–झ– इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायं, [1][अपने द्वारा नियुक्त किसी उप–समिति या निदेशक या] के सदस्य सचिव अथवा परिषद् के किसी अन्य अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्त्तव्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे । शक्तियों का प्रत्यायोजन

26–ञ– (1) परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त किसी उप समिति का [2][उपाध्यक्ष] या कोई सदस्य –– हित होने के कारण कार्यवाहियों मे भाग लेने से अनर्हता

(क) जिसका किसी मामले के सम्बन्ध में धारा 26–ग के खण्ड (ड़) या खण्ड (च) में वर्णित प्रकार का कोई अंश या हित हो ; या

(ख) जिसने किसी मामले के सम्बन्ध में, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जिसका उस मामले में यथापूर्वोक्त प्रकार का कोई अंश या हित हो, वृत्ति रूप से काम किया हो, धारा 26–ग के परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामले के सम्बन्ध मे परिषद् या समिति की किसी कार्यवाही में न ही मत देगा और न भाग लेगा ।

(2) यदि परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति के किसी सदस्य का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जित करना प्रस्थापित है, कोई हित हो, तो वह परिषद् की उप समिति की किसी ऐसी बैठक में भाग नहीं लेगा जिसमें ऐसी भूमि से सम्बद्ध किसी मामले पर विचार किया जाय ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) की कोई बात परिषद् या उप समिति के किसी सदस्य को उक्त उप–खण्डों में निर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी अन्य विषय से सम्बद्ध किसी संकल्प या प्रश्न पर मत देने या उस पर विचार–विमर्श मे भाग लेने से निषिद्ध नहीं करेगी।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 13 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Acts not to be invalidated by informality, vacancy etc.

26-K. No act done or proceedings taken under this Act by the Board or a sub-committee appointed by the Board shall be invalidated merely on the ground of —

(a) any vacancy or defect in the constitution of the Board or sub-committee ; or

(b) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as a member thereof ; or

(c) any defect or irregularity in such act or proceedings, not affecting the substance.

Powers and functions and Board

26-L. (1) The Board, shall, subject to the provisions of this Act, have the following functions and shall have power to do anything which may be necessary or expedient for carrying out those functions—

(i) Superintendence and control over the working of the Market Committees and other affairs thereof including programmes undertaking by such Committees for the [1][construction of new market yards and development of existing markets and market areas].

(ii) giving such direction to Committee in general or any Committee in particular with a view to ensure efficiency thereof ;

(iii) any other functions entrusted to it by this Act ;

(iv) such other functions as may be entrusted to the Board by the State Government by notification in the *Gazette*.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, such power shall include the power —

(i) to approve proposals of the new sites selected by the Committee for the development of Markets ;

(ii) to supervise and guide the Committees in the preparation of site-plans and estimates fo construction programmes undertaken by the Committee ;

(iii) to execute all works chargeable to the Board's fund ;

(iv) to maintain accounts in such forms as may be prescribed and get the same audited in such manner as may be laid down in regulations of the Board ;

(v) to publish annually at the close of the year, its progress report, balance-sheet, and statement of assets and liabilities and send copies thereof to each member of the Board as well as to the Chairman of all the market Committees ;

(vi) to make necessary arrangements for propaganda and publicity on matters related to regulated marketing of agricultural produce ;

---

1. *Subs.* by *sec.* 14(a) of U. P. Act No. 06 of 1977.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अनौपचारिकता, रिक्ति आदि के कारण किये गये कार्य का अविधिमान्य न होना

26–ट–परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त किसी उप समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल ––

(क) परिषद् या उप समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने ; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में, जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने ; या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने, के कारण अविधिमान्य न होगी ।

परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य

26–ठ–(1) परिषद् के इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कृत्य होंगे और उसे ऐसा कोई कार्य करने की शक्ति होगी जो उन कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक अथवा समीचीन हो ––

(1) मण्डी समितियों के कार्य संचालन तथा उनके अन्य कार्य–कलापों जिनके अन्तर्गत ऐसी समितियों द्वारा [1][नये मंडी–स्थलों के निर्माण ओर वर्तमान मंडियों तथा मंडी क्षेत्रों के विकास] के लिये व्यवस्थित कार्यक्रम भी है, का पर्यवेक्षण और नियंत्रण ;

(2) समितियों को सामान्य रूप से अथवा किसी समिति को विशेषतः उसकी दक्षता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निदेश देना ;

(3) कोई अन्य कृत्य जो उसे इस अधिनियम द्वारा सौपे जायें ;

(4) ऐसे अन्य कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परिषद् को सौंपे जाये ।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्ति भी होगी : ––

(1) मण्डियों के विकास के लिये समितियों द्वारा चुन गये नये स्थलों के प्रस्तावों का अनुमोदन करना ;

(2) स्थल–नक्शों और समिति द्वारा व्यवसित निर्माण कार्य–क्रमों के तखमीने तैयार करने में समितियों का पर्यवेक्षण तथा पथ–प्रदर्शन करना ;

(3) परिषद् की निधि पर प्रभार्य समस्त निर्माण–कार्यो को निष्पादित करना ;

(4) ऐसे प्ररूपों में जो नियत किये जायं, लेखे रखना और उनकी लेखा परीक्षा ऐसी रीति से जैसी परिषद् के विनियमों में निर्धारित की जाय, कराना ;

(5) वर्ष की समाप्ति पर अपनी प्रगती रिपोर्ट, तुलन–पत्र तथा आस्तियों और दायित्वों का विवरण प्रति वर्ष प्रकाशित करना और उसकी प्रतियां परिषद् के प्रत्येक सदस्य तथा सभी मण्डी समितियों के सभापतियों को भेजना ;

(6) कृषि उत्पादन के विनियमित क्रय–विक्रय से सम्बद्ध विषयों का प्रचार तथा विज्ञापन करने के लिये आवश्यक प्रबन्ध करना ;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 14(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(vii) to provide facilities for the training of officers and servants of the Market Committees.

(viii) to prepare and adopt budget for the ensuing year ;

(ix) to make subventions [1][and loans] to Market Committees for the purposes fo this Act on such terms and conditions as the Board may determine ;

(x) to do such other things as may be of general interest to Market Committees or considered necessary for the efficient functioning of the Board or as may be specified from time to time by the State Government.

Directions on questions of policy

26-M. (1) In the discharge of its functions, the Board shall be guided by such directions on questions of policy as may be given to it by the State Government.

(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the State Government may issue a direction under sub-section (1), the decision of the State Government shall be final.

Annual reports, statistics, returns and other information

26-N. (1) The Board, shall as soon as may be after the end of each financial year, prepare and submit to the State Government before such date and in such form as the State Government may direct, a report giving an account of its activities during the previous financial year, and the report shall also give an account of the activities, if any, which are likely to be undertaken by the Board in the next financial year, and the State Government shall cause every such report to be laid before the State Government shall cause every such report to be laid before the State Legislature as soon as may be after it is received by the State Government.

(2) The Board shall furnish to the State Government at such times and in such form and manner as the State Government may direct, such statistics and returns and such particulars in regard to any proposed ro existing activities fo the Board or any other matter under the control of the Board as the State Government may from time to time require.

Execution and registration of contracts, etc.

26-O. Every contract or assurance of property on behalf of the Board shall be in writing and executed by such authority and in such manner as may be provided by regulations.

Board's Fund

[2][26-P. (1) The Board shall have its own fund, which shall be deemed to be a local fund and to which shall be credited all moneys received by or on behalf of the Board, except the moneys required to be credited in the Uttar Pradesh State Marketing Development Fund under section 26-PP.

---

1. *Ins.* by *sec.* 14(b) of U.P. Act No. 6 of 1977.
2. *Subs.* by *sec.* 26-P of U. P. Act No. 10 of 1991.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(7) मण्डी समितियों के अधिकारियों तथा सेवकों के प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करना ;

(8) आगामी वर्ष का बजट तैयार करना और अंगीकृत करना ;

(9) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जैसा परिषद् अवधारित करे, मण्डी समितियों को वित्तीय सहायता [1][और उधार] देना ;

(10) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो मण्डी समितियों के सामान्य हित में अथवा परिषद् के दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिये आवश्यक समझे जायें अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किये जायें ।

नीति विषयक प्रश्नों पर निदेश

26–ड–(1) अपने कर्तव्यों का पालन करने में परिषद् नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा मार्ग–दर्शन प्राप्त करेगी जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायें ।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं जिसके सम्बन्ध मे राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निदेश जारी कर सकती है तो राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

वार्षिक रिपोर्ट, आंकड़े, विवरणियां तथा अन्य जानकारी

26–ढ–(1) परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र ऐसी तारीख से पूर्व और ऐसे प्रपत्र में, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, एक रिपोर्ट जिसमें पिछलें वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्यकलापों का लेखा दिया जायगा तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और रिपोर्ट मे ऐसे कार्यकलापों का भी, यदि कोई हो, लेखा दिया जायगा तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और रिपोर्ट में ऐसे कार्यकलापों का भी, यदि कोई हो, लेखा दिया जायगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में परिषद् द्वारा किये जाने की सम्भावना हो और राज्य सरकार प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उसे, यथा शक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी ।

(2) परिषद्, राज्य सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति से जैसी राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे आंकड़े तथा विवरणियां और परिषद् के किसी प्रस्तावित या वर्तमान कार्यकलापों अथवा परिषद् के नियंत्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे ब्यौरे, जिसकी राज्य सरकार समय–समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगी ।

संविदा आदि का निष्पादन तथा रजिस्ट्रीकरण

26–ण– परिषद् की ओर से प्रत्येक संविदा अथवा सम्पत्ति हस्तान्तरण–पत्र लिखित रूप में होगा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से, जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय, निष्पादित किया जायगा ।

परिषद् की निधि

[2]**[26–त–**(1) परिषद् की एक अपनी निधि होगी, जो स्थानीय निधि समझी जायगी और जिसमें परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त धारा 26–तत के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि मे जमा की जाने वाली धनराशि को छोड़कर, समस्त धनराशि जमा की जायेगी ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 14(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1991 की धारा 26.त द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) In particular and without prejudice to the generality fo the provisions of this Act relating to the purpose and the manner of investment and disposal, the fund referred to in sub-section (1) shall be utilized by the Board for the following purposes, namely —

(i) payment of salary, leave allowance, gratuity, other allowances, loans and advances and provident fund to the officers and servants employed by the Board and pension and other contribution to the Government servants on deputation ;

(ii) payment of travelling and other allowances [1][to the Vice-Chairman and member] of the Board ;

(iii) other purposes relating to the establishment of the Board or for carrying out the purposes of this Act generally.]

Uttar Pradesh State Marketing Development Fund

[2]**[26-PP.** (1) There shall be established for the Board, a Fund, to be called the Uttar Pradesh State Marketing Development Fund to the which following amounts shall be credited, namely —

(a) all contributions received from the Committees under sub-section (5) of section 19 except such percentage thereof as the State Government may direct to be credited to the Board's Fund ;

(b) such other amounts as the State Government or the Board may direct.

(2) The fund established under sub-section (1) shall, subject to the provisions of this Act, be utilized by the Board for the following purposes, namely :—

(i) facilities to the agriculturists, other producers and payers of market fee in the market area ;

(ii) development of principal market yards, sub-market yards, hats and painths and construction of New Market Yards in the market area ;

(iii) construction, maintenance and repairs of link roads, market lanes and other development works in the market area ;

(iv) market survey and research, grading and standardization of specified agricultural produce ;

(v) propaganda, publicity and extension services and the matters relating to the general improvement of the conditions of buying and selling of specified agricultural produce ;

(vi) aid to financially weak and under-developed committees in the form of loans and grants ;

(vii) acquisition or construction, or hiring on lease or otherwise of building or land for performing the duties of the Board ;

---

1. *Subs.* by *sec.* 5 of U. P. Act No. 40 of 2007.

2. *Subs.* by *sec.* 8 of U.P. Act No. 10 of 1991.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) विशेष रूप से ओर विनियोजन और निस्तारण के प्रयोजन और रीति से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि का उपयोग परिषद् द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, अर्थात् : ——

(1) परिषद् द्वारा नियोजित अधिकारियों और सेवकों को वेतन, छुट्टी भत्ता, आनुतोषिक, अन्य भत्तों, ऋण और अग्रिम और भविष्य निधि और उन सरकारी सेवकों को, जो प्रतिनियुक्ति पर हो, पेंशन और अन्य अंशदान का भुगतान ;

(2) परिषद् के [1][उपाध्यक्ष और सदस्यों] को यात्रा और अन्य भत्तों का भुगतान ;

(3) परिषद् के अधिष्ठान से सम्बन्धित अन्य प्रयोजनों या सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये ।

उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि

[2][**26–तत**– (1) परिषद् के लिये एक निधि की स्थापना की जायेंगी, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायगी, अर्थात् ——

(क) धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन समितियों से प्राप्त समस्त अंशदान उसके उतने प्रतिशत को छोडकर जितने राज्य सरकार परिषद् की निधि में जमा करने के लिये निदेश दें ।

(ख) ऐसी अन्य धनराशि जिसे राज्य सरकार या परिषद् निदेश दें ।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का उपयोग, अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, अर्थात् : ——

(1) मण्डी क्षेत्र मे कृषकों, अन्य उत्पादकों और मण्डी शुल्क देने वालों को सुविधायें;

(2) मण्डी क्षेत्र में प्रधान मण्डी स्थल, उप मण्डी स्थल, हाट और पीठ का विकास और नवीन मण्डी स्थलों का निर्माण ;

(3) मण्डी क्षेत्र में सम्यक सड़कों, मण्डी की गलियों और जन्म विकास कार्यो का निर्माण, अनुरक्षण ओर मरम्मत ;

(4) निर्दिष्ट कृषि उत्पादन का मण्डी सर्वेक्षण और अनुसंधान वर्गीकरण और मानकीकरण ;

(5) प्रचार, प्रख्यापन और विस्तार सेवा और निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय और विक्रय की स्थिति मे सामन्य सुधार से सम्बन्धित विषय ;

(6) वित्तीय रूप से कमजोर और अल्प विकसित समितियों को ऋण और अनुदान के रूप में सहायता ;

(7) परिषद् के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये भवन या भूमि का अर्जन या निर्माण या पट्टे पर या अन्यथा लेना ;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1991 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(viii) better development of market areas and control of market committees ;

(ix) meetings and legal expenses ;

(x) training fo officers and staff of the market committees in the State ;

(xi) technical assistance to the market committees in the preparation of site plans and estimates of construction and in the preparation of project reports of master plans for development of principal market yards and sub-market yards and market areas ;

(xii) internal audit of the Board and the market committees ;

(xiii) matters specified in sections 16, 19 and 19-B not covered by the preceding clauses ;

(xiv) any other purpose, to give effect to the provisions of this Act or generally to regulate marketing of specified agricultural produce.]

Central Mandi Fund

[1]**[26-PPP.** (1) There shall be established a Fund to be called the "Central Mandi Fund" to which the following amount shall be credited, namely : —

(a) all moneys paid to the Board under sub-section (6) of section 19 ;

(b) such other amount as the State Government or the Board may direct.

(2) The Central Mandi Fund shall be utilized by the Board for the following purposes namely :—

(a) assistance to financially weak and under developed Committees in the form of loans or grants ;

(b) construction, maintenance and repairs of market yards, links roads, culverts and other development works in the market area ;

(c) grants or loans to the committees for development works ;

(d) such other purposes as may be directed by the State Government or the Board in such manner as may be prescribed.]

Restriction on unbudgeted expenditure

26-Q. (1) Save where in the opinion of the Board circumstances of extreme urgency have arisen, no sum exceeding such amount as the State Government may from time to time fix in that behalf on account of recurring or non-recurring expenditure shall be spent by the Board in any financial year unless such sum has been included in a statement submitted under sub-section (1) of section 26-V.

(2) Where any such sum is spent in circumstances of extreme urgency a report thereon, indicating the expenditure, shall be made as soon as practicable to the State Government.

---

1. *Ins.* by *sec.* 4 of U. P. Act No. 04 of 1999.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(8) मण्डी क्षेत्रों का बेहतर विकास और मण्डी समितियों का नियंत्रण ;

(9) बैठक और विधिक मामलों पर व्यय ;

(10) राज्य में मण्डी समितियों के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण ;

(11) प्रधान मण्डी स्थलों और उप मण्डी स्थलों और मण्डी क्षेत्रों के विकास के लिये स्थल नक्शा ओर निर्माण प्राक्कथन तैयार करने में और महायोजना की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने मे मण्डी समितियों को तकनीकी सहायता ;

(12) परिषद् और मण्डी समितियों की आन्तरिक लेखा परीक्षा ;

(13) धारा 16, 19 और 19–ख में निर्दिष्ट ऐसे विषय जो पूर्ववर्ती खण्डों के अन्तर्गत न आते हों ;

(14) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने या निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय–विक्रय को सामान्य रूप से विनियमित करने के लिय कोई अन्य प्रयोजन ।]

केन्द्रीय मण्डी निधि

[1][**26–ततत–** (1) एक निधि स्थापित की जायगी जिसे "केन्द्रीय मण्डी निधि" कहा जायगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायगी, अर्थात् : ––

(क) धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन परिषद् को दी गई समस्त धनराशि ;

(ख) ऐसी अन्य धनराशि जिसे राज्य सरकार या परिषद् निर्देश दें ।

(2) केन्द्रीय मण्डी निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायगा, अर्थात् :––

(ख) मण्डी क्षेत्र में मण्डी स्थल, सम्पर्क सड़क, पुलिया और अन्य विकास कार्यो का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत ;

(ग) विकास कार्यो के लिए समितियों को अनुदान या ऋण ;

(घ) ऐसे अन्य प्रयोजन जैसे राज्य सरकार या परिषद् द्वारा, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, निर्देशित किये जायें ।]

ऐसे व्यय पर निर्बन्धन जिसकी व्यवस्था पहले से बजट में न हो

26–थ– (1) उस दशा को छोड़कर, जब परिषद् की राय में अत्यावश्यक परिस्थितियां उत्पन्न हो जायं किसी वित्तीय वर्ष में कोई भी धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा आवर्ती अथवा अनावर्ती व्यय के लेखे मे समय–समय पर इस निमित्त निश्चित् की गयी धनराशि से अधिक हो परिषद् द्वारा तब तक व्यय नहीं की जायगी जब तक कि ऐसी धनराशि धारा 26–फ की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरण में सम्मिलित न कर ली गई हों ।

(2) यदि अत्यावश्यक परिस्थितियों मे कोई ऐसी धनराशि व्यय की जाय तो उसके सम्बन्ध में एक रिपोर्ट जिसमे ऐसा व्यय पूरा करने के प्रस्तावित साधनों को विनिर्दिष्ट किया गया हो, राज्य सरकार को यथासाध्य शीघ्र भेजा जायगा ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1999 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Subvention to the Board

26-R. The State Government may, after due appropriation by law of the State Legislature, from time to time make subventions to the Board for the purpose of this Act, on such terms and conditions as the State Government may determine.

Loans to the Board

26-S. The State Government may from time to time advance loans to the Board on such terms and conditions, not inconsistent with the provisions of this Act, as the State Government may determine.

Power of Board to borrow

26-T. (1) The Board may from time to time, with the previous sanction of the State Government and subject to the provisions of this Act and to such conditions as the State Government may by general or special order determine, borrow any sum required for the purposes of this Act, whether by the issue of bonds or stock or otherwise or by making arrangement with bankers.

(2) The Board may not at any time have on loan under sub-section (1), apart from the amount of loans from the State Government, an amount exceeding such amount as the State Government may, from time to time, fix in that behalf.

(3) Stock issued by the Board under this section shall be issued, transferred, dealt with and redeemed in such manner as the State Government may by general or special order direct.

Priorities of Liabilities of the Board

26-U. The revenues of the Board shall, after meeting its expenses, be applied, as far as they are available, in the following order, namely —

(i) the repayment of principal amount of and interest on bonds not guaranteed by the State Government ;

(ii) the repayment of principal amount of and interest on stock not guaranteed by the State Government ;

(iii) the repayment of principal amount of and interest on bonds guaranteed by the State Government ;

(iv) the repayment of principal amount of and interest on stock so guaranteed ;

(v) the repayment of principal amount of and interest on sums paid by the State Government under guarantees, if any ;

(vi) the repayment of principal amount of and interest on loans advanced to the Board by the State Government including arrears of such interest.

Accounts and Audit

26-V. (1) The Board shall before the commencement of and may at any time during a financial year, prepare a statement or a supplementary statement, as the case may be, of programmes of its activities during that year as well as financial estimates in respect thereof and submit them to the State Government, in such manner and by such dates as it may by general or special order direct, for its previous approval.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

26–द– राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के यथोचित वित्तीय विनियोजन के पश्चात् समय–समय पर इस अधिनियम से प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता ऐसे निबन्धनों तथा शर्तो पर, जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करें, दे सकेगी । परिषद् की वित्तीय सहायता

26–ध– राज्य सरकार, समय–समय पर, परिषद् को ऐसे निबन्धनों तथा शर्तो पर जो इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हों, जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करें, ऋण दे सकती है । परिषद् की ऋण

26–न– (1) परिषद्, समय–समय पर, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से और इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसी शर्तो, जिन्हें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित धनराशि, या तो बन्ध–पत्र या स्टाक जारी करके अथवा अन्य प्रकार से या बैकरों से प्रबंध करके, उधार ले सकेगी । परिषद् को उधार लेने की शक्ति

(2) परिषद्, राज्य सरकार से प्राप्त उधारों की रकमों के अतिरिक्त किसी भी समय उपधारा (1) के अधीन कोई ऐसी रकम उधार नहीं ले सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त नियत रकम से अधिक हो ।

(3) परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन जारी किया गया स्टाक ऐसी रीति से जारी या अन्तरित किया जायेगा अथवा उसके सम्बन्ध मे कार्यवाही की जायेगी या उसे मोचित किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे ।

26–प– परिषद् की आय का उपयोग उसके व्ययों को पूरा कर लेने के पश्चात् जहां तक उपलब्ध हो, निम्नलिखित क्रम से किया जायेगा : –– परिषद् के दायित्वों को प्राथमिकता

(1) बन्ध–पत्र के, जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति न दी गई हो, मूलधन और उनके ब्याज का प्रतिसंदाय करना ;

(2) स्टाक के जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति न दी गई हो, मूलधन और उनके ब्याज का प्रतिसंदाय करना ;

(3) बन्ध–पत्र के, जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी गई हो, मूलधन तथा उनके ब्याज का प्रतिसंदाय करना ;

(4) स्टाक के जो इस प्रकार प्रत्याभूति हो, मूलधन तथा उनके ब्याज का प्रतिसंदाय करना ;

(5) राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति, यदि कोई हो, के अधीन दी गई धनराशियों के मूलधन तथा उनके ब्याज का प्रतिसंदाय करना ;

(6) राज्य सरकार द्वारा परिषद् को दिये गये उधार के मूलधन और उस पर ब्याज का, जिसके अन्तर्गत ब्याज की बकाया भी है, प्रतिसंदाय करना ।

26–फ– (1) परिषद्, वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों के कार्यक्रम का, यथास्थिति, एक विवरण अथवा अनुपूरक विवरण, तथा उसके सम्बन्ध मे एक वित्तीय अनुमान उस वर्ष के प्रारम्भ होने के पूर्व तैयार करेगी तथा उसके दौरान किसी समय तैयार कर सकेगी और उन्हें सरकार को ऐसी रीति से तथा ऐसी तारीख तक जैसी वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, उसके पूर्वानुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी । लेखे और लेखा परीक्षा

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) The Board shall cause to be maintained proper books of account and other books in relation to its accounts and prepare the annual balance-sheet.

(3) The accounts of the Board shall be audited by such auditor as the State Government may by general or special order direct, and the auditor so appointed shall have power of requiring the production of documents and the furnishing of information respecting all matters.

(4) The accounts of the Board as certified by the auditor, together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government who may issue such directions to the Board in respect thereof as it may deem fit, and the Board shall comply with such directions.

(5) The State Government shall —

(a) cause the accounts of the Board, together with the audit report thereon, received by it under sub-section (4) to be laid annually before each House of the State Legislature ; and

(b) cause the accounts of the Board to be published in such manner as it thinks fit.

Surcharge

26-W. (1) The [1][Chairman, Vice-Chairman] and other members, officers and servants of the Board shall be liable to surcharge for the less, waste or misapplication of any money or property of the Board, if such less, waste or misapplication is direct consequence of his neglect or misconduct while acting as such [1]"Chairman, Vice-Chairman" or other member, officer or servant.

(2) The procedure of surcharge shall be such as may be prescribed.

(3) Any amount found to be involved in such loss, waste or misapplication as a result of proceedings for surcharge shall be recoverable as arrears of land revenue, and no suit may be instituted in any civil court for the recovery of any such amount.

(4) Nothing in sub-section (3) shall prevent the Board from deducting any amount referred to therein from any sum payable by the Board on account of remuneration or otherwise to such Chairman or other member, officer or servant.

Regulations

26-X. (1) The Board may, with the previous approval of the State Government, make regulations, not inconsistent with this Act and rules made thereunder, for the administration of the affairs of the Board.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matter, namely —

1. *Subs.* by *sec.* 6 of U. P. Act No. 40 of 2007.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) परिषद् उचित लेखा बही और अपने लेखों के सम्बन्ध में अन्य बहियां रखवायेगी और वार्षिक तुलनपत्र तैयार करेगी ।

(3) परिषद् के लेखों की संपरीक्षा ऐसे संपरीक्षक द्वारा की जायगी, जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे और इस प्रकार नियुक्त संपरीक्षक को सभी विषयो के सम्बन्ध मे दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने और जानकारी दिये जाने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी ।

(4) संपरीक्षक द्वारा यथाप्रमाणित परिषद् की लेखाओं और उनके सम्बन्ध में संपरीक्षा रिपोर्ट प्रतिवर्ष राज्य सरकार को भेजी जायगी जो उनके सम्बन्ध में परिषद् को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह ठीक समझे और परिषद् ऐसे निदेशों का पालन करेगी।

(5) राज्य सरकार ––

(क) उपधारा (4) के अधीन उसे प्राप्त परिषद् के लेखाओं, उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रतिवर्ष राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी ; और

(ख) परिषद् के लेखाओं को ऐसी रीति से प्रकाशित करायेगी जैसा वह ठीक समझे।

26–ब–(1) परिषद् के [1][अध्यक्ष, उपाध्यक्ष] तथा अन्य सदस्य, अधिकारी और सेवक परिषद् को किसी धनराशि या संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग के लिये अधिभार के दायी होंगे यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग ऐसे अध्यक्ष, या अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक के रूप में इस प्रकार कार्य करते हुए उसकी उपेक्षा या दुराचार का प्रत्यक्ष परिणाम हो । अधिभार

(2) अधिभार की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाय ।

(3) कोई धनराशि, जो ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन में अधिभार की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप पाई जाय, भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी और ऐसी धनराशि की वसूली के लिये किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद संस्थित नही किया जा सकेगा ।

(4) परिषद् को उपधारा (3) की कोई बात उसमें निर्दिष्ट धनराशि को ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक को पारिश्रमिक के मद में या अन्य प्रकार से परिषद् द्वारा संदेय किसी धनराशि मे से कटौती करने से नहीं रोकेगी ।

26–भ– (1) परिषद् राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से परिषद् के कार्यकलापों के प्रशासन के लिए ऐसे विनियम बना सकती है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों । विनियम

(2) विशिष्टतया और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् : ––

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(a) The summoning and holding of meetings of the Board, the time and place where such meetings are to be held, the conduct of business at such meetings and the member of persons necessary to form a quorum thereat ;

(b) the powers and duties of the officers and other employees of the Board ;

(c) the salaries and allowances and other conditions of service of officers and other employees of the Board and of officers referred to in sub-section (2) of section 23 ;

(d) the management of the property of the Board ;

(e) the execution of contracts and assurances of property on behalf of the Board ;

(f) the maintenance of accounts and the preparation of balance-sheet by the Board ;

(g) the procedure for carrying out the functions of the Board under this Act ;

(h) any other matter form which provision is to be or may be made in regulations.

(3) Until any regulations are made by the Board under sub-section (1), any regulations which may be so made by it may be made by the State Government, and any regulations so made may be altered or rescinded by the Board in exercise of its power under sub-section (1).][1]

External Control

[27. (1) Subject to the provisions of this act, the general superintendence, direction and control over the Committee, its Chairman, Vice-Chairman and other members, its Secretary and other officers referred to in sub-section (2) of section 23, shall be vested in the Board.][2]

(2) [3][The Board or the Director] may inspect, or cause to be inspected, all documents or records relating to the affairs of the Committee and require the Committee, its Chairman, Vice-Chairman, members, officers or servants to furnish such information or materials may consider necessary.

(3) On receipt of a complaint in respect of an act relating to the affairs of the Committee, the State Government may require the Director to conduct enquiry or institute proceeding against the

1. *Ss.* 26-A to 26-X inserted by *Sec.* 18 of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act No. 30 of 1974.
2. *Subs.* by *sec.* 19 (a) *ibid.*
3. *Subs.* by *sec.* 19(b) *ibid.*

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(क) परिषद् का अधिवेशन बुलाना और करना, समय और स्थान जहां पर ऐसे अधिवेशन किये जाने है । ऐसे अधिवेशनों में कार्य–संचालन और अधिवेशनों की गणपूर्ति के लिये व्यक्तियों की आवश्यक संख्या ;

(ख) परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों की शक्ति और कर्त्तव्य ;

(ग) परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों और धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्ते ;

(घ) परिषद् की सम्पत्ति का प्रबंध ;

(ड़) परिषद् की ओर से संविदा और सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण–पत्रों का निष्पादन ;

(च) परिषद् द्वारा लेखाओं का रखना और तुलनपत्र तैयार किया जाना ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन परिषद् के कृत्यों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया ;

(ज) कोई अन्य विषय जिसके लिये विनियमों में उपबन्ध हो या किया जा सके ।

(3) जब तक कि परिषद् द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई ऐसे विनियम न बनाये जायें, जो इस प्रकार उसके द्वारा बनाए जा सकते हों राज्य सरकार द्वारा बनाए जा सकेंगे, और इस प्रकार बनाए गए किन्हीं विनियमों में परिषद् उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके परिवर्तन कर सकेगी या उन्हें विखण्डित कर सकेगा ।][1]

बाह्य––नियंत्रण

[27–(1) धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट समिति, उसका सभापति, उपसभापति और अन्य सदस्यों, उसके सचिव और अन्य अधिकारियों पर सामान्य अधीक्षण इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् में निहित होगा।][2]

(2) [3][परिषद् या निदेशक] समिति के मामलों से सम्बद्ध सभी लेख्यों या अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है वा सकता है और समिति, उसके सभापति, उपसभापति, सदस्यों, अधिकारियों या सेवकों से ऐसी सूचना या सामग्री देने की अपेक्षा कर सकता है जो वह आवश्यक समझे।

(3) समिति के मामलों से सम्बद्ध किसी कार्य के सम्बन्ध मे कोई शिकायत प्राप्त होने पर, राज्य सरकार निदेशक से समिति, उसके सभापति, उप सभापति, सदस्य, सचिव या अधिकारी के विरूद्ध जांच करने या कार्यवाही आरम्भ करने की अपेक्षा कर सकती है,

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 18 द्वारा धारायें 26–क से 26–भ तक अन्तः स्थापित की गयी ।

2. उपर्युक्त की धारा 19 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उपर्युक्त की धारा 19 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Committee, its Chairman, Vice-Chairman, member, Secretary, or officer, and the Director shall act accordingly.

Act no. V of 1908

(4) The Director shall, for the purpose of holding any enquiry under this Act, have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908, when trying a suit, in respect of the following matters, namely —

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath ;

(b) requiring the discovery and production of documents ; and

(c) any other matters which may be prescribed.

28. [X X X X][1]

29. [X X X X][2]

30. [X X X X][3]

Powers of [the Board][4] to prohibit execution or further execution of resolution passed or order made by the Committee

31. (1) [4][The Board] may, of its own motion, or on report or complaint received, by order, prohibit the execution or further execution of a resolution passed, or order made, by the Committee or its Chairman or any of its officers or servants, if it is of the opinion that such resolution or order is prejudicial to the public interest, or is likely to hinder efficient running of the business in any Market Area, Principal Market Yard or Sub-Market Yard or is against the provisions of this Act, or the rules or bye-laws made thereunder.

(2) Where the execution or further execution of a resolution or order is prohibited by an order made under sub-section (1) and continuing in force, it shall be the duty of the Committee, if so required by [4][the Board], to take any action which the Committee would have been entitled to take if the resolution or order had never been made or passed, and which is necessary for preventing the Chairman or any of its officers or servants from doing or continuing to do anything under the resolution or order.

Power of [the Board][4] to call for the proceedings of a Committee and pass order thereon

32. [4][The Board] may, for the purpose fo satisfying itself as to the legality or propriety of any decision of, or order passed by, a Committee, at any time call and examine the proceedings of the Committee, and where it is of the opinion that the decision or order of the Committee should be modified, annulled or reversed, pass such orders thereon as it may deem fit.

Delegation of Powers

[5]**[33.** The Board may, by regulations, delegate subject to such conditions and restrictions and in such manner, as may be specified

---

1. *Omit.* by *sec.* 8 of U. P. Act No. 13 of 2004.
2. *Omit.* by *sec.* 29 of U. P. Act No. 13 of 2004.
3. *Omit.* by *sec.* 30 of U. P. Act No. 13 of 2004.
4. *Subs.* by *sec.* 23 *ibid.*
5. *Subs.* by *sec.* 9 of U. P. Act No. 10 of 1991.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

और निदेशक तद्नुसार कार्य करेगा ।

1908 का नियम पाँच

(4) निदेशक को इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजन के लिए वही अधिकार प्राप्त होंगे जो किसी वाद पर विचार करते समय निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित है, अर्थात् ––

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसका बयान लेना ;

(ख) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ; और

(ग) कोई अन्य विषय जो नियत किये जायें ।

28– [X X X X][1]

29– [X X X X][2]

30– [X X X X][3]

समिति द्वारा पारित संकल्प या दी गयी या आज्ञा के निष्पादन या आगे निष्पादन करने का [4][परिषद्] के अधिकार

31– (1) [4][परिषद्] स्वतः या कोई रिपोर्ट अथवा शिकायत प्राप्त होने पर, समिति द्वारा या उसके सभापति या किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित संकल्प या दी गयी आज्ञा के निष्पादन या आगे निष्पादन का आदेश द्वारा निषेध कर सकती है, यदि उसकी यह राय हो कि वह संकल्प या आज्ञा लोक–हित के प्रतिकूल है अथवा उससे किसी मण्डी–क्षेत्र, प्रधान मण्डी स्थल या उपमण्डी स्थल में कारोबार के दक्षतापूर्वक चलाने में बाधा पड़ने की सम्भावना है अथवा वह इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के उपबन्धों के विरूद्ध है ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश द्वारा किसी संकल्प या आज्ञा का निष्पादन या आगे निष्पादन निषिद्ध किया जाये और वह आदेश प्रचलित हो तो [4][परिषद्] द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे जिसे करने का अधिकार समिति को संकल्प न पारित किये जाने या आज्ञा न दिये जाने की दशा में होता और जो सभापति या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी को ऐसे संकल्प या आज्ञा के अधीन किसी काम को करने या उसके जारी रखने को रोकने के लिए आवश्यक हो ।

समिति की कार्यवाहियां मंगाने और उन पर आज्ञा देने के [4][परिषद्] के अधिकार

32– [4][परिषद्] किसी भी समय समिति द्वारा दिये गये किसी निर्णय या आज्ञा की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से समिति की कार्यवाहियां मंगा सकती है और यदि उसकी यह राय हो कि समिति का निर्णय या उसकी आज्ञा परिष्कृत या रद्द होनी चाहिये या उलटी जानी चाहिये तो [4][परिषद्] उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है जो वह उचित समझे ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

[5][**33–** परिषद् विनियमों द्वारा, ऐसी शर्तो और निबन्धनों के अधीन रहते हुए और

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 29 द्वारा निकाला गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 30 द्वारा निकाला गया ।
4. उपर्युक्त की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1991 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

therein, any of its powers to the Director.

Powers of Director to ensure performance of duties of market committees

[1]**[33-A.** (1) Where the Director, on a complaint made to him or otherwise is satisfied that a committee has not performed any duty imposed on it by or under this Act, he may require the committee to perform such duty within the period specified by him.

(2) If such duty is not performed within the specified period the Director may appoint a person to perform it any may direct that the expenses incurred in its performance including the reasonable remuneration of such person, shall be paid by the Committee forthwith.

(3) If such expenses are not so paid, the Director may require the Board to pay the same and the amount so paid by the Board shall be recoverable by the Board from the Committee.

Powers of the State Government

[1]**[33-B.** (1) The State Government with a view to satisfying itself that the powers, functions and duties of the Board or a Committee by or under this act are exercised or performed by it properly, may require the Commissioner or the Collector or any other person or persons to inspect or cause to be inspected any property, office, document or any work, of the Board or the Committee or to make inquiries into all or nay of the activities of the Board or the Committee in such manner as may be prescribed and to report to it the result of such inquiry within such period as may be specified.

(2) The Board or the Committee, as the case may be, shall give to the Commissioner or the Collector, or other person or persons, all facilities during inspection and for the proper conduct of the inquiry and shall produce any document or information in its possession when so demanded for the purpose of such inspections or inquiry, as the case may be.]

Grant/ Renewal of license for private market yard

[2]**[33-C.** (1) Any person who, desires to establish private market yard under section 7-D shall apply to the Director, Agricultural Marketing or the Officer authorized by him for grant or renewal of license, as the case may be, in such form and in such manner and also for such period but not less than three years, as may be prescribed.

(2) An application for grant or renewal of license, as the case may be, for private market yard, shall be accompanied with such reasonable license fee and security/bank guarantee, as may be prescribed.

(3) An Application received under sub-section (1) for grant or renewal of license may be accepted or rejected for the reasons recorded in writing by the Licensing Authority :

Provided that the application received under this section shall be liable to be rejected on the condition(s), —

---

1. *Subs.* by *sec.* 9 of U.P. Act No. 10 of 1991.
2. *Ins.* by *sec.* 11 of U. P. Act No. 24 of 2018.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

ऐसी रीति से जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाय अपनी कोई शक्ति निदेशक को प्रतिनिहित कर सकती है ।

मण्डी समितियों के कर्त्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने की निदेशक की शक्तियां

[1][33–क– (1) जहां निदेशक का, उसको की गई किसी शिकायत पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाय कि किसी मण्डी समिति में इस अधिनियम के द्वारा या अधीन आरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है, वहां वह उस समिति से ऐसे कर्त्तव्य का पालन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने की अपेक्षा कर सकता है ।

(2) यदि ऐसे कर्त्तव्य का पालन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाय तो निदेशक उसे करने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, और वह निदेश दे सकता है कि ऐसे पालन में उपगत व्यय का जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति के लिये उपयुक्त पारिश्रमिक भी है, भुगतान समिति द्वारा तुरन्त किया जायेगा ।

(3) यदि ऐसे व्यय का भुगतान इस प्रकार न किया जाय तो निदेशक परिषद् से भुगतान की अपेक्षा करेगा और परिषद् इस प्रकार भुगतान की गई धनराशि को समिति से वसूल करने की हकदार होगी ।

राज्य सरकार की शक्तियां

[1][33–ख– (1) राज्य सरकार, अपना यह समाधान करने की दृष्टि से कि परिषद् या समिति इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपीन शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का समुचित रूप से प्रयोग या निर्वहन करती है, आयुक्त या कलक्टर या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से ऐसी रीति से जैसी नियत की जाय, परिषद् या समिति की किसी सम्पत्ति, कार्यालय, दस्तावेज या किसी कार्य का निरीक्षण करने या कराने या परिषद् या समिति के सभी या किसी कार्यकलाप की जांच करने या कराने और ऐसी जांच के परिणाम की रिपोर्ट, ऐसी अवधि के भीतर जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, देने की अपेक्षा कर सकती है ।

(2) यथास्थिति परिषद् या समिति ऐसे आयुक्त या कलक्टर या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को निरीक्षण के दौरान और समुचित रूप से जांच करने के लिये सभी सुविधायें देगी और, यथास्थिति ऐसे निरीक्षण या जांच के प्रयोजन के लिये जब किसी ऐसे दस्तावेज या सूचना की मांग की जाय तो उसके कब्जे में हो, तब उसे प्रस्तुत करेगी ।]

निजी मण्डी स्थल के लिए लाईसेन्स प्रदान/नवीकरण किया जाना

[2][33–ग– (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 7 घ के अधीन निजी मण्डी स्थल स्थापित करना चाहता हो, निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यथास्थिति ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि जो तीन वर्ष से कम न हो, जैसा कि विहित किया जाय, के लिए लाइसेंन्स प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन करेगा ।

(2) निजी मण्डी स्थल के लिए यथास्थिति लाइसेन्स प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन पत्र के साथ यथाविहित युक्तियुक्त लाइसेन्स शुल्क और प्रतिभूति/बैंक प्रत्याभूति संलग्न होंगे।

(3) लाइसेन्स प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित कारणों से स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र पर निम्नलिखित शर्त (शर्तो) पर अस्वीकृत किये जाने योग्य होगा : ––

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1991 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(a) that, the applicant is a minor not under custodian or not *bona fide* ;

(b) that, the applicant has been declared defaulter under the Act and Rules and Bye-laws made there under ;

(c) that, any dues relating to Market Committee and/or Board and/or department/directorate of agricultural marketing are outstanding against the applicant ;

(d) that, the concerned authority is satisfied that the applicant does not tosses the infrastructure credentials, experience of adequate capital for investment or any other requirements as may be prescribed for establishment of a private market yard ; and/or

(e) for any other reasons, as may be prescribed.

(4) The license granted or renewed under this section shall be subject to such terms and conditions, as may be prescribed; and the licensee shall be bound to follow the terms and conditions of the license as prescribed. The licensee shall also follow the provisions of this Act and Rules made thereunder.]

Suspension or Cancellation of license granted/ renewed under section 33-C

[1] **[33-D.** (1) Subject to the provisions of section 33-C, the Licensing Authority, as the case may be, may suspend or for the reasons to be communicated to the license holder in writing and giving reasonable opportunity of hearing cancel the license, if ;

(a) the license has been obtained through willful misrepresentation or fraud ; and/or

(b) the holder of license or its representative or anyone acting on his behalf with his expressed or implied permission, commits a breach of any of the Rules, regulations and terms or conditions of license ; and/or

(c) the holder of license himself or in combination with other license holder commits any act or abstains from carrying on his normal business in the market area with the intention of willfully obstructing, suspending or stopping the marketing of notified agricultural produce ; and/or

(d) the holder of the license has become insolvent ; and/or

(e) the holder of the license incurs any disqualification, as may be prescribed ; and/or

(f) the holder of the license is convicted of any offence under this Act.

(2) No license shall be cancelled under this section without giving a reasonable opportunity of being heard to its holder.

(3) Subject to the provisions of section 33-D, the Licensing

1. *Ins.* by *sec.* 11 of U. P. Act No. 24 of 2018.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(क) यह कि, आवेदक अवयस्क है, जो अभिरक्षक के अधीन नही है या वास्तविक नही है ;

(ख) यह कि आवेदक उक्त अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली और उपविधियों के अधीन व्यतिक्रमी घोषित कर दिया गया है ;

(ग) यह कि मण्डी समिति और/या परिषद् और/या विभाग/कृषि विपणन निदेशालय से सम्बन्धित कोई देय आवेदक के विरूद्ध अवशिष्ट नही है ;

(घ) यह कि, सम्बन्धित प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि आवेदक किसी निजी मण्डी स्थल की स्थापना के लिए विनिधान या किन्हीं अन्य अपेक्षाओं, जैसा कि विहित किया जाय, के लिए अवसंरचना, प्रत्यय पत्र, अनुभव या पर्याप्त पूँजी धारित नहीं करता है ; और/या

(ङ) ऐसे कोई अन्य कारण, जो विहित किये जायें ।

(4) इस धारा के अधीन स्वीकृत या नवीकृत लाइसेन्स यथाविहित निबन्धन और शर्तो के अध्यधीन होगा, और लाइसेन्सधारी, लाइसेन्स की यथाविहित निबन्धन और शर्तो का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा । लाइसेंन्सधारी को इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों का भी अनुपालन करना होगा ।]

धारा 33—ग के अधीन स्वीकृत/नवीकृत लाइसेन्स का निलम्बन या रद्दीकरण

[1] [**33–घ–** (1) धारा 33—ग के उपबन्धों के अध्यधीन, लाइसेंन्स प्राधिकारी, यथास्थिति, लाइसेन्स को निलम्बित कर सकता है अथवा लाइसेन्सधारक को लिखित रूप में संसूचित किये जाने वाले कारणों से और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करके उसे रद्द कर सकता है, यदि ;

(क) लाइसेन्स जानबूझकर दुर्व्यपदेशन या कपट के माध्यम से प्राप्त किया गया हो; और/या

(ख) लाइसेंन्सधारक या उसका प्रतिनिधि या उसकी ओर से उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति किसी नियमावली, विनियमावली और लाइसेन्स के निबन्धन या शर्तो का उल्लंघन करता है ; और/या

(ग) लाइसेन्सधारक स्वयं या अन्य लाइसेन्सधारक के साथ मिलकर अधिसूचित कृषि उत्पाद के विपणन में जानबूझकर व्यवधान डालने, उसे निलम्बित रखने या रोकने के आशय से मण्डी क्षेत्र में कोई कार्य कारित करता है या अपने सामान्य कारबार करने से प्रविरत रहता है ; और/या

(घ) लाइसेन्सधारक दिवालिया हो गया हो ; और/या

(ङ) लाइसेंन्सधारक ऐसी कोई अनर्हता उपगत करता है, जैसा कि विहित किया जाय ; और/या

(च) लाइसेन्सधारक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष हो ।

(2) कोई लाइसेन्स, इस धारा के अधीन उसके धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना रद्द नही किया जायेगा।

(3) धारा 33—घ के उपबन्धों के अध्यधीन, लाइसेन्स प्राधिकारी आख्यापक आदेश

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Authority shall communicate to the license holder by speaking order to cancel its license granted or renewal under section 33-C :

Provided that any person aggrieved by an order of the licensing authority may prefer an appeal to the State Government in such manner as may be prescribed.]

Grant/ Renewal of license for direct marketing

[1] [**33-E.** (1) Any person, including a Farmer's Cooperative, Farmers Producer Organisation (FPO) and Processor/ Exporter, under Section 7-B, desires to purchase agricultural produce directly from farmers outside the principal market yard sub-market yard, market sub-yard, private market yard, shall apply to the Director, Agricultural Marketing for grant or renewal of license, as the case may be, in such form and in such manner ; and also for such period, as may be prescribed.

(2) An application for direct marketing shall accompany such reasonable license fee and security/ bank guarantee, as may be prescribed.

(3) The application received under Section 33-E for grant or renewal of license may be accepted or rejected in the cause and manner *mutatis mutandis* to Section 33-C (3).

(4) A direct marketing license granted or renewed under this Section shall be subject to such terms and conditions, as may be prescribed ; and the licensee shall be bound to follow the terms and conditions of the license as prescribed. The licensee shall also follow the provisions of this Act and Rules made thereunder.]

Suspension or Cancellation of direct marketing license

[2][**33-F.** Subject to the provisions of section 7-B, the Licensing Authority, who has issued the license, may suspend or cancel the license granted/renewed under section 33-E in the cause and manner *mutatis mutandis* to Section 33-D :

Provided that any person aggrieved by an order of the licensing authority may prefer an appeal to the State Government in such manner as may be prescribed.]

CHAPTER – VI

Miscellaneous

Suit against the Committee

34. (1) No suit shall be instituted against any Committee, its Chairman, Vice-Chairman or any member, officer or servant thereof, for anything done, or purporting to be done, in its or his official capacity until the expiration of two months from the date of service of a notice in writing stating the cause of action, the name and place of abode of the plaintiff and the relief claimed.

(2) The notice under sub-section (1) shall ,—

1. *Ins.* by *sec.* 11 of U. P. Act No. 24 of 2018.
2. *Ins.* by *sec.* 11 of U. P. Act No. 24 of 2018.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

द्वारा लाइसेन्सधारक को धारा 33–ग के अधीन प्रदान किये गये या नवीकृत किये गये उसके लाइसेन्स को रद्द करने के लिए संसूचित करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेन्स प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति राज्य सरकार को यथाविहित रीति से अपील कर सकता है ।]

सीधे विपणन के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाना/उसका नवीकरण किया जाना

[1][**33–ड़–** (1) धारा 7–ख के अधीन कृषक सहकारी, कृषक–उत्पादक संगठन और प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता सहित कोई व्यक्ति प्रधान मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल, मण्डी उप–स्थल, निजी मण्डी स्थल के बाहर सीधे कृषकों से कृषि उत्पाद क्रय करना चाहता हो तो वह निदेशक, कृषि विपणन को यथास्थिति लाइसेंस प्रदान किये जाने अथवा उसका नवीकरण किये जाने के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भी लिए, जैसा कि विहित किया जाय, आवेदन करेगा ।

(2) सीधे विपणन के लिए आवेदन पत्र के साथ ऐसा युक्तियुक्त लाइसेंस शुल्क और प्रतिभूति/बैंक प्रत्याभूति जैसाकि विहित किया जाय, संलग्न किया जायेगा ।

(3) लाइसेंस प्रदान किये जाने अथवा उसका नवीकरण किये जाने के लिए धारा 33–ड़ के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र, धारा 33–ग (3) में यथावश्यक परिवर्तन सहित अन्तर्विष्ट कारण और रीति से स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है ।

(4) इस धारा के अधीन प्रदान किया गया या नवीकृत किया गया कोई सीधा विपणन लाइसेंस ऐसे निबन्धन एवं शर्तों के अध्यधीन होगा, जैसाकि विहित किया जाय, और लाइसेंसधारी के लिए यथाविहित निबन्धन एवं शर्तों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा । लाइसेंसधारी को इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों का भी अनुपालन करना होगा ।]

सीधे विपणन लाइसेंस का निलम्बन या रद्दकरण किया जाना

[2][**33–च–** धारा 7–ख के अध्यधीन, लाइसेंस प्राधिकारी, जिसने लाइसेंस जारी किया हो, धारा घ में यथावश्यक परिवर्तन सहित कारण और रीति से धारा 33–ड़ के अधीन प्रदान किये गये/नवीकृत किये गये लाइसेंसो को निलम्बित या रद्द कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेंस प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति राज्य सरकार को यथाविहित रीति से अपील कर सकता है ।]

अध्याय – 6
विविध

समिति के विरूद्ध वाद

34–(1) किसी समिति, उसके सभापति, उप सभापति, या उसके किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरूद्ध उसके द्वारा अपने आधिकारिक रूप में किये गये या किए जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में तब तक कोई वाद प्रस्तुत न किया जायगा जब तक एक लिखित नोटिस के, जिसने वाद–कारण और वादी का नाम तथा निवास–स्थान और प्रार्थित अनुतोष का उल्लेख हो, तामील किये जाने के दिनांक से दो माह न व्यतीत हो गये हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नोटिस ––

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(i) where it is a notice to the Committee, be delivered at its office on any working day or handed to its Chairman, Vice-Chairman or Secretary or shall be sent by registered post ; and

(ii) in every other case, be delivered to the person concerned or sent by registered post.

(3) No suit referred to in sub-section (1) shall, unless it is a suit for recovery of immovable property or for a declaration of title thereto, be instituted otherwise than within six months next after the accrual of the cause of action.

(4) Nothing in sub-section (1) shall be construed to apply to a suit wherein the only relief claimed is an injection of which the object would be defeated by the giving of the notice or the post pavement of the commencement of the suit or proceeding.

Recovery of dues as Land Revenue

[1][**35.** Any sum due to the State Government from the Board or a Committee, or to the Board from a Committee, or to a Committee from another Committee may be recovered as arrears of land revenue.]

Powers of entry, search and seizure

[2][**36.** (1) The Secretary of the market Committee or any officer authorized by the State Government or the Board in this behalf, may,—

(a) for carrying out any of the duties imposed on the Market Committee under this Act, inspect at all reasonable time, all accounts, registers and other documents pertaining to the purchase and sale of agricultural produce and enter any shop, godown, factory or other place where such account books or registers or other documents or such goods are kept and take or cause to be taken such copies or extracts from such account books, registers and other documents as may be considered necessary ;

(b) seize any account books, registers or other documents for reasons to be recorded in writing and prepare an inventory of such account books, registers and other documents, provided that a copy of such inventory shall be furnished to the person in charge of such accounts books, registers or other documents ;

(c) seize any agricultural produce in respect of which he has reason to believe that an offence under this Act has been or is being or is about to be committed ;

(d) seize any vehicle or animal which he has reason to believe to be in use or to have been used for carrying such agricultural produce and detain the same for so long as may be necessary in connection with any proceedings or prosecution under this Act :

Provided that a report of the seizure shall forthwith be made by the person seizing the agricultural produce, vehicle or animal to the Magistrate having jurisdiction to try offences under this Act, and the

1. *Subs.* by *sec.* 16 of U. P. Act No. 06 of 1977.
2. *Subs.* by *sec.* 17 of U. P. Act No. 06 of 1977.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(1) यदि वह समिति के लिये हो तो काम के किसी भी दिन उसके कार्यालय में दिया जायगा या उसके सभापति, उपसभापति अथवा सचिव को दे दिया जायगा अथवा रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जायगा ; और

(2) प्रत्येक अन्य दशा में सम्बद्ध व्यक्ति को दिया जायगा या रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जायगा ।

(3) उपधारा (1) मे उल्लिखित कोई वाद वाद–कारण उत्पन्न होने के छः महीने के पश्चात् प्रारम्भ न किया जायगा जब तक वह अचल सम्पत्ति की प्राप्ति या उसके आगम की घोषणा के लिये न हो ।

(4) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे वाद पर प्रवृत्त होती है जिसमें प्रार्थित अनुतोष केवल व्यादेश (Injunciton) हो जिसका उद्देश्य नोटिस दिये जाने से या वाद अथवा कार्यवाही का प्रारम्भ स्थगित किये जाने से विफल हो जायगा।

मालगुजारी के रूप में देयों की वसूली

[1] **[35**–परिषद् या किसी समिति द्वारा राज्य सरकार को, या किसी समिति द्वारा परिषद् को, या किसी समिति द्वारा किसी अन्य समिति को, देय कोई भी धनराशि मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल की जा सकती है ।]

प्रवेश करने, तलाशी लेने और अभिग्रहण करने का अधिकार

[2] **[36**–(1) मंडी समिति का सचिव या राज्य सरकार या परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी,––

(क) इस अधिनियम के अधीन मंडी समिति को आरोपित किन्हीं भी कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी भी उचित समय पर कृषि उत्पादन के क्रय और विक्रय से सम्बन्धित सभी लेखा–बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और किसी ऐसी दुकान, गोदाम, कारखाना या अन्य स्थान में प्रवेश कर सकता है और किसी ऐसी दुकान, गोदाम, कारखाना या अन्य स्थान में प्रवेश कर सकता है जहां पर ऐसी लेखा–बही या रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या ऐसा माल रखा जाता हो और ऐसी लेखाबही, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों से ऐसी प्रतिलिपियां या उद्धरण जो आवश्यक समझे जायें, ले सकता है या लिवा सकता है ;

(ख) किसी लेखा–बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज का, कारणों को अभिलिखित करते हुए अभिग्रहण कर सकता है और ऐसी लेखाबही, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज की तालिका को तैयार कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी तालिका की एक प्रति ऐसी लेखाबही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज के प्रभारी व्यक्ति को दी जायगी ;

(ग) किसी ऐसे कृषि उत्पादन को अभिगृहीत कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है ;

(घ) किसी ऐसी गाड़ी या पशु को अभिग्रहीत कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह ऐसे कृषि उत्पादन को ले जाने के लिए प्रयोग में है या प्रयोग में रहा है और उसे उतने समय तक निरूद्ध कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या अभियोजन के सम्बन्ध में आवश्यक हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कृषि उत्पादन, गाड़ी या पशु को अभिगृहीत करने वाला व्यक्ति अभिग्रहण की रिपोर्ट तुरन्त उस मजिस्ट्रेट को देगा जिसका इस अधिनियम के अधीन

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

provisions of Sections 457, 458 and 459 of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall, as far as may be, apply in relation to the agricultural produce, vehicle or animal seized as aforesaid, as they apply to property seized by a police officer :

Provided further that the grounds for seizing any such agricultural produce, vehicle or animal shall be communicated in writing within twenty-four hours of the seizure to the person from whose possession the same was seized, and to the Magistrate having jurisdiction to try offences under this Act.

(2) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973, relating to search and seizure shall so far as may be, apply to searches and seizures made under this section.][1]

[2][**37.** (1) Any person who contravenes any of the provisions of section 9 or Section 10 or the rules or bye-laws made thereunder shall, on conviction, be punished, —

(a) for the first offence, with fine which may extend to [3][fifty thousand rupees] ;

(b) for a second and any subsequent offence of the same nature with imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to [4][one lakh rupees] or with both and in case of continuing contravention, with a further fine up to [4][rupees ten thousand] for every day subsequent to the date of second conviction or nay subsequent conviction for which the contravention has continued :

Provided that in the absence of special and adequate reasons to the contrary mentioned in the judgment of the court the fine for the first offence shall not be less than [5][two thousand and five hundred rupees] and for the second or subsequent offence, shall not be less than [5][five thousand rupees].

(2) Any person who contrivances any of the provisions of this Act or the rules or bye-laws made thereunder, except the provisions of Sections 9 and 10 and the rules and bye-laws made thereunder shall be punishable with fine which may extend to [6][twenty thousand rupees] and in the case of continuing contravention with a further fine upto [6][rupees two thousand] for every day subsequent to the date of the first conviction for which the contravention has continued.

(3) Whenever any person is convicted of an offence punishable under this Act, the Magistrate shall in addition to any fine which may

1. *Subs*. by *sec.* 17 of U.P. Act No. 6 of 1977.
2. *Subs*. by *sec.* 5 of U. P. Act No. 04 of 1999.
3. *Subs*. by *sec.* 4(a)(i) of U. P. Act No. 03 of 2016.
4. *Subs*. by *sec.* 4(a)(ii) of U. P. Act No. 03 of 2016.
5. *Subs*. by *sec.* 4(a)(iii) of U. P. Act No. 03 of 2016.
6. *Subs*. by *sec.* 4(b)(iii) of U. P. Act No. 03 of 2016.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अपराध पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार हो और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 457, 458 और 459 के उपबन्ध, यथाशक्य, उपर्युक्त अभिगृहीत कृषि उत्पादन, गाड़ी या पशु के सम्बन्ध मे उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अभिगृहीत सम्पत्ति पर लागू होते है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कृषि उत्पादन, गाड़ी या पशु को अभिगृहीत करने के आधार की संसूचना उस व्यक्ति को जिसके पास से वह अभिगृहीत किया गया हो और उस मजिस्ट्रेट को, जिसका इस अधिनियम के अधीन अपराधों पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार हो, अभिग्रहण किये जाने के चौबीस घंटे के भीतर लिखित रूप में दी जायगी ।

(2) तलाशी लेने और अभिग्रहण से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबन्ध, यथाशक्य, इस धारा के अधीन की गई तलाशी और अभिग्रहण पर लागू होंगे।][1]

शास्ति

[2]**[37–** (1) कोई व्यक्ति जो धारा 9 या धारा 10 के या उसके अधीन बनाये गए नियमों, या उपविधियों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध दोष होने पर,——

(क) प्रथम अपराध के लिए जुर्माना से जो [3][पचास हजार रूपये] तक हो सकता है;

(ख) उसी प्रकार के द्वितीय और किसी अनुवर्ती अपराध के लिए कारावास के दण्ड से जो एक वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माना से जो [4][एक लाख रूपये] तक हो सकता है या दोनो से और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में अग्रतर जुर्माना से जो दूसरी दोषसिद्धि या किसी अनुवर्ती दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहे [4][दस हजार रूपये] तक हो सकता है; दण्डनीय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई विशेष और पर्याप्त प्रतिकूल कारण ; जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किया जायगा, न हो तो प्रथम अपराध के लिए जुर्माना [5][दो हजार पाँच सौ रूपये] से कम और द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए [4][पाँच हजार रूपये] से कम न होगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के किसी उपबन्धों का, धारा 9 और 10 और इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबन्धों को छोड़कर, उल्लंघन करता है तो वह जुर्माना से जो [6][बीस हजार रूपये] तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में प्रथम बार सिद्ध दोष होने के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहे [6][दो हजार रूपये] के अग्रतर जुर्माना से दण्डनीय होगा ।

(3) जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के दिए दोष सिद्ध किया जाय तब मजिस्ट्रेट किसी जुर्माना के अतिरिक्त, जो आरोपित किया जाय

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1977 की धारा 17 प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1999 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, 2016 की धारा 4(क)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, 2016 की धारा 4(क)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, 2016 की धारा 4(क)(तीन) परन्तुक द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, 2016 की धारा 4(ख) (तीन) द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

be imposed recover summarily and pay to the Market Committee, the amount of fee or any other amount due from him under this Act or the rules or bye-laws made thereunder and may, in his discretion also recover summarily and pay to the Market Committee cost of the prosecution.]

Composition of offences

[1]**[37-A.** [2][(1) A market committee or its sub-committee or with the authorization by a resolution of a committee its Chairman may accept from any person who has committed or is reasonably suspected of having committed an offence punishable under this Act in addition to the fee or other amount recoverable from him, a sum of money equal to ten times the sum of market fee and development cess assessed due on the equivalent agricultural produce in accordance with the explanation given in the proviso to sub-rule (1) of Rule 66 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamavali, 1965 or Rupees Two Lakh, whichever is less and for other offence, a sum of money not exceeding rupees [3][twenty thousand] by way of composition fee and compound the offence.]

(2) On the composition of any offence under sub-section (1) no proceeding shall be taken or continued against the person concerned in respect of such offence, and if any proceedings in respect of that offence have already been instituted against him in any Court, the composition shall have the effect of his acquittal.]

Trial of offences

38. (1) No offence punishable under this Act shall be tried by a court inferior to that of a Magistrate of the First Class.

(2) No court shall take cognizance of any offence under this Act except on the complaint of the Director or Secretary or such other person as may be authorized by the Committee by resolution passed in this behalf.

Bye-laws

39. (1) A market Committee may make bye-laws not inconsistent with this Act and the rules made thereunder, to provide for,—

(i) regulation of its business ;

(ii) appointment, powers, duties and functions of the Sub-Committee, if any, appointed under clause (vii) of section 17 ;

(iii) duties of traders, brokers, commission agents, warehousemen, weighmen and palledars ; and

(iv) any other matter which by or under this Act is required to be provided or by bye-laws :

[4][Provided that no bye-law, other than a bye-law made by adopting draft or model bye-law suggested by the [5][Board], shall be

---

1. *Ins.* by *sec.* 19 of U. P. Act No. 06 of 1977.
2. *Subs.* by *sec.* 12 of U. P. Act No. 24 of 2018.
3. *Subs.* by *sec.* 6 of U.P. Act No. 4 of 1999.
4. *Subs.* and be deemed always to have been *substituted* by sec. 10 of U. P. Act no. 10 of 1970.
5. *Subs.* by *sec.* 26 of Presidents Act 13 of 1973.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के अधीन उसके द्वारा देय फीस की धनराशि या अन्य कोई धनराशि सरसरी तौर पर वसूल करेगा और मण्डी समिति को भुगतान करेगा और स्वविवेकानुसार अभियोजन का व्यय भी सरसरी तौर से वसूल कर सकता है और मण्डी समिति को भुगतान कर सकता है ।]

[1][**37–क–**[2][(1) कोई मण्डी समिति या उसकी उपसमिति या समिति के किसी संकल्प द्वारा प्राप्त प्राधिकार से उसका सभापति किसी व्यक्ति से जिसने कोई ऐसा अपराध किया हो या जिसके सम्बन्ध में ऐसा अपराध करने का युक्ति युक्त सन्देह हो जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, उससे प्राप्त फीस या अन्य धनराशि के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम 66 के उपनियम (1) के परन्तुक में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार समतुल्य कृषि उत्पाद पर निर्धारित देय मण्डी शुल्क एवं विकास सेस के योग के दस गुना धनराशि के बराबर अथवा रूपये दो लाख जो भी कम हो, एवं अन्य अपराध के लिए [3][बीस हजार रूपये] से अनधिक धनराशि शमन फीस के रूप में स्वीकार कर सकता है तथा अपराध का शमन कर सकता है ।] — अपराध का शमन

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किये जाने पर ऐसे अपराध से सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायगी न जारी रखी जायेगी और यदि उस अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही पहले से ही संस्थित की गई हो तो उक्त शमन के प्रभाव से, वह दोष–मुक्त हो जायगा ।]

38–(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध पर ऐसे न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जायगा जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो। — अपराधों पर विचार

(2) जब तक निदेशक या सचिव या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे समिति ने तदर्थ संकल्प पारित करके प्राधिकृत किया हो, परिवाद प्रस्तुत न किया जाय, तब तक कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान न करेगा ।

39–(1) मण्डी समिति, इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से असंगत न होते हुए निम्नलिखित की व्यवस्था के लिये उपविधियाँ बना सकती है : –– — उपविधियां

(1) अपने कार्यों का विनियमन ;

(2) धारा 17 के खण्ड (7) के अधीन नियुक्त की जाने वाली उप समिति, यदि कोई हो, की नियुक्ति, उसके अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य ;

(3) व्यापारियों, आढ़तियों, दलालों, तोलकों और पल्लेदारों के कर्त्तव्यों ;

(4) कोई अन्य विषय जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उपविधियों द्वारा की जानी अपेक्षित हो ;

[4][प्रतिबन्ध यह है कि उस उपविधि से, जो [5][परिषद्] द्वारा सुझाई गई प्रारूप या प्रतिमान उपविधि को अंगीकार करके बनाई गई हो, भिन्न कोई उपविधि तब तक वैध

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 19 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1999 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित और सदैव से प्रतिस्थापित समझी जाय ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

valid unless approved by the [1][Board]].

(2) If, in respect of any matter specified in sub-section (1), the Committee has failed to make any bye-laws or if the bye-laws made by the Committee are not, in the opinion of the [1][Board], adequate, the [1][Board] may make bye-laws providing for such matters to such extent as it thinks fit.

[2][(3) The power under this Section to make bye-laws shall be exercised subject to any general or special directions issued by the State Government in that behalf.]

Submission of statement of purchases and sales

[3]**[39-A.** Every wholesale trader or commission agent, shall before the thirtieth day of April every year submit to the Market Committee a Statement of purchases and sales of specified agricultural produce by or through him during the previous year in such Form and in such a manner and setting forth such other particulars as may be specified in the by-laws.

***Explanation* :—** For the purposes of this section, previous year means the financial year immediately preceding the year in which such statement is required to be submitted.]

Rules

40. [4][(1) The State Government may make rules for carrying out the purpose of this Act.]

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the rules may provide for all or any of the following matters :—

(i) [5][* * * *]

[6][(ii) for the constitution of the Committee under section 12 or for the modified and newly created Market Areas under clause (b), clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of Section 8 by nomination by the State Government and for their consequential matters.]

(iii) [7][* * * *]

(iv) matters relating to the functions, powers and duties of a Committee, its chairman members, officers and servants ;

(v) the travelling and other allowances that may be paid to the members of a Committee ;

(vi) matters relating to the functions, powers and duties of a Committee, its chairman members, officers and servants ;

---

1. *Subs.* by section 26 of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act No. 30 of 1974.
2. *Ins.* by *sec.* 5 of U. P. Act No. 19 of 1979.
3. *Ins.* by *sec.* 7 of U. P. Act No. 04 of 1999.
4. *Subs.* by *sec.* 4 of U. P. Act No. 20 of 1984.
5. *Omit.* by *sec.* 9(a) of U. P. Act No. 13 of 2004.
6. *Subs.* by *sec.* 9(b) of U.P. Act No. 13 of 2004.
7. *Omit.* by *sec.* 9(c) of U. P. Act No. 13 of 2004.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

न होगी जब तक कि वह [1][परिषद्] द्वारा अनुमोदित न कर दी जाय ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में, समिति ने कोई उपविधियां नही बनायी हैं अथवा यदि समिति द्वारा बनायी गयी उपविधियां, [1][परिषद्] की राय में पर्याप्त नहीं है तो [1][परिषद्] उपविधियां बना सकता है जिसमें ऐसे विषयों की उस प्रकम तब व्यवस्था होगी जो वह उचित समझे ।

[2][(3) इस धारा के अधीन उपविधियां बनाने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए किया जायगा ।]

क्रय और विक्रय का विवरण प्रस्तुत करना

[3][**39–क**–प्रत्येक थोक व्यापारी या आढ़तिया प्रत्येक वर्ष तीस अप्रैल के पूर्व मण्डी समिति की पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके द्वारा या उसके माध्यम से किये गये निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय और विक्रय का विवरण ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अन्य विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए जैसी कि उपविधियों में निर्दिष्ट की जायें, प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण :–– इस धारा के प्रयोजन के लिए "पूर्ववर्ती वर्ष" का तात्पर्य ऐसे वित्तीय वर्ष से है जो उस वर्ष के, ठीक पूर्ववर्ती हो, जिसमें ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो ।]

नियम

40– [4][(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।]

(2) विशेष रूप से और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है : ––

(1) [5][* * * *]

[6][(2) धारा 13 के अधीन समिति के संगठन के लिए या राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्देश द्वारा धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन परिष्कृत और नवनिर्मित मण्डी क्षेत्र के लिए और उनके पारिवारिक मामलों के लिए व्यवस्था।]

(3) [7][* * * *]

(4) समिति की बैठकों से सम्बद्ध प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत गणपूर्ति भी है ;

(5) यात्रा–भत्ता तथा अन्य भत्ते जो किसी समिति के सदस्यों को दिये जाये ;

(6) समिति तथा उसके सभापति, सदस्य, अधिकारियों और सेवकों के कृत्यों, अधिकारों और कर्त्तव्यों से सम्बद्ध मामले ;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1979 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 1999 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1984 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 9(क) द्वारा निकाला गया ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 9(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 9(ग) द्वारा निकाला गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(vii) license fee and market fees which may be levied and realized by the Committee, and their mode of recovery ;

(viii) the terms and conditions for issue and renewal of licenses under this Act ;

(ix) the procedure to be followed in regard to the settlement of differences and disputes under this Act ;

(x) the manner in which plans and estimates for the work to be carried out by a Committee shall be prepared and submitted for sanction or approval under this Act ;

(xi) the registers and books to be maintained by a Committee ;

(xii) the form in which the accounts of a Committee shall be kept, the manner in which the same shall be audited, and the time or times at which they shall be published ;

(xiii) the form and particulars to be mentioned in reports and returns to be submitted by a Committee ;

(xiv) the manner of investment and disposal of surplus funds of a Committee ;

[1] [(xiv-a) the manner of deposit in withdrawal from and maintenance and utilization of the Uttar Pradesh State Marketing Development Fund ;]

(xv) matters in regard to the inspection of weights and measures, and weighing and measuring instruments in use in the Market Area ;

(xvi) the trade charges which may be received by any person in any transaction of the specified agricultural produce in the Principal Market Yard or Sub-Market Yards ;

(xvii) the grading and standardization of the specified agricultural produce ;

(xviii) exhibition by traders of price lists of specified agriculturally produce ;

(xix) the manner in which the sale or auction of the specified agricultural produce shall be conducted and bids made and accepted in the Market Area ;

(xx) the conditions subject to which a Committee may lease, sell ro otherwise transfer any property ;

(xxi) the authority for and the manner of, making contracts, on behalf of a Committee ;

(xxii) the terms and conditions of employment of the officers and servants of a Committee and matters relating to discipline,

---

1. *Ins.* by *sec.* 11 of U. P. Act No. 10 of 1991.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(7) लाइसेंस शुल्क और मण्डी–शुल्क, जो समिति द्वारा लगाये तथा वसूल किये जा सकते हैं और उनकी वसूली की रीति ;

(8) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंसो के जारी किये जाने और उनके नवीकरण की शर्तें ;

(9) इस अधिनियम के अधीन मतभेदों ओर विवादों को निपटाने के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(10) रीति, जिसके अनुसार इस अधिनियम के अधीन समिति द्वारा किये जाने वाले निर्माण–कार्य के लिये नक्शे और प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे तथा स्वीकृति या अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे ;

(11) समिति द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर तथा पुस्तिकाएं ;

(12) प्रपत्र जिसमें समिति के लेखे रखे जायेंगे, रीति जिसके अनुसार उनकी लेखा–परीक्षा की जायगी, और वह समय अथवा वे समय जब वे प्रकाशित किये जायेंगे ;

(13) किसी समिति द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदनों और विवरणियों के प्रपत्र तथा उनमें उल्लिखित किये जाने वाले ब्यौरे ;

(14) समिति को अधिशेष निधियों के विनियोजन (Investment) और उनका निस्तारण करने की रीति ;

[1][(14–क) उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि में जमा करने, उससे निकालने और उसके अनुरक्षण और उपयोग की रीति ;]

(15) मण्डी–क्षेत्र मे प्रयोग किये जाने वाले बांट तथा माप और तौलने तथा मापने के यंत्रों का निरीक्षण करने से सम्बद्ध विषय ;

(16) व्यापारिक परिव्यय, जो प्रधान मण्डी–स्थलों या उप–मण्डी–स्थलों में निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन के किसी सौदे में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे ;

(17) निर्दिष्ट–कृषि–उत्पादन का वर्गीकरण और नाम–स्थापन ;

(18) व्यापारियों द्वारा निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन की मूल्य–सूची रखना ;

(19) रीति, जिसके अनुसार मण्डी–क्षेत्र मे निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन की बिक्री या उसका निलाम किया जायगा और बोलियां लगायी जायेंगी तथा उन्हें स्वीकार किया जायगा;

(20) शर्तें, जिनके अधीन समिति किसी सम्पत्ति को पट्टे पर दे सकती है, बेच सकती है या अन्य रूप से उसका हस्तान्तरण कर सकती है ;

(21) समिति की आरे से संविदा करने के लिये प्राधिकार और उसे करने की रीति;

(22) समिति के अधिकारियों और सेवकों के नियोजन की शर्तें और ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों के अनुशासन, नियंत्रण, दण्ड, पदच्युति, सेवोन्मुक्ति तथा हटाये जाने से सम्बद्ध विषय ;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1991 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

control, punishment, dismissal, discharge, and removal of such officers and servants ;

(xxiii) the procedure for the hearing and disposal of appeals under this Act ;

(xxiv) the regulation of advances, if any, given to agriculturists by brokers commission agents or traders ;

(xxv) fees for arbitration and appeals ;

(xxvi) maintenance and submission of account books by traders, commission agents, brokers and weighmen and their inspection ;

(xxvii) the time, place and manner of sampling, sale, purchase, weighmen and recording of transactions and mode of payments ;

(xxviii) provisions of accommodation for storing any of the specified agricultural produce brought into the market Area ;

(xxix) procedure for preparation and submission for approval of annual budget ;

(xxx) matters relating to the inspection of the working of Committee ;

(xxxi) prohibition of brokers from acting in any transaction on behalf of both the buyers and the sellers of any of the specified agricultural produce ; [X X X][1]

(xxxi-a) [* * * *][2]

(xxxi-b) constitution of Centralized service under section 23-A ; and

(xxxi-c) the procedure in respect of surcharge under Section 26-W; and] [3]

(xxxii) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) All rules made under this Act,, shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session, for a total period of fourteen days extending in its one session or more than one successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette*, subject to such modifications or amendments as the two Houses of Legislature may agree to make, so, however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

---

1. *Del.* by section 27 of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act No. 30 of 1974.
2. *Omit.* by *sec.* 9(d) of U. P. Act No. 13 of 2004.
3. *Ins.* by section 27 of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act No. 30 of 1974.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(23) इस अधिनियम के अधीन अपील सुनने और उनका निस्तारण करने की प्रक्रिया ;

(24) दलालों, आढ़तियों या व्यापारियों द्वारा कृषकों को दी जाने वाली अग्रिम राशियों का, यदि कोई हों, विनियमन ;

(25) विवाचन और अपीलों का शुल्क ;

(26) व्यापारियों, आढ़तियों, दलालों और तोलकों द्वारा लेखा–पुस्तिकाओं का रखा जाना, उनका प्रस्तुत किया जाना तथा निरीक्षण ;

(27) नमूना बनाने, विक्रय, क्रय, तुलाई और सौदों को अभिलिखित करने के समय, स्थान तथा रीति और भुगतान करने का ढंग ;

(28) मण्डी–क्षेत्र में लाये गये किसी निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन का संग्रह करने के लिए स्थान की व्यवस्था ;

(29) वार्षिक बजट तैयार करने और अनुमोदन के लिये उसे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ;

(30) समितियों के कृत्य सम्पादन का निरीक्षण करने से सम्बद्ध विषय ;

(31) दलालों का निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन के सम्बन्ध में क्रेता और विक्रेता दोनों की ओर से किसी सौदे में काम करने का निषेध करना ; [1][X X X]

(31–क) [2][* * * *]

(31–ख) धारा 23–क के अधीन केन्द्रीकृत सेवा का संघटन ;

(31–ग) धारा 25–ब के अधीन अधिकार के संबंध में प्रक्रिया ;][3]

(32) कोई अन्य विषय, जो नियत किया जाना हो या नियत किया जा सकता हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समस्त, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशन के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई ऐसी परिष्कार या संशोधन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी कार्यवाही की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 27 द्वारा लोप किया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 9(घ) द्वारा निकाला गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 27 द्वारा अन्तः स्थापित किया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

SCHEDULE[1]

[SECTIONS 2 (a) AND 4-A]

A — AGRICULTURE

I. *Cereals* —

1. Wheat.
2. Barley.
3. Paddy
4. Rice.
5. Jowar
6. Bajra.
7. Maize.
8. Bejhar
9. Manduwa.
10. Oats.
11. Kakun.
12. Kodon.
13. Kutki.
14. Sawan.

II. *Legumes* —

1. Gram.
2. Peas.
3. Arhar.
4. Urd.
5. Moong.
6. Masoor.
7. Lobia (seed).
8. Soyabean.
9. Khesari.
10. Sanai (seed).
11. Dhaincha (seed).
12. Guar.
13. Moth.
14. Kulthi.

III. *Oilseeds* —

1. Mustard and tape seed (including rye, duwan, taramira, and toria), of all kinds.
2. Sehuwan (seed).
3. Linseed.
4. Castor seed.
5. Groundnut.
6. Til seed.
7. Mahuwa seed.
8. Gullu.
9. Cotton seed.
10. Saflower seed.

IV. *Fibres* —

1. Jute.
2. Sunnhemp fibre.
3. Cotton (ginned and ungi-nned).
4. Patson.
5. Dhaincha.
6. Rambans.
7. Mesta.

1. *Ins.* by section 27 of President Act No. 13 of 1973 as re-enacted by U. P. Act No. 30 of 1974.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अनुसूची[1]

[धारा 2 (क) और 4—क]

क—कृषि —

1—अन्न —

1— गेहूं	2— जौ
3— धान	4— चावल
5— ज्वार	6— बाजरा
7— मक्का	8— बेझर
9— मंडवा	10— जई
11— काकुन	12— कोदों
13— कुटकी	14— सावां

2—द्वि—दलीय उत्पाद —

1— चना	2— मटर
3— अरहर	4— उरद
5— मूंग	6— मसूर
7— लोबिया (बीज)	8— सोयाबीन
9— खेसारी	10— सनई (बीज)
11— ढैंचा (बीज)	12— ग्वार
13— मोठ	14— कुलथी

3—तिलहन —

1— सभी प्रकार की सरसों तथा लाही, (जिसमें राई, दुवा, तारामीरा और तोरिया सम्मिलित है ।)	2— सेहुंवा (बीज)
3— अलसी	4— अण्डी
5— मूंगफली	6— तिल
7— महुआ की गुठली	8— गुल्लू
9— बिनौला	10— बर्र अथवा कुसुम (बीज)

4—रेशे —

1— जूट	2— सनई का रेशा
3— रूई (ओटी हुई और बिना ओटी)	4— पटसन
5— ढेंचा	6— रामबांस
7— मेस्टा	

1. उ0 प्र0 राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 13, 1973 की धारा 27 पुनः अधिनियमित अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनःस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

V. *Narcotics* —

1. Tobacco.

VI. *Spices* —

1. Coriander.
2. Ripe chillies.
3. Methi (seed).
4. Dry ginger.
5. Sonf (aniseed).
6. Turmeric.
7. Dry mango slices and amchoor
8. Cumin seed.

VII. *Grass and Fodder* —

1. All types of grass and fodder (green and dried).
2. Bhusa.

VIII. *Miscellaneous* —

1. Cholai (seed).
2. Poppyseed.
3. Ramdana.
4. Walnuts.
5. Ban.
6. Neem seed.
7. Celery seed.
8. Ambri seed.
9. Mahuwa flower (dry).
10. Chiraunjee.
11. Derseem (seed).
12. Lucern (seed).
13. Makhana.
14. Sugarcane.
15. Mesta seed.

B–HORTICULTURE

I. *Vegetables* —

1. Potato.
2. Onion.
3. Garlic.
4. Sweent potato.
5. Colocasia.
6. Ginger (green).
7. Kachalu.
8. Chillies.
9. Tomato.
10. Cabbage, cauliflower knol khol.
11. Carrot.
12. Radish.
13. Brinjal.
14. Tinda.
15. Bottle gourd.
16. Green peas.
17. Turnip.
18. Parwal.
19. Beans.
20. Saag (of all kinds)
21. Betal leaves.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

5–स्वापक –

1– तम्बाकू

6–मसाले –

1– धनियाँ
2– पकी मिर्च
3– मेंथी (बीज)
4– सोंठ
5– सौंफ
6– हल्दी
7– खटाई, अमचूर
8– जीरा

7–घास तथा चारा –

1– सभी प्रकार की घास तथा चारा (हरा तथा सूखा हुआ)
2– भूसा

8–विविध –

1– चौलाई (बीज)
2– पोस्ता
3– रामदाना
4– अखरोट
5– बान
6– निमकौली
7– सेलेरो का बीज
8– अम्ब्रि बीज
9– महवा का फूल (सूखा)
10– चिरौंजी
11– बरसीम (बीज)
12– लयूसर्न (बीज)
13– मखाना
14– गन्ना
15– मेस्टा बीज

ख–उद्यान–कर्म –

I–शाक –

1– आलू
2– प्याज
3– लहसन
4– शकरकन्द
5– अरवी
6– अदरक (हरी)
7– कचालू
8– मिर्च
9– टमाटर
10–बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी
11– गाजर
12– मूली
13– बैंगन
14– टिन्डा
15– लौकी
16– हरी मटर
17– शलजम
18– परवल
19– सेम
20– साग (सब प्रकार के)

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

22. Beet root.
23. Yam.
24. Elephant foot.
25. Lettuce.
26. Dill.
27. Jack fruit (green).
28. Cucumber.
29. Snake gourd.
30. Bitter gourd.
31. Sponage gourd.
32. White gourd
33. Lady's finger.
34. Pumpkin.
35. Cluster beans.
36. Tamarind.
37. Banda.
38. Singhara.
39. Lobia (green).

II. *Fruits* —

1. Lemons.
2. Orange.
3. Mosambi.
4. Sweet orange (Malta).
5. Grape fruit.
6. Banana.
7. Pomegranates.
8. Strawberries.
9. Musk melon.
10. Water melon.
11. Snap melon.
12. Papaya.
13. Phalsa.
14. Poppy.
15. Apple.
16. Guava.
17. Ber.
18. Aonla.
19. Litchi.
20. Chiku.
21. Peaches.
22. Loquat.
23. Bela.
24. Pineapple.
25. Mango.
26. Plum.
27. Fig.
28. Jack fruit (ripe).
29. Kamrakh.
30. Karonda.
31. Dates.
32. Khirni.
33. Apricot.
34. Jamun.
35. Pear.
36. Custard apple.
37. Mulberry.
38. Pumelo.
39. Raspberry.

C — VITICULTURE

1. Grapes.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

21–	पान	22–	चुकन्दर
23–	रतालू	24–	जिमीकन्द
25–	सलाद	26–	सोया
27–	कटहल	28–	ककड़ी–खीरा
29–	चिचिण्डा	30–	करेला
31–	तरोई	32–	पेठा
33–	भिन्डी	34–	कद्दू
35–	ग्वार	36–	इमली
37–	बण्डा	38–	सिंघाड़ा
39–	लोबिया (हरी)		

2–फल –

1–	नींबू	2–	नारंगी
3–	मुसम्बी	4–	माल्टा
5–	ग्रेप फूट	6–	केला
7–	अनार	8–	स्ट्रावेरी
9–	खरबूजा	10–	तरबूज
11–	फूट	12–	पपीता
13–	फालसा	14–	पोस्ता
15–	सेब	16–	अमरूद
17–	बेर	18–	आंवला
19–	लीची	20–	चिकू
21–	आडू	22–	लोकाट
23–	बेल	24–	अनन्नास
25–	आम	26–	आलू–बुखारा
27–	अंजीर	28–	कटहल (पका)
29–	कमरख	30–	करोंदा
31–	खजूर	32–	खिरनी
33–	खुबानी	34–	जामुन
35–	नाशपाली व नाख	36–	शरीफा
37–	शहतूत	38–	चकोतरा
39–	रसभरी		

ग–द्राक्षा कृषि –

1– अंगूर

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

D — APICULTURE

1. Honey.
2. Wax.

E — SERICULTURE

1. Silk.

F — PISCICULTURE.

1. Fish.

G — ANIMAL HUSBANDRY PRODUCTS

1. Poultry.
2. Eggs.
3. Cattle.
4. Sheep.
5. Goat.
6. Butter.
7. Ghee.
8. Khoya.
9. Cottage cheese
10. Milk.
11. Hides and skins.
12. Bones.
13. Meat.
14. Bristles.
15. Wool.

H — FOREST PRODUCTS

1. Gum.
2. Wood.
3. Tendu leaves.
4. Lac.
5. Reetha.
6. Catechu.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

घ—मधु—मक्खी पालन —

1— शहद	2— मोम

ङ—कोशकीट पालन —

1— रेशम

च—मत्स्य संवर्धन —

1— मछली

छ—पशुपालन—उत्पाद —

1— कुक्कुट	2— अण्डा
3— पशु	4— भेड़
5— बकरी	6— मक्खन
7— घी	8— खोया
9— पनीर	10— दूध
11— चमड़ा और खाल	12— हड्डी
13— गोश्त	14— सुअर की बाल
15— ऊन	

ज— वन उत्पाद —

1— गोंद	2— लकड़ी
3— तेन्दू की पत्ती	4— लाख
5— रीठा	6— कत्था